Report tabled on
31.07.2025

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
मध्य प्रदेश में उर्वरक के प्रबंधन एवं वितरण
पर 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश शासन
2025 का प्रतिवेदन संख्या 1
(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
मध्य प्रदेश में उर्वरक के प्रबंधन एवं वितरण पर 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश शासन

2025 का प्रतिवेदन संख्या 1

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	**पृष्ठ क्रमांक**
प्राक्कथन		v
कार्यपालन सारांश		vii
अध्याय-1 **विहंगावलोकन**		
परिचय	1.1	1
संगठनात्मक संरचना	1.2	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	3
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	3
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पद्धति	1.5	4
अध्याय-2 **उर्वरक की आवश्यकता का आकलन**		
उर्वरक की आवश्यकता के आकलन के लिए भारत सरकार के निर्देश	2.1	7
भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार उर्वरक की आवश्यकता का आकलन न करना	2.2	7
अध्याय-3 **सहकारी क्षेत्र में उर्वरक की खरीद**		
सहकारी क्षेत्र में उर्वरकों की खरीद	3.1	11
अध्याय-4 **वित्तीय प्रबंधन**		
उर्वरकों की खरीद हेतु वित्तीय व्यवस्था	4.1	17
बकाया वसूली	4.2	18
आपूर्तिकर्ताओं से हानि की प्रतिपूर्ति नहीं करना	4.3	19
उर्वरक विकास कोष	4.4	19
अध्याय-5 **उर्वरक की आपूर्ति एवं वितरण**		
उर्वरक की आपूर्ति	5.1	23
भंडारण	5.2	29
उर्वरक का वितरण	5.3	34
कारखानों/निगमों को उर्वरक की बिक्री	5.4	40
जैव/जैविक उर्वरक का प्रयोग	5.5	42
सूक्ष्म पोषक उर्वरक के क्रय में कमी	5.6	43

विषय सूची

	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
अध्याय-6 **उर्वरकों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र**		
गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण अधोसंरचना	6.1	47
अनुमोदित प्रयोगशालाओं की अपर्याप्त परीक्षण क्षमता	6.2	48
प्रशिक्षण और मानवशक्ति में कमियाँ	6.3	49
नमूना विश्लेषण का लक्ष्य और उपलब्धि	6.4	50
विश्लेषण तंत्र का अनुपालन नहीं किया जाना	6.5	52
अमानक उर्वरकों की बिक्री	6.6	56
सिटी कम्पोस्ट, जैव/जैविक उर्वरक विश्लेषण के लिए परीक्षण सुविधा	6.7	58
मृदा परीक्षण प्रयोगशाला सुविधाएं	6.8	59
अध्याय-7 **निगरानी एवं पर्यवेक्षण**		
पोर्टल के माध्यम से निगरानी	7.1	63
उर्वरक व्यवसाय के लिए विनिर्माण प्रमाण-पत्र/प्राधिकार पत्र जारी करना	7.2	63
प्रवर्तन प्राधिकारियों की कमी	7.3	64
निरीक्षण और तलाशी/जब्ती	7.4	65
उर्वरक की आपूर्ति एवं वितरण की निगरानी	7.5	66
उर्वरक की खपत का परिणाम	7.6	67
अध्याय-8		
निष्कर्ष		73

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	**विवरण**	**पृष्ठ क्रमांक**
1.1	उर्वरक की आवश्यकता के आकलन से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया	75
1.2	राज्य/जिला स्तरीय एजेंसियां	76
3.1	कॉम्पलेक्स उर्वरकों की लक्षित मात्रा, आकलन और खरीद का विवरण	77
5.1	अवधि 2017-22 के दौरान विभिन्न माहों में लक्ष्य के विरुद्ध उर्वरक-वार वितरण में कमी की स्थिति	78
5.2	किसानों को डी.ए.पी., एन.पी.के. अधिक दर पर बिक्री करने का विवरण	80
5.3	विक्रय की दर में भिन्नता दर्शाने वाला विवरण पत्रक	84
5.4	प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति द्वारा हेरफेर किए गए स्टॉक का विवरण	86
5.5	स्टॉक में हेरफेर करने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का विवरण	88
5.6	अवधि 2017-22 के दौरान आवश्यकता, प्रस्तावित मात्रा, जारी डिलीवरी इंडेंट और आवश्यक मात्रा के विरुद्ध खरीदी/विक्रय की गई मात्रा की स्थिति	94
6.1	अवधि 2017-22 के दौरान प्राप्त और विश्लेषित उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला-वार नमूनों की स्थिति	95
7.1	30 दिनों के भीतर/बाद में प्राप्त आवेदनों और अतिरिक्त शुल्क संग्रह न करने का विवरण	96
7.2 (अ)	अनुशंसित मात्रा में उर्वरक का अधिक प्रयोग	97
7.2 (ब)	उर्वरक की अनुशंसित मात्रा कम/नहीं डाली गई	99
संक्षिप्तों की शब्दावली		101

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये सौंपने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक की अवधि को समाहित करते हुए, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन से सम्बंधित "मध्य प्रदेश में उर्वरक के प्रबंधन एवं वितरण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आये थे।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

यह अनुवादित संस्करण है। इस अनुवादित संस्करण में अंग्रेजी संस्करण से कोई भिन्नता पाए जाने पर, अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत तथ्य मान्य होंगे।

कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

कृषि उत्पादन को बनाए रखने के लिए मशीनीकृत खेती और उन्नत बीजों के उपयोग के अलावा उर्वरक सबसे महत्वपूर्ण और महंगी सामग्री है। उर्वरक का उपयोग मुख्य रूप से मिट्टी की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के पोषक तत्व प्रभावित हो सकते हैं। उर्वरक के संतुलित और एकीकृत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव/जैविक उर्वरक को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 और उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश (एफ.सी.ओ.), 1985, देश में उर्वरकों के व्यापार, मूल्य, गुणवत्ता और वितरण को विनियमित करते हैं। उर्वरक नियंत्रण आदेश को लागू करने के लिए राज्य सरकार को उर्वरक निरीक्षकों, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी/अधिसूचित प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नामक प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, हमने मध्य प्रदेश में उर्वरकों के प्रबंधन एवं वितरण का निष्पादन लेखापरीक्षा किया। निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना था कि अनुमानित विभिन्न उर्वरकों की आवश्यकता राज्य की आवश्यकता के अनुसार थी और उर्वरकों की खरीद और किसानों को वितरण कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा में 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि को शामिल किया गया था ।

मध्य प्रदेश में, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (एफ.डब्ल्यू. एंड ए.डी.डी.) उर्वरक के समग्र प्रबंधन के लिए नोडल विभाग (विभाग) के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, सहकारिता विभाग उर्वरक की खरीद, भंडारण और वितरण को नियंत्रित करता है। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम (एमपी एग्रो) भी सरकारी नीति के अनुसार उर्वरक की खरीद और वितरण में शामिल है।

सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र मध्य प्रदेश में विभिन्न उर्वरकों को सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए अनुपात में अलग-अलग वितरित करते हैं। सहकारिता विभाग के तहत मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (मार्कफेड) सहकारी क्षेत्र में उर्वरक के भंडारण और वितरण के लिए नोडल एजेंसी हैं। इस क्षेत्र में उर्वरक का वितरण प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स), मार्कफेड गोदामों, विपणन समितियों और एमपी एग्रो द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र के मामले में, निजी थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता उर्वरक वितरित करते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अवधि 2017-22 की अवधि के दौरान राज्य में वितरण के लिए उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी पर विचार किए बिना किया गया था। जिलों ने वही उर्वरक उपयोग किया जो उन्हें उपलब्ध कराया गया था, परिणामस्वरूप जिलों ने मिट्टी की स्थिति के अनुसार अपनी आवश्यकता के विरुद्ध अधिक/कम उर्वरक का उपयोग किया। जिलों की मांग के अनुसार जिलावार मासिक आपूर्ति योजना तैयार नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, कम/अधिक आपूर्ति हुई, जिसके कारण लक्ष्य के विरुद्ध कम/अधिक वितरण हुआ। मार्कफेड सहकारी क्षेत्र के लिए उनके लिए निर्धारित आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की खरीद नहीं कर सका। आपूर्तिकर्ता कंपनियों ने भारत सरकार द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक आवंटन के अनुसार आवश्यकता को पूरा नहीं किया और मौसम के पीक माह अवधि के दौरान आवश्यकता की आपूर्ति नहीं कर सकी | उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश में निर्धारित नमूना चयन तंत्र का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, उर्वरकों की खपत की तुलना में राज्य में गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ अपर्याप्त थीं। प्रयोगशालाओं की कमी और उर्वरक निरीक्षकों और प्रयोगशाला विश्लेषकों की कमी के कारण उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों की गुणवत्ता पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं की जा सकी। विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों की कमी के कारण प्रवर्तन तंत्र कुशलता से कार्य नहीं कर पाया। किसानों में संतुलित उर्वरकों के उपयोग के बारे में पूरी तरह से जागरूकता न होने के उदाहरण देखे गए। परिणामस्वरूप, पिछले पाँच वर्षों में राज्य में एन.पी.के. अनुपात में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ क्योंकि उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार नहीं किया गया।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:-

1. उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन

- विभाग ने भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक फसल मौसम के लिए उर्वरक की आवश्यकता का आकलन नहीं किया और जिलों से जानकारी प्राप्त किए बिना आवश्यकता का आकलन किया। पिछले वर्षों की खपत के आधार पर राज्य स्तर पर आकलन किया गया। जिला अधिकारियों (उप संचालक, कृषि) ने आवश्यक जानकारी होने के बावजूद भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार उर्वरक की आवश्यकता का आकलन नहीं किया। ब्लॉक-वार आकलन नहीं किया गया और पंचायतों/समितियों और किसानों को आकलन में शामिल नहीं किया गया जैसा कि वांछित था। उर्वरक की आवश्यकता का आकलन जिलों की मिट्टी की स्थिति पर आधारित नहीं था।

  मध्य प्रदेश शासन को पिछले वर्ष की खपत को ध्यान में रखते हुए मिट्टी में कमी, सिंचाई की स्थिति और फसल की उर्वरक आवश्यकता के आधार पर उर्वरक की आवश्यकता का ब्लॉकवार आकलन सुनिश्चित करना चाहिए। आवश्यकता का आकलन करते समय, किसानों और सहकारी समितियों से फीडबैक और पंचायतों और ब्लॉक समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

- सब्जियों और उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में उर्वरकों का उपयोग किया गया। लेकिन अवधि 2017-22 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता के आकलन के लिए सब्जियों और उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र पर विचार नहीं किया गया।

  मध्य प्रदेश शासन को भारत सरकार को उर्वरक की आवश्यकता प्रस्तुत करते समय सब्जियों और उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए उर्वरक की आवश्यकता को भी शामिल करना चाहिए।

2. सहकारी क्षेत्र में उर्वरक की खरीद

- कम आकलन और लक्ष्य के विरुद्ध प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण मार्कफेड ने सहकारी क्षेत्र के लिए लक्षित काम्प्लेक्स उर्वरकों की खरीद नहीं किया। खरीफ 2019, खरीफ 2021 और रबी 2019-22 मौसम के दौरान 1,19,350 एम.टी. के लक्ष्य के विरुद्ध मार्कफेड केवल 4,116.65 एम.टी. काम्प्लेक्स उर्वरक ही खरीद सका।
- मार्कफेड ने किसानों को आपूर्तिकर्ताओं (डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. पर) द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ नहीं दिया, जिससे किसानों पर ₹10.50 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।
- रबी 2020-21 के दौरान उच्च दर पर खरीदे गए उर्वरक (डी.ए.पी. और एन.पी.के. 12:32:16) को किसानों को कम दर पर बिक्री करने के कारण मार्कफेड को ₹ 4.38 करोड़ का नुकसान हुआ।

3. वित्तीय प्रबंधन

- आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान हेतु ऋण लेने के लिए प्रत्येक वर्ष शासकीय प्रत्याभूति का प्रावधान था। प्रबंध संचालक, मार्कफेड ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार प्रत्याभूति नियम, 2009 के तहत वित्त विभाग से शासकीय प्रत्याभूति प्राप्त किए बिना उर्वरक खरीदने के लिए 2018-20 के दौरान अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों (डी.सी.सी.बी.) से नकदी ऋण सीमा का लाभ उठाते हुए ₹ 3,372.79 करोड़ का ऋण लिया।
- प्रबंध संचालक, मार्कफेड ने आपूर्तिकर्ताओं से अवधि 2019-22 के दौरान बिक्री दर में परिवर्तन के कारण ₹ 83.96 करोड़ में से ₹ 5.06 करोड़ की हानि की वसूली नहीं की। चयनित जिलों में 08 दिसम्बर 2023 तक 15 जिलों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के विरुद्ध उर्वरक की लागत ₹ 37.37 करोड़ बकाया थी।

  मध्य प्रदेश शासन को ब्याज का बोझ कम करने के लिए अपने ऋण की अदायगी हेतु बकाया राशि वसूलने का प्रयास करना चाहिए।

- पंजीयक, सहकारी समितियां ने उर्वरक विकास निधि की ₹ 5.31 करोड़ में से ₹ 4.79 करोड़ (90 प्रतिशत) राशि को किसानों के कल्याण (छूट और प्रशिक्षण और कृषि उपकरण प्रदान करना), प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के विकास आदि पर व्यय करने के बजाय मुख्य रूप से राज्य और जिला स्तर पर वाहनों के उपयोग पर व्यय किया।

4. उर्वरकों की आपूर्ति एवं वितरण

- संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, मार्कफेड ने जिलों में उर्वरकों की आवश्यक मात्रा की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिलों की मांग के अनुसार उर्वरकों की जिलावार मासिक आपूर्ति योजना तैयार नहीं की। परिणामस्वरूप, चयनित 10 जिलों में डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. की क्रमशः 1.35 एल.एम.टी. तथा 0.27 एल.एम.टी. कम आपूर्ति हुई। इसके अलावा, चयनित छह जिलों में यूरिया की 0.97 एल.एम.टी. कम आपूर्ति हुई तथा चयनित चार जिलों में 0.26 एल.एम.टी. अधिक आपूर्ति हुई।

  मध्य प्रदेश शासन को जिलों की आवश्यकता के आधार पर माहवार/जिलावार संचलन आपूर्ति योजना तैयार कर प्रभावी रेक संचलन के लिए संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को भेजना चाहिए तथा विभिन्न जिलों में आपूर्ति में समानता बनाए रखने के लिए जिलों की मासिक आपूर्ति योजना के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को डिलीवरी इंडेंट जारी करना चाहिए।

  कलेक्टर और जिला स्तरीय अधिकारियों ने अग्रिम भंडारण के लिए उर्वरकों के आकलन तथा अग्रिम भंडारण की साप्ताहिक समीक्षा के लिए उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं किया। परिणामस्वरूप, अग्रिम भंडारण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका।

- संचालक ने जिलों से आवश्यकता प्राप्त किए बिना राज्य के लिए माहवार वितरण लक्ष्य का आकलन किया और ऐसे लक्ष्यों का माहवार/जिलावार विभाजन तैयार नहीं किया। परिणामस्वरूप अवधि 2017-21 के दौरान 13 से 31 जिलों ने यूरिया और डी.ए.पी. दोनों की अधिक मात्रा वितरित की।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, अमरावत कलां, भोपाल में उर्वरक के स्टॉक में हेर-फेर के कारण शासन को ₹14.45 लाख का नुकसान हुआ।

  मध्य प्रदेश शासन को उर्वरक भंडार में हेर-फेर करने वाले व्यक्तियों/कार्मिकों के विरूद्ध समय पर कार्रवाई करनी चाहिए।

- राज्य में अवधि 2017-22 के दौरान जैविक/जैव उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्व आधारित उर्वरक के वितरण के लिए कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। इसके अलावा, राज्य ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए जैविक/जैव उर्वरक के उपयोग के लिए अभी तक कोई प्रभावी योजना नहीं बनाई थी। मार्कफेड ने कमी के अनुसार सूक्ष्म पोषक उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की, जबकि अवधि 2017-22 के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक की कमी बढ़ गई।

  मध्य प्रदेश शासन को विभिन्न स्रोतों से किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जैविक/जैव उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक उर्वरकों की मात्रा की समीक्षा करनी चाहिए और जिलों की मिट्टी की स्थिति के अनुसार उनकी आवश्यकता के अनुसार इन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

5. उर्वरकों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र

- लेखापरीक्षा द्वारा आकलन के अनुसार, उर्वरक खपत के अनुसार 18 प्रयोगशालाओं की आवश्यकता के विरुद्ध राज्य में केवल छह उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं। प्रयोगशालाओं की अपर्याप्तता के बावजूद, विभाग ने वर्ष 2012-13 में स्वीकृत छह प्रयोगशालाओं में से चार गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का संचालन नहीं किया।

- उर्वरक के नमूनों को समय पर परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में नहीं भेजने के मामले सामने आए हैं, इसके अलावा प्रयोगशालाओं में विश्लेषण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया। नमूनों के परीक्षण के परिणाम (अमानक) डीलर्स को समय पर नहीं बताए गए।

मध्य प्रदेश शासन को उर्वरक के वितरण को ध्यान में रखते हुए परीक्षण में अधिक नमूनों को शामिल करने के लिए परीक्षण अधोसंरचना सुविधाओं को सुदृढ़ करना चाहिए। विभाग को जिला और राज्य स्तर पर नमूनाचयन तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।

- उर्वरक के बैच/लॉट नंबर के अभाव में, नमूने के लिए गोदाम में चयनित लॉट में केवल अमानक मात्रा के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसी आपूर्तिकर्ता के समान उर्वरक को जिले/राज्य के अन्य क्षेत्रों में वितरित करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया।
- प्रबंध संचालक, मार्कफेड ने किसानों द्वारा उपयोग किए गए अमानक उर्वरकों की लागत की वापसी के संबंध में पर्याप्त प्रचार-प्रसार नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप किसान अवधि 2017-22 के दौरान अमानक उर्वरक की लागत की वापसी का दावा नहीं कर सके।

मध्य प्रदेश शासन अमानक उर्वरकों की लागत की वापसी का दावा करने के लिए किसानों को सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करना चाहिए।

6. निगरानी एवं पर्यवेक्षण

- राज्य में प्रवर्तन अधिकारियों के स्वीकृत पदों में से 40 से 76 प्रतिशत पद रिक्त थे, जिससे उर्वरक नियंत्रण आदेश/आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का लागू होना प्रभावित हुआ।
- राज्य/जिला स्तर पर जारी उर्वरक व्यवसाय हेतु विनिर्माण प्रमाण-पत्रों/प्राधिकार पत्रों के नवीनीकरण की निगरानी के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन तंत्र विकसित नहीं किया गया। उप संचालक, कृषि ने उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं विभागीय आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्राधिकार पत्रों का नवीनीकरण किया।

मध्य प्रदेश शासन को राज्य में उर्वरक व्यवसाय करने के लिए निर्माताओं, थोक विक्रेताओं एवं खुदरा विक्रेताओं को जारी विनिर्माण प्रमाण-पत्रों एवं प्राधिकार पत्रों की ऑनलाइन निगरानी पर विचार करना चाहिए।

- उप संचालक, कृषि/जिला विपणन अधिकारियों ने थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं की गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए।
- सर्वेक्षण किए गए किसानों के मामले में, 65 प्रतिशत किसान जिनके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड थे, उन्हें अपनी मिट्टी की कमियों के बारे में जानकारी थी तथा शेष किसानों को मिट्टी की कमियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 48 प्रतिशत किसानों (जिनके पास कार्ड थे) ने उर्वरक की अनुशंसित मात्रा का प्रयोग किया तथा शेष किसानों ने अनुशंसित मात्रा का प्रयोग नहीं किया।

मध्य प्रदेश शासन पॉडकास्ट और वीडियो के माध्यम से उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर प्रशिक्षण देने की संभावना तलाश सकती है, जिसे सोशल मीडिया पर आसानी से साझा किया जा सकता है। मृदा परीक्षण के परिणामों के प्रभावी संचार के लिए उप संचालक, कृषि और मृदा परीक्षण इकाइयों द्वारा किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण तंत्र में सुधार किया जाना चाहिए।

अध्याय-1

विहंगावलोकन

अध्याय-1 विहंगावलोकन

1.1 परिचय

मध्य प्रदेश में 52 जिले[1] हैं, जिनका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 307.56 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 151.91 लाख हेक्टेयर (49.39 प्रतिशत) क्षेत्र कृषि योग्य है। राज्य को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों और पांच फसल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रमुख फसलें धान, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, उड़द, चना और कपास हैं।

देश में कृषि उत्पादन को बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक[2] सबसे महत्वपूर्ण और महंगी सामग्री है। उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 और उर्वरक (अकार्बनिक , कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश (एफ.सी.ओ.), 1985, देश में उर्वरकों के व्यापार, मूल्य, गुणवत्ता और वितरण को विनियमित करते हैं। राज्य सरकार उर्वरक नियंत्रण आदेश के कार्यान्वयन को लागू करती है और अमानक/नकली उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री में शामिल लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने का अधिकार रखती है। राज्य सरकार को उर्वरक निरीक्षकों, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी/अधिसूचित प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नामक प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने हेतु अधिकृत किया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (एफ.डब्ल्यू. एंड ए.डी.डी.) उर्वरक के समग्र प्रबंधन के लिए नोडल विभाग (विभाग) के रूप में कार्य करता है।

मध्य प्रदेश में, सहकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुपात में अलग-अलग उर्वरकों का वितरण करते हैं। सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण में निम्नलिखित विभाग/संगठन शामिल थे:

1. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग- समग्र निगरानी
2. सहकारिता विभाग - उर्वरक की खरीद, भंडारण और वितरण को नियमित करता है।
3. मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम (एमपी एग्रो)-उर्वरक की खरीद और वितरण।

निजी क्षेत्र के मामले में, निजी थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता उर्वरक वितरित करते हैं |

उर्वरक वितरण के लिए राज्य में 46 रेल रैक पॉइंट हैं। भंडारण, वितरण में शामिल सहकारी क्षेत्र में 4,511 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (पी.ए.सी.एस.), 378 गोदाम और उर्वरकों के वितरण के लिए 13,978 खुदरा विक्रय केंद्र थे।

मध्य प्रदेश में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उर्वरक यूरिया, डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डी.ए.पी.), कॉम्प्लेक्स, सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.) और म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एम.ओ.पी.) हैं।अवधि 2017-22 के दौरान, राज्य में 281 लाख मीट्रिक टन (एल.एम.टी.) उर्वरक वितरित किया गया। उर्वरक वितरण हेतु आवश्यकता के आकलन की प्रक्रिया ***परिशिष्ट-1.1*** में दी गयी है।

---

[1] अब 53 जिले (मध्य प्रदेश शासन ने 13 अगस्त 2023 को जिला मऊगंज का गठन किया)।

[2] "उर्वरक" का अर्थ किसी भी आवश्यक पदार्थ से है, चाहे वह सीधे या मिश्रित रूप में हो और या तो अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित स्रोतों से प्राप्त किया गया हो, जिसका उपयोग मिट्टी या फसल के लिए आवश्यक पौधों के पोषक तत्व या लाभकारी तत्व या दोनों प्रदान करने के लिए किया जाता है या किया जाना है या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित और उर्वरक नियंत्रण आदेश से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट या राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार पौधों को आवश्यक पोषक तत्व या तो सीधे या जैविक प्रक्रिया द्वारा या मिट्टी या पौधे दोनों में उपलब्ध कराता है, और इसमें एक जैव-उत्तेजक और नैनो-उर्वरक शामिल है। आवश्यक पोषक तत्वों में प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हैं।

1.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर उर्वरक के समग्र प्रबंधन की निगरानी के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) उत्तरदायी हैं। विभाग के संचालक उर्वरक की आवश्यकता का आकलन करते हैं और प्रमुख उर्वरक आपूर्तिकर्ता (नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड), अन्य आपूर्तिकर्ता कंपनियों और भारत सरकार के साथ समन्वय करके उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त (ए.पी.सी.) सहकारी और निजी क्षेत्र के बीच उर्वरक वितरण का प्रतिशत, सहकारी क्षेत्र के लिए अग्रिम भंडारण का लक्ष्य और उर्वरक वितरण के लिए जिलेवार लक्ष्य तय करते हैं।

सहकारिता विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (मार्कफेड) सहकारी क्षेत्र में उर्वरक के भंडारण एवं वितरण के लिए नोडल एजेंसी है। प्रबंध संचालक (एम.डी.), मार्कफेड सहकारी क्षेत्र में उर्वरक की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हैं, उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनियों को भुगतान करने के लिए निधि की व्यवस्था करते हैं और ऋण और नकद बिक्री का लक्ष्य तय करते हैं। अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उर्वरक समन्वय समिति (एफ.सी.सी.) एम.डी., मार्कफेड द्वारा प्रस्तावित विभिन्न उर्वरकों की प्रस्तावित दरों और शर्तों को अनुमोदित करती है।

सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहकारी समितियों के पंजीयक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण तंत्र को नियमित करते हैं और मार्कफेड, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं उर्वरक विकास निधि के मध्य उर्वरक की बिक्री मार्जिन के वितरण का निर्णय लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (एपेक्स बैंक), राज्य स्तर पर, सहकारिता विभाग के अंतर्गत कार्य करते हुए, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (डी.सी.सी.बी.) और उनके शाखा कार्यालयों की गतिविधियों की निगरानी करता है जो क्रमश: प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए ऋण प्रदान करते हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और किसानों से ऋण की वसूली पर भी नजर रखता है।

राज्य स्तर पर प्रबंध संचालक, एमपी एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपी एग्रो) संभाग/जिला स्तर पर क्षेत्रीय प्रबंधकों और जिला प्रबंधकों की सहायता से अपने गोदामों के माध्यम से उर्वरक की खरीद और वितरण की निगरानी करते हैं।

संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक (जे.डी.) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उप संचालक, कृषि (डी.डी.ए.) की सहायता से जिला स्तर पर उर्वरक की उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करते हैं। इसी प्रकार, सहकारी क्षेत्र में संभाग स्तर पर जोनल प्रबंधक (जेड.एम.), मार्कफेड, जिला स्तर पर जिला विपणन अधिकारी (डी.एम.ओ.) की सहायता से रैक संचलन योजना की निगरानी करता है। जिला विपणन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) के साथ समन्वय करके उर्वरक की आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करते है। राज्य से जिला स्तर तक विभिन्न विभागों और उनके अधीन अभिकरणों की भागीदारी प्रवाह चार्ट (***परिशिष्ट–1.2***) में दर्शाई गई है।

1.2.1 प्रवर्तन तंत्र

मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) ने निर्माताओं, आयातकों और उर्वरक मिश्रण के निर्माताओं द्वारा विभिन्न उर्वरकों[3] की बिक्री के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु सम्पूर्ण राज्य के लिए अधिसूचित प्राधिकारी के रूप में संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के संयुक्त संचालक, (खाद और उर्वरक) को नियुक्त (जुलाई 2010) किया। संयुक्त संचालक उपरोक्त उर्वरकों के निर्माताओं को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी भी है।

जिला स्तर पर उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत डीलर्स द्वारा सूक्ष्म पोषक उर्वरक, रासायनिक/जैविक/जैव-उर्वरक की बिक्री के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अधिसूचित

[3] सूक्ष्म पोषक तत्व/सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण, दानेदार एन.पी.के. मिश्रण, जैव उर्वरक, जैविक उर्वरक मिश्रण और उर्वरकों के लिए विशेष मिश्रण।

प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने उप संचालक के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने के लिए संभाग के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को निर्दिष्ट (जुलाई 2010) किया। संचालनालय के संयुक्त संचालक (खाद एवं उर्वरक) के आदेश के विरुद्ध विभाग के संचालक अपीलीय प्राधिकारी हैं।

मध्य प्रदेश शासन ने संचालनालय में पदस्थ सभी उप संचालक/सहायक संचालक /वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (एस.ए.डी.ओ.) को उर्वरक निरीक्षक एवं जैव-उर्वरक/जैविक उर्वरक निरीक्षक के पद पर नियुक्त(जुलाई 2010) किया। संयुक्त संचालक कार्यालय में पदस्थ सभी सहायक संचालक/ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और उप संचालक कार्यालय में पदस्थ सभी सहायक संचालक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी (ए.डी.ओ.) को संबंधित संभाग/जिले में उर्वरक निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, कृषि में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.), कृषि और ब्लॉक स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और सर्कल स्तर पर पदस्थ कृषि विकास अधिकारी (विस्तार) को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर उर्वरक निरीक्षक के रूप में नियुक्त किये गये है।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या:-

(अ) उर्वरकों का आकलन आवश्यकता आधारित था।

(ब) उर्वरक की खरीद, परिवहन और वितरण भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार था।

(स) आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी थे।

1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा स्रोत यहां से प्राप्त किए गये:

- उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985, (यथा संशोधित), उर्वरक (संचालन नियंत्रण) आदेश 1973, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955;
- उर्वरक की आपूर्ति, खरीद और वितरण की निगरानी के लिए एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.), भारत सरकार (जी.ओ.आई.) और राज्य शासन का एकीकृत उर्वरक भंडारण सॉफ्टवेयर (आई.एफ.एस.एस.) पोर्टल;
- मध्य प्रदेश सरकार प्रत्याभूति नियम (संशोधित), 2009, ऋण अनुबंध ;
- प्रत्येक फसल मौसम के लिए जोनल कांफ्रेंस इनपुट और कार्यवृत; और
- उर्वरक की खरीद से संबंधित निविदा/प्रस्ताव दस्तावेज, उर्वरक की खरीद और वितरण को विनियमित करने वाली भारत सरकार और राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र।

1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में अवधि 2017-22 के दौरान उर्वरकों के प्रबंधन एवं वितरण को शामिल किया गया | हमने विभिन्न फसल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के समूह के आधार पर प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) पद्धति के अनुसार मध्य प्रदेश के 52 में से 10[4] जिलों (20 प्रतिशत) का चयन किया।

हमने राज्य स्तर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव, विभाग के संचालक, प्रबंध निदेशक, मार्कफेड, एमपी एग्रो, अपेक्स बैंक और आयुक्त, सहकारिता और पंजीयक, सहकारी समितियों के कार्यालय में अभिलेखों की जाँच की और जानकारी एकत्र की।

संभाग स्तर पर, हमने दो संभागों भोपाल और होशंगाबाद में, दो संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, दो संयुक्त आयुक्त, सहकारिता और संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, एक जोनल प्रबंधक, मार्कफेड और एक क्षेत्रीय प्रबंधक, एमपी एग्रो के कार्यालयों को शामिल किया।

चयनित जिलों में, हमने 60 जिला स्तरीय कार्यालयों और 3,550 में से 88 उप-जिला स्तरीय कार्यालयों/इकाइयों के अभिलेखों की जांच की। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित जिला और उप-जिला स्तरीय कार्यालयों/इकाइयों का विवरण **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1: हमारे द्वारा शामिल किए गए जिला और उप-जिला स्तर के कार्यालयों/इकाइयों का विवरण

जिला स्तर		उप-जिला स्तर		
कार्यालयों/इकाइयों का नाम	**शामिल की गई इकाइयों की संख्या**	**कार्यालयों/इकाइयों का नाम**	**इकाइयों की कुल संख्या**	**शामिल की गई इकाइयों की संख्या**
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (डी.डी.ए.)	10	प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पी.ए.सी.एस.)	727	31
उप पंजीयक/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां	10	विपणन समिति (एम.एस.)	37	10
जिला विपणन अधिकारी [5] (डी.एम.ओ.), मार्कफेड	10	एमपी एग्रो गोदाम[6]	12	05
जिला प्रबंधक[7] (डी.एम.), एमपी एग्रो	10	मार्कफेड गोदाम	50	11
मुख्य कार्यकारी अधिकारी [8] (सी.ई.ओ.), जिला सहकारी केंद्रीय बैंक	10	निजी थोक विक्रेता	348	14
मृदा परीक्षण प्रयोगशाला[9]	09	निजी खुदरा विक्रेता	2,376	17
उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला (भोपाल)	01	0	0	0
योग	**60**		**3,550**	**88**

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

[4] अलीराजपुर, बालाघाट, भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, होशंगाबाद (दिनांक 07 फरवरी 2022 को नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है), सीधी, सिवनी, टीकमगढ एवं उमरिया।

[5] अलीराजपुर जिला, जिला विपणन अधिकारी झाबुआ के नियंत्रण में था और उमरिया, जिला विपणन अधिकारी शहडोल के नियंत्रण में था।

[6] पाँच चयनित जिलों अलीराजपुर, बालाघाट, सीधी, सिवनी और टीकमगढ़ में कोई गोदाम नहीं थे।

[7] अलीराजपुर जिला, जिला प्रबंधक झाबुआ के नियंत्रण में था।

[8] अलीराजपुर जिला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी झाबुआ के नियंत्रण में था और उमरिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी शहडोल के नियंत्रण में था।

[9] अलीराजपुर में कोई मृदा परीक्षण प्रयोगशाला नहीं थी।

इसके अलावा, हमने अन्य कार्यालयों जैसे उप संचालक, उद्यानिकी, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, नगर निगम/नगर पालिकाओं और चयनित जिलों में पुलिस अधीक्षक और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (राज्य में प्रमुख उर्वरक आपूर्तिकर्ता) से जानकारी एकत्र की।

विभागीय अधिकारियों के साथ चयनित निजी थोक विक्रेता(14)/खुदरा विक्रेता(17) सहित मार्कफेड(11)/एमपी एग्रो गोदाम (05)/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां(31)/विपणन समितियाँ(10) का संयुक्त भौतिक सत्यापन और सर्वेक्षण किया गया। चयनित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां के अंतर्गत 250 किसानों (प्रत्येक चयनित जिले में 25 किसान) का सर्वेक्षण भी किया गया।

प्रवेश सम्मलेन 09 सितंबर 2022 को अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के साथ आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड और लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। निर्गम सम्मलेन 22 दिसंबर 2023 को अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के साथ आयोजित किया गया। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्राप्त उत्तरों (जनवरी और फरवरी 2024) को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

अध्याय-2

उर्वरक की आवश्यकता का आकलन

अध्याय 2

उर्वरक की आवश्यकता का आकलन

2.1 उर्वरक की आवश्यकता के आकलन के लिए भारत सरकार के निर्देश

प्रत्येक फसल मौसम से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डी.ओ.ए.एफ.डब्ल्यू.),भारत सरकार ने राज्यों को उर्वरकों की आवश्यकता के साथ-साथ कुछ अन्य जानकारी भेजने के निर्देश[1] जारी किये जैसे (i) फसल कवरेज क्षेत्र और सिंचाई क्षेत्र (ii) उर्वरकों की खपत (iii) विभिन्न उर्वरकों का उठाव (iv) उर्वरक-वार प्रारंभिक स्टॉक, (v) विक्रय केन्द्रों की स्थिति और जिलेवार उर्वरकों की खपत (vi) गुणवत्ता नियंत्रण एवं उर्वरक नमूना एवं मृदा परीक्षण का प्रगति प्रतिवेदन आदि। निर्देशों में मिट्टी की कमी के आधार पर पंचायतों और ब्लॉक समितियों की भागीदारी के साथ किसानों और सहकारी समितियों से प्रतिक्रिया प्राप्त कर उर्वरकों के ब्लॉक-वार आकलन करने का भी प्रावधान है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने प्रत्येक फसल मौसम जैसे खरीफ और रबी[2] के लिए राज्य की उर्वरक आवश्यकता को अंतिम रूप देने के लिए "कृषि इनपुट जोनल कॉन्फ्रेंस" का आयोजन (प्रत्येक फसल मौसम से पहले) किया।

2.2 भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार उर्वरक की आवश्यकता का आकलन न करना

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी (प्रत्येक फसल मौसम से पहले) निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश शासन को जिलों से उर्वरक की आवश्यकता का ब्लॉक-वार आकलन एकत्र करना आवश्यक था। मध्य प्रदेश शासन को आकलन के साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य स्थिति, सिंचित क्षेत्र, जैव/जैविक उर्वरक से पूरी की जा रही आवश्यकता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की स्थिति आदि की जानकारी भी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार को प्रदाय करना था । हालाँकि मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अभिलेखों की जांच से पता चला कि संचालक ने उप संचालक कृषि को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एस.एच.सी.) और ब्लॉक-वार आकलन के आधार पर उर्वरक की आवश्यकता का आकलन प्रस्तुत करने का निर्देश[3] दिया था। चयनित 10 जिलों के उप संचालक, कृषि की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि उप संचालक कृषि के पास मिट्टी के प्रकार, पोषक तत्व, सिंचित क्षेत्र और फसलवार अनुशंसित खुराक की जानकारी थी। हालांकि, उप संचालक कृषि ने भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार इस जानकारी से उर्वरक की आवश्यकता का आकलन नहीं किया और पिछले वर्ष की खपत के आधार पर उर्वरक की आवश्यकता का अनुमान लगाया। उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से पता चला कि ब्लॉक-वार आकलन नहीं किया गया था और पंचायतों/समितियों और किसानों को आकलन में शामिल नहीं किया गया जैसा कि आवश्यक था।

(ii) संचालक ने जिलों से उर्वरक की आवश्यकता का आकलन एकत्र नहीं किया, और इसके स्थान पर पिछली खपत के आधार पर प्रत्येक फसल मौसम में उर्वरक की आवश्यकता का आकलन किया और उर्वरक की आवश्यकता में 20 से 24 प्रतिशत (खरीफ) के मध्य और 11 से 35 प्रतिशत (रबी) के मध्य वृद्धि[4] की।

(iii) संचालक ने आकलन अभिलेख में विभिन्न उर्वरकों की आवश्यकता की गणना करने के लिए अपनाए गए मानदंडों/मापदंडों को अंकित नहीं किया। उर्वरक की अनुमानित मात्रा की गणना करने के लिए अपनाई गई विधि पर लेखापरीक्षा प्रश्न पर संचालक ने उचित उत्तर नहीं दिया और कहा कि आवश्यकता पिछले वर्ष के खरीफ और रबी मौसम की बिक्री और जलवायु परिस्थितियों

---

[1] खरीफ 2017 (जनवरी 2017), रबी 2017-18 (जुलाई 2017), खरीफ 2018 (जनवरी 2018), रबी 2018-19 (अगस्त2018), खरीफ 2019 (जनवरी 2019), खरीफ 2020 (जनवरी 2020), रबी 2020-21 (अगस्त 2020), खरीफ 2021 (जनवरी 2021) तथा रबी 2021-22 (जुलाई 2021)।

[2] खरीफ मौसम (1 अप्रैल से 30 सितंबर) और रबी मौसम (1 अक्टूबर से 31 मार्च)।

[3] खरीफ-जनवरी 2018, दिसम्बर 2018, जनवरी 2020 और जनवरी 2021 और रबी–अगस्त 2018 तथा अगस्त 2019।

[4] प्रतिशत में वृद्धि की गणना पिछले वर्ष की औसत खपत पर की जाती है।

के आधार पर अनुमानित की गई थी। इस प्रकार, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार उर्वरक की आवश्यकता के आकलन के लिए आवश्यक जानकारी होने के बावजूद, विभाग ने तदर्थ रूप से आवश्यकता का आकलन किया।

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने बताया (दिसंबर 2023) कि अगले फसल मौसम से भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार उर्वरक की आवश्यकता का आकलन उप संचालक कृषि (जिला स्तर) और अन्य निकायों से मांग प्राप्त करके भारत सरकार को भेजा जाएगा।

विभाग ने बताया (जनवरी एवं फरवरी 2024) कि जोनल कॉन्फ्रेंस इनपुट राज्य स्तर पर उपलब्ध जिलेवार जानकारी के आधार पर तैयार किए गए थे और जोनल कॉन्फ्रेंस में उर्वरक की आवश्यकता पर चर्चा के दौरान, राज्य की उर्वरक आवश्यकता को उचित ठहराने के लिए पिछले वर्ष के उर्वरक की खपत, फसल क्षेत्र और वर्षा की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी, जिस पर भारत सरकार द्वारा उर्वरक के आवंटन के लिए विचार किया गया था।

यह भी कहा गया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ग्रिड के आधार पर मिट्टी के नमूने लिए गए थे; और मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आँकड़े और उसमें दी गई अनुशंसाएँ विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि अधिकांश छोटे और सीमांत किसानों की जोत एक ही ग्रिड भूमि में शामिल हैं। इसके अलावा, सभी उप संचालक कृषि को भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार जानकारी प्रदान करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी (दिसंबर 2023) किए गए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड राज्य की उर्वरक की आवश्यकता के तर्कसंगत निर्धारण का आधार है; और उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन राज्य स्तर पर प्रमुख फसलों के लिए एन.पी.के. की जिलावार मांग, सिंचाई की स्थिति और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर विचार किए बिना किया गया था। इस प्रकार, उर्वरक की आवश्यकता का आकलन भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसके कारण भारत सरकार को पिछले वर्ष की खपत और फसल क्षेत्र जैसे कारकों पर विचार करना पड़ा।

(iv) विभाग ने राज्य की उर्वरक आवश्यकता के आकलन के लिए जोनल कॉन्फ्रेंस में विभिन्न प्रारूपों के माध्यम से भारत सरकार को अपेक्षित जानकारी जैसे सिंचाई के अंतर्गत शामिल क्षेत्र, जैव/जैविक उर्वरक से पूरी की जा रही आवश्यकता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की स्थिति आदि उपलब्ध नहीं कराई, जिसका विवरण नीचे वर्णित है:

(अ) आकलन के लिए भूमि के प्रकार (सिंचित/असिंचित) पर विचार न करना

सिंचित भूमि को असिंचित भूमि की तुलना में अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से, हमने पाया कि विभाग ने भारत सरकार को सिंचित क्षेत्र की स्थिति नहीं बताई। अवधि 2017-22 के दौरान, राज्य में 45 से 56 प्रतिशत फसल क्षेत्र सिंचित था। अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य में सिंचित क्षेत्र की स्थिति **तालिका 2.1** में दी गई है।

तालिका 2.1: अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य में सिंचित क्षेत्र की स्थिति

(क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में)

राज्य में				*चयनित 10 जिलों में*		
वर्ष	**कुल फसल का क्षेत्र**	**सिंचित क्षेत्र**	**प्रतिशत**	**कुल फसल का क्षेत्र**	**सिंचित क्षेत्र**	**प्रतिशत**
2017-18	251.14	113.94	45	44.54	20.10	45
2018-19	261.15	126.86	49	45.10	21.56	48
2019-20	282.77	147.04	52	51.37	27.19	53
2020-21	299.03	163.78	55	55.37	31.53	57
2021-22[5]	300.49	168.69	56	55.72	32.26	58

(स्रोत: आयुक्त भू-अभिलेख, ग्वालियर)

इस प्रकार, संचालक ने भारत सरकार को सिंचित/असिंचित भूमि की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी, जिससे उर्वरक की आवश्यकता का आकलन प्रभावित हुआ।

[5] यह अनुमानित आंकड़ा है।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि भू-अभिलेख में चालू वर्ष के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण, सिंचित क्षेत्र के आंकड़े भारत सरकार को नहीं भेजे जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संचालक ने न तो भू-अभिलेख से सिंचित क्षेत्र के आंकड़े प्राप्त करने का प्रयास किया और न ही प्रत्येक फसल मौसम के समय उपलब्ध आंकड़े भारत सरकार को प्रदाय किया।

(ब) सब्जियों और उद्यानिकी फसलों के लिए उर्वरक की आवश्यकता का आकलन न करना

उर्वरकों का उपयोग सब्जियों और उद्यानिकी फसलों के लिए भी किया गया। हमने पाया कि संचालक ने सब्जियों और उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को शामिल नहीं किया। 250 किसानों के सर्वेक्षण से पता चला कि 56 प्रतिशत किसानों ने सब्जी/फलों के उत्पादन में उर्वरकों का इस्तेमाल किया। राज्य और चयनित 10 जिलों में अवधि 2017-22 के दौरान सब्जी और उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की स्थिति **तालिका 2.2** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.2: अवधि 2017-22 के दौरान सब्जी और उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत सम्मिलित किए गए क्षेत्र की स्थिति

(क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में)

	राज्य में				***चयनित 10 जिलों में***			
वर्ष	**सब्जी**	**फल**	**मसाले**	**कुल**	**सब्जी**	**फल**	**मसाले**	**कुल**
2017-18	8.48	3.47	7.38	**19.33**	1.60	0.68	0.70	**2.98**
2018-19	8.67	3.61	7.24	**19.52**	1.61	0.69	0.71	**3.01**
2019-20	9.60	3.87	7.56	**21.03**	1.83	1.16	1.01	**4.00**
2020-21	10.48	4.11	8.24	**22.83**	1.87	0.81	0.78	**3.46**
2021-22	11.36	4.34	8.57	**24.27**	2.04	0.87	0.86	**3.77**
कुल	**48.59**	**19.40**	**38.99**	**106.98**	**8.95**	**4.21**	**4.06**	**17.22**

(स्रोत: संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं चयनित जिलों के उप संचालक उद्यानिकी)

संचालक ने बताया कि उर्वरक का उपयोग उद्यानिकी फसलों में किया गया, लेकिन उर्वरक की अनुमानित आवश्यकता में उद्यानिकी क्षेत्र को शामिल करने के लिए कोई अलग आदेश नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार को फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की आवश्यकता थी जबकि राज्य ने केवल कृषि फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को प्रतिवेदित किया तथा उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को प्रतिवेदित नहीं किया।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि उद्यानिकी क्षेत्र पर विचार करने के लिए जोनल कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने उर्वरक की आवश्यकता की गणना में उद्यानिकी क्षेत्र को शामिल नहीं किया और खेतों की फसलों को फसलों के अंतर्गत शामिल किया। हालाँकि, इस संबंध में कोई सहायक अभिलेख उत्तर के साथ उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा, जोनल कॉन्फ्रेंस के कार्यवृत्त में ऐसी चर्चा का कोई विवरण नहीं था।

अनुशंसाएँ:

- *मध्य प्रदेश शासन को पिछले वर्ष की खपत पर विचार करते हुए मिट्टी में कमी, सिंचाई की स्थिति और फसल की उर्वरक आवश्यकता के आधार पर ब्लॉक-वार उर्वरक की आवश्यकता का आकलन सुनिश्चित करना चाहिए। आवश्यकता का आकलन करते समय किसानों और सहकारी समितियों से प्रतिक्रिया लेना और पंचायतों और ब्लॉक समितियों की भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए।*
- *मध्य प्रदेश शासन को भारत सरकार को उर्वरक की आवश्यकता प्रस्तुत करते समय सब्जियों और उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए उर्वरक की आवश्यकता को भी शामिल करना चाहिए।*

अध्याय-3

सहकारी क्षेत्र में उर्वरक की खरीद

अध्याय–3

सहकारी क्षेत्र में उर्वरक की खरीद

मार्कफेड सहकारी क्षेत्र में उर्वरक की खरीद और बिक्री सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नोडल एजेंसी है। प्रबंध संचालक मार्कफेड उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता के अनुसार प्रतिस्पर्धी/न्यूनतम दर और प्रस्तावित मात्रा सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ता कंपनियों से मौसमवार प्रस्ताव[1] आमंत्रित करते हैं। इसके अलावा, जब न्यूनतम दर देने वाले आपूर्तिकर्ता द्वारा आवश्यक मात्रा की पूर्ति नहीं की जाती है, तो प्रबंध संचालक, मार्कफेड अन्य आपूर्तिकर्ताओं से प्रति-प्रस्ताव आमंत्रित करते हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने निविदा और आपूर्ति की शर्तों के माध्यम से प्राप्त उर्वरकों की दरों को अंतिम रूप देने के लिए अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में उर्वरक समन्वय समिति (एफ.सी.सी.)[2] का गठन (मार्च 2017) किया। मार्कफेड उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनियों के साथ अनुबंध निष्पादित करता है और आपूर्तिकर्ताओं को डिलीवरी इंडेंट (डी.आई.) देता है।

3.1 सहकारी क्षेत्र में उर्वरकों की खरीद

राज्य में अवधि 2017-22 के दौरान सहकारी क्षेत्र (मार्कफेड और एमपी एग्रो द्वारा[3]) में प्रमुख उर्वरकों (यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी., एस.एस.पी., कॉम्प्लेक्स और ए.एस.) की खरीद की स्थिति **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका-3.1: अवधि 2017-22 के दौरान सहकारी क्षेत्र में प्रमुख उर्वरकों (यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी., एस.एस.पी., कॉम्प्लेक्स और ए.एस.) की खरीद की स्थिति

(मात्रा एल.एम.टी. में और राशि करोड़ में)

वर्ष	उर्वरकों का नाम							
	यूरिया	डी.ए.पी.	एस.एस.पी.	एम.ओ.पी.	कॉम्प्लेक्स	ए.एस.	कुल	कुल लागत[4]
2017-18	12.41	6.41	3.12	0.39	1.94	0.01	24.28	2,554.66
2018-19	12.02	8.48	3.36	0.55	1.77	0.02	26.20	3,376.28
2019-20	16.88	6.10	3.09	0.41	1.65	0.01	28.14	2,915.35
2020-21	17.38	7.64	3.51	0.63	2.19	0.02	31.37	3,310.02
2021-22	15.97	7.16	3.51	0.33	2.42	0.04	29.43	3,276.76
कुल	**74.66**	**35.79**	**16.59**	**2.31**	**9.97**	**0.10**	**139.42**	**15,433.07**

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

[1] खरीफ के लिए 1 अप्रैल से 30 सितम्बर और रबी के लिए 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। मार्कफेड ने खरीफ 2020 से ई-ऑफर आमंत्रित करने की प्रक्रिया अपनाई।

[2] सदस्य सचिव के रूप में प्रबंध संचालक मार्कफेड और प्रबंध संचालक , एमपी एग्रो, अपेक्स बैंक, आयुक्त एवं पंजीयक सहकारिता के प्रतिनिधि (अपर पंजीयक स्तर) और संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग या उनके प्रतिनिधि सदस्य के रूप में।

[3] सहकारी क्षेत्र के लिए आवंटित रेक मात्रा का पांच प्रतिशत एमपी एग्रो के लिए निर्धारित है।

[4] लागत में जी.एस.टी. शामिल नहीं है।

3.1.1 खरीद में कमियाँ

खरीफ और रबी मौसम के प्रस्ताव दस्तावेजो की जांच करने पर हमें निम्नलिखित कमियाँ मिलीं-

(i) कॉम्प्लेक्स उर्वरक की खरीद न होना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्कफेड लक्ष्य के विरूद्ध प्रस्ताव का नहीं /कम आकलन और प्राप्ति के कारण लक्षित कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की खरीद नहीं कर सका, जैसा कि नीचे बताया गया है:-

- खरीफ 2019, खरीफ 2021 और रबी 2019-22 मौसम के दौरान, मार्कफेड ने 35,500 एमटी कॉम्प्लेक्स उर्वरकों का आकलन किया और संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा दिए गए 1,19,350 एम.टी. के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 4,116.65 एम.टी. की खरीद की। विवरण ***परिशिष्ट-3.1*** में दिया गया है।

- खरीद के लिए ऐसे उर्वरकों का आकलन नहीं होने के कारण मार्कफेड ने खरीफ 2019 और 2021 में लक्षित छः उर्वरकों (4,975 एम.टी.) और रबी 2019-22 में सात उर्वरकों (24,906 एम.टी.) की खरीद नहीं की। विवरण ***परिशिष्ट-3.1*** में दिया गया है।

प्रबंध संचालक मार्कफेड ने बताया कि मांग के अभाव और मार्कफेड द्वारा खरीद के लिए इन उर्वरकों के आकलन से पहले संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से खरीद का लक्ष्य नहीं प्राप्त होने के कारण इन उर्वरकों की खरीद नहीं की गई थी।

विभाग ने कहा (जनवरी और फरवरी 2024) कि डी.ए.पी. की आपूर्ति और कम मूल्य और किसानों द्वारा कम मांग ने कॉम्प्लेक्स उर्वरक के उपयोग को प्रभावित किया। ग्रेड एन.पी.के. 12:32:16 की मांग अधिक थी और एन.पी.के. 12:32:16 की कम आपूर्ति होने पर अन्य ग्रेड के कॉम्प्लेक्स उर्वरक की आपूर्ति की गई। कम मांग के कारण अन्य ग्रेड्स को प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया। मार्कफेड द्वारा जिलों में किसानों की मांग के अनुसार रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति की जाती है, अन्यथा आवश्यकता से अधिक अविक्रित स्टॉक गोदामों में पड़ा रहता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उर्वरक के अन्य ग्रेड्स जो खरीदे नहीं गए थे**,** उन्हें मार्कफेड द्वारा की गई खरीद के आकलन में शामिल नहीं किया गया था**,** जिसके कारण प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किया गया। सहकारी क्षेत्र में उर्वरक की खरीद के लिए नोडल एजेंसी मार्कफेड ने विभिन्न ग्रेड्स के कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की खरीद के लिए संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया।

इसके अलावा, यदि अन्य ग्रेड्स की मांग नहीं/कम थी, तो अवधि 2017-22 के दौरान प्रत्येक फसल मौसम में विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजे गए कॉम्प्लेक्स उर्वरकों के विभिन्न अन्य ग्रेड्स की आवश्यकता का प्रस्ताव उचित नहीं था।

(ii) अन्य अनियमितताएँ

लेखापरीक्षा ने विभिन्न मौसमों में उच्च दर पर उर्वरक की बिक्री और खरीद के निम्नलिखित मामले भी देखे:

• अधिक दर पर उर्वरक बिक्री से किसानो पर ₹ 10.50 करोड़ का अतिरिक्त बोझ

आपूर्तिकर्ताओं ने खरीफ 2019 में अग्रिम अवधि में खरीद के लिए डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. पर क्रमशः ₹ 1,100/- और ₹ 700/- प्रति एम.टी. की छूट का प्रस्ताव दिया। उर्वरक समन्वय समिति ने अग्रिम भंडारण पर शासन से प्राप्त होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति के दावे के विरुद्ध छूट राशि को समायोजित करने का निर्णय (14 फरवरी 2019) लिया। विक्रय दर में छूट पर विचार नहीं किया गया। इसके अलावा, उर्वरक समन्वय समिति ने प्रबंध संचालक, मार्कफेड को नियमित अवधि की बिक्री दर तय करते समय उपरोक्त छूट पर विचार करने का निर्देश (अप्रैल 2019) दिया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उर्वरक समन्वय समिति के आदेश के बावजूद, प्रबंध संचालक ने छूट को ध्यान में रखते हुए बिक्री मूल्य तय नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप किसानों

पर ₹ 10.50[5] करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा और मार्च से जुलाई 2019[6] के दौरान किसानों को उच्च दर पर उर्वरक विक्रय किए गए। इस प्रकार, उर्वरक समन्वय समिति के आदेश के बावजूद, किसान छूट के लाभ से वंचित रह गए और अतिरिक्त राशि ₹ 10.50 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

विभाग ने बताया (फरवरी 2024) कि छूट राशि को अग्रिम भण्डारण पर शासन से किये गये नुकसान की प्रतिपूर्ति के दावे के विरूद्ध समायोजित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उर्वरक समन्वय समिति द्वारा अग्रिम भंडारण के दावे के विरुद्ध छूट का समायोजन 14 फरवरी 2019 को तय किया गया था, लेकिन 05 अप्रैल 2019 को उर्वरक समन्वय समिति ने बिक्री दर के विरुद्ध छूट पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसका अनुपालन नहीं किया गया।

- **कम दर पर उर्वरक बिक्री से ₹ 4.38 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार**

प्रबंध संचालक मार्कफेड ने नियमित मौसम[7] में उर्वरक खरीद के लिए आपूर्तिकर्ताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किया और पिछले मौसम के अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं से अग्रिम अवधि[8] के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया गया। हमने पाया कि रबी 2020-21 की अग्रिम अवधि में डी.ए.पी. और एन.पी.के. (12:32:16) के लिए अनुमोदित खरीद दर रबी 2020-21 नियमित मौसम की न्यूनतम प्रस्ताव दर से कम थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने के कारण आपूर्तिकर्ताओं ने अग्रिम अवधि दर पर आपूर्ति करने से इनकार कर दिया।

उर्वरक समन्वय समिति ने खरीफ 2020 और रबी 2020-21 की दरों में एकरूपता बनाए रखने और किसानों के आंदोलन से बचने के लिए न्यूनतम प्रस्ताव दर पर नियमित मौसम के लिए उर्वरक खरीदने और कम दर (पिछले मौसम खरीफ 2020) पर बिक्री का निर्णय (05 अक्टूबर 2020) लिया। इसके अलावा, बाद में नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। खरीद दर का विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका-3.2: उर्वरकों की खरीद दर

(दर ₹ प्रति एम.टी. में)

मौसम	खरीद दर	
	डी.ए.पी.	एन.पी.के. (12:32:16)
नियमित मौसम रबी 2020-21	23,475	22,975
अग्रिम अवधि रबी 2020-21	22,475	21,975

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्कफेड ने 13 अक्टूबर 2020 और 02 नवंबर 2020 के बीच 0.54 एल.एम.टी.[9] डी.ए.पी. और एन.पी.के. (12:32:16) उच्च दर पर खरीदा और 0.44 एल.एम.टी.[10] निम्न दर[11] पर विक्रय किया। परिणामस्वरूप मार्कफेड को ₹ 4.38 करोड़[12] का नुकसान हुआ। लेखापरीक्षा की दिनांक तक मार्कफेड को नुकसान की प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। इसके अलावा, उचित औचित्य के बिना उर्वरक समन्वय समिति के उपरोक्त निर्णय से मार्कफेड को नुकसान हुआ।

---

5 डी.ए.पी.-0.77 एल.एम.टी. (₹8.89 करोड़ @ ₹57.75 प्रति बोरी) और एम.ओ.पी. 0.23 एल.एम.टी. (₹1.61 करोड़ @ ₹ 35 प्रति बोरी)।

6 डी.ए.पी.- मार्च से जून 2019 और एम.ओ.पी.- मार्च से जुलाई 2019।

7 खरीफ के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर और रबी मौसम के लिए 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक।

8 खरीफ मौसम के लिए 1 मार्च से 31 मई तक और रबी मौसम के लिए 1 अगस्त से 15 सितंबर तक।

9 डी.ए.पी.-34,294.950 एम.टी. और एन.पी.के. 12:32:16- 19,244.850 एम.टी.।

10 डी.ए.पी.-25,138.500 एम.टी. और एन.पी.के. 12:32:16-18,660.750 एम.टी.। शेष मात्रा 0.10 एल.एम.टी. को कम दर पर नहीं बिक्री किया गया।

11 डी.ए.पी. (₹ 24,000 के स्थान पर ₹ 23,000) और एन.पी.के. 12:32:16 (₹ 23,500 के स्थान पर ₹ 22,500)।

12 हानि की गणना नियमित मौसम रबी 2020-21 की खरीद दर और अग्रिम अवधि रबी 2020-21 की खरीद दर के बीच के अंतर के रूप में की गयी है।

विभाग ने बताया (फरवरी 2024) कि उच्च दर पर खरीदे गए डी.ए.पी. और एन.पी.के. 12:32:16 की बिक्री दर में एकरूपता लाने और किसानों के बीच आंदोलन से बचने के लिए पुराने अनुमोदित मौजूदा दर पर बिक्री किया गया था। शासन से नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

• अधिक दर पर उर्वरक की खरीद

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उर्वरक समन्वय समिति ने रबी 2021-22 मौसम के लिए एन.पी.के. 12:32:16, 10:26:26 और ए.पी.एस. 20:20:0:13 की दर को अनुमोदित (09 सितम्बर 2021) किया। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि उक्त मौसम में आपूर्तिकर्ताओं में से एक इफको[13], ने उर्वरकों की कीमत कम (04 अक्टूबर 2021) कर दी और फिर बढ़ा (15 अक्टूबर 2021) दी, जिसे उर्वरक समन्वय समिति द्वारा इफको की दर अन्य आपूर्तिकर्ताओं की दरों से कम के आधार पर और राज्य में फॉस्फेटिक उर्वरक की कमी के कारण अनुमोदित किया गया। दरों का विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका-3.3: उर्वरक समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित दरों का विवरण

स. क्र.	उर्वरकों का नाम	खरीद के लिए अंतिम रूप दिए गए आपूर्तिकर्ताओं की संख्या	उर्वरक समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित प्रति एम.टी. दर (राशि ₹ में)		
			सितंबर 2021	06 अक्टूबर 2021 (04 अक्टूबर 2021 की दर जो 01 अक्टूबर 2021 से प्रभावी थी)	21 अक्टूबर 2021 (15 अक्टूबर 2021 की दर जो 27 अक्टूबर 2021 से प्रभावी थी)
1	एन.पी.के. 12:32:16	पाँच	28,875[14]	23,175	28,475
2	एन.पी.के. 10:26:26	चार	28,975	22,975	28,275
3	ए.पी.एस. 20:20:0:13	चार	23,975	22,475	23,875

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि प्रबंध संचालक , मार्कफेड ने इफको की नई मूल्य संरचना पर अन्य आपूर्तिकर्ताओं की सहमति[15] मांगी (04 अक्टूबर 2021), लेकिन 15 अक्टूबर 2021 को मूल्य संरचना में आगे बदलाव पर अन्य आपूर्तिकर्ताओं की सहमति नहीं मांगी। इसके निम्नलिखित परिणाम हुए:

- मार्कफेड कम मूल्य दर पर 1,12,185 एम.टी. उर्वरक में से 1,08,441 एम.टी. (97 प्रतिशत) की खरीद नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.62 करोड़[16] का परिहार्य व्यय हुआ।
- ये उर्वरक एक ही मौसम में किसानों को अलग-अलग दरों[17] (₹23,000 और ₹ 29,400 के बीच) पर विक्रय किये।

विभाग ने बताया (फरवरी 2024) कि किसानों को समय पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 06 अक्टूबर 2021 को उर्वरक समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार उच्च दर पर उर्वरकों की खरीद की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 15 अक्टूबर 2021 को इफको द्वारा प्रस्ताव किये गये दरों पर आपूर्तिकर्ताओ से कोई सहमति नहीं मांगी गयी थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.62 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

[13] प्रति प्रस्ताव के माध्यम से चयन किया गया।

[14] उर्वरक समन्वय समिति ने एन.पी.के. 12:32:16 की दर को पुनरीक्षित (21 अक्टूबर 2021) ₹ 33,475/- (सितंबर 2021 में तय की गई दर) से ₹ 28,875/- कर दिया जो 01 अक्टूबर 2021 से प्रभावी थी।

[15] कोई भी आपूर्तिकर्ता इफको की कीमत संरचना पर सहमत नहीं हुआ।

[16] एन.पी.के. 12:32:16 (₹ 3.35 करोड़), एन.पी.के. 10:26:26 (₹ 1.19 करोड़) और ए.पी.एस. 20:20:0:13 (₹ 0.08 करोड़)।

[17] एन.पी.के. 12:32:16 (₹23,700, ₹29,000, ₹29,400) और ए.पी.एस. 20:20:0:13 (₹23,000, ₹24,400, ₹24,500)।

3.1.2 उर्वरक की खरीद के लिए प्रस्ताव में कमियाँ

हमें ऑफर दस्तावेजों और प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियाँ मिलीं-

(i) प्रस्ताव शर्तों और अनुबंध में प्रस्तावित मात्रा की आपूर्ति नहीं/ आपूर्ति कम होने पर जुर्माना लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हमने देखा कि अवधि 2019-22 के दौरान 224[18] मामलों में, आपूर्तिकर्ता प्रस्ताव मात्रा (डी.ए.पी., एम.ओ.पी., ए.एस. और एस.एस.पी.) की आपूर्ति नहीं कर सके लेकिन प्रस्ताव शर्तों/अनुबंध में जुर्माना खंड का प्रावधान नहीं होने के कारण, प्रबंध संचालक मार्कफेड उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं कर सके।

विभाग ने कहा (फरवरी 2024) कि जुर्माना प्रावधान क्रमशः ई-ऑफर फॉर्म और खरीफ 2023 के अनुबंध के कंडिका 6 (डी) और 3 (डी) में शामिल किया गया है।

(ii) हमने आगे देखा कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव में दी गई मात्रा के बावजूद, प्रबंध संचालक मार्कफेड ने आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पादित अनुबंध में प्रस्ताव मात्रा का उल्लेख नहीं किया।

विभाग ने बताया (फरवरी 2024) कि किसानों की मांग के अनुसार, मार्कफेड ने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव मात्रा से अधिक या कम मात्रा में खरीद की। यदि अनुबंध में प्रस्ताव मात्रा का उल्लेख किया गया है, तो मार्कफेड अनुबंध के अनुसार मात्रा खरीदने के लिए बाध्य होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं से की गई मांग मात्रा प्रस्ताव मात्रा तक ही सीमित है और आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए आपूर्ति आदेश के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति की जाती है। यदि अनुबंध में प्रस्ताव मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है, तो आपूर्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, अनुबंध में उल्लिखित प्रस्ताव मात्रा के साथ, मार्कफेड उन आपूर्तिकर्ताओं जिन्होंने प्रस्ताव या मांग मात्रा से कम आपूर्ति की को दंडित कर सकता है ।

(iii) इसके अलावा हमने पाया कि बयाना जमा राशि (ई.एम.डी.) को जब्त करने के संबंध में उर्वरक समन्वय समिति के निर्णय (27 अप्रैल 2021) के संदर्भ में, प्रबंध संचालक मार्कफेड स्तर पर समिति ने निर्णय लिया (17 नवंबर 2021) कि उन आपूर्तिकर्ताओं जिन्होंने एल1 दरों को स्वीकार किया और फिर सहमति दरों से पीछे हट गए, की बयाना जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। लेकिन प्रबंध संचालक, मार्कफेड ने 18 नवंबर 2021 और 17 मार्च 2022 के बीच निष्पादित सात अनुबंधो में बयाना जमा राशि जब्त करने का प्रावधान शामिल नहीं किया।

विभाग ने बताया (फरवरी 2024) कि बयाना जमा राशि जमा जब्त करने से संबंधित प्रावधान खरीफ 2023 से ई-ऑफर फॉर्म में शामिल कर दिया गया है।

(iv) हमने पाया कि जिन आपूर्तिकर्ताओं ने प्रति-प्रस्ताव में भाग लिया, उन्होंने आपूर्ति की जाने वाली मात्रा को नहीं बताया। मात्रा के अभाव में प्रबंध संचालक मार्कफेड सटीक मांग नहीं प्रस्तुत कर सके। तथापि, मार्कफेड ने आपूर्तिकर्ताओं की प्रस्ताव मात्रा को जाने बिना आपूर्ति आदेश जारी कर दिया। परिणामस्वरूप, आपूर्तिकर्ता मार्कफेड की मांग को पूरा नहीं कर सके जैसा कि **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका-3.4: प्रति प्रस्ताव के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति का विवरण

(मात्रा एम.टी. में)

मौसम	उर्वरक	आपूर्तिकर्ताओं की संख्या	आपूर्ति आदेश मात्रा	आपूर्ति आदेश के विरुद्ध आपूर्ति की गई मात्रा	कमी (प्रतिशत)
खरीफ़ 2020	डी.ए.पी.	एक	16,490	12,402	4,088 (25)
	एस.एस.पी.	तीन	21,000	10,904	10,096 (48)
खरीफ़ 2021	डी.ए.पी.	एक	4,450	3,874	576 (13)
	एस.एस.पी.	तीन	1,15,640	35,942	79,698 (69)

[18] खरीफ 2019 (51 मामले), रबी 2019-20 (45 मामले), खरीफ 2020 (20 मामले), रबी 2020-21 (44 मामले) खरीफ 2021 (38 मामले) और रबी 2021-22 (26 मामले)।

तालिका-3.4: प्रति प्रस्ताव के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति का विवरण

(मात्रा एम.टी. में)

मौसम	उर्वरक	आपूर्तिकर्ताओं की संख्या	आपूर्ति आदेश मात्रा	आपूर्ति आदेश के विरुद्ध आपूर्ति की गई मात्रा	कमी (प्रतिशत)
रबी 2020-21	डी.ए.पी.	एक	24.40	00	24.40 (100)
	एस.एस.पी.	दो	60,000	29,605	30,395 (51)
रबी 2021-22	डी.ए.पी.	11	6,26,772	2,83,906	3,42,866 (55)
	एस.एस.पी.	दो	52,800	27,059	25,741 (49)
	एम.ओ.पी	एक	280	85	195 (70)
कुल		**25**	**8,97,456.40**	**4,03,777**	**4,93,679.40 (55)**

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 25 आपूर्तिकर्ताओं ने आपूर्ति के लिए मांग की गई मात्रा का 55 प्रतिशत उपलब्ध नहीं कराया। मार्कफेड द्वारा जारी किये गये आपूर्ति आदेश प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण नहीं थे क्योंकि प्रति-प्रस्ताव के माध्यम से आपूर्ति के लिए मांगी गई मात्रा के विरूद्ध आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कम आपूर्ति की गई थी।

विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि यदि प्रति-प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्रा का उल्लेख किया गया तो अधिक दर वाले आपूर्तिकर्ता कम मात्रा में उर्वरक का प्रस्ताव करेंगे, जिससे उर्वरक आपूर्ति प्रभावित होगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने ऐसी धारणा का समर्थन करने के लिए कोई आकड़े/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया।

अनुशंसाएँ:

- *खरीद के लिए कॉम्पलेक्स उर्वरक का आकलन संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार होना चाहिए।*
- *मध्य प्रदेश शासन को आपूर्तिकर्ताओं के लिए प्रस्ताव शर्तों/अनुबंध में दंड का प्रावधान शामिल करना चाहिए और डिलीवरी इंडेंट में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित मात्रा भी अनुबंध में दी जानी चाहिए।*

अध्याय-4

वित्तीय प्रबंधन

अध्याय–4

वित्तीय प्रबंधन

4.1 उर्वरकों की खरीद हेतु वित्तीय व्यवस्था

मध्य प्रदेश शासन ने सहकारी क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों की खरीद के लिए आपूर्तिकर्ता कंपनियों को भुगतान करने हेतु ऋण लेने हेतु मार्कफेड को अवधि 2017-21 के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए ₹ 850 करोड़ और वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 600 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने का निर्णय[1] लिया। अवधि 2017-20 के दौरान, अपेक्स बैंक ने मार्कफेड के अनुरोध पर रासायनिक उर्वरक की खरीद के लिए स्वयं अपेक्स बैंक और 16 अन्य जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों (डी.सी.सी.बी.) के संघ में प्रत्येक वर्ष के लिए ₹ 825 करोड़ की नकदी ऋण सीमा स्वीकृत की। मार्कफेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को शीर्ष स्तर पर गठित ऋण परीक्षा समिति के समक्ष रखा गया और संघ की बैठक में सदस्य बैंकों के बीच हिस्सेदारी की सीमा तय की गई। वर्ष 2017-18 में वार्षिक ब्याज दर 10.75 प्रतिशत, वर्ष 2018-19 में 10.50 प्रतिशत और वर्ष 2019-20 में 10.25 प्रतिशत थी और ब्याज मासिक आधार पर लिया जाना था।

स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, नकदी ऋण सीमा शासकीय प्रत्याभूति के आधार पर स्वीकृत की गई थी और मार्कफेड को शासकीय प्रत्याभूति अपेक्स बैंक को प्रस्तुत करनी थी। हमने पाया कि अपेक्स बैंक के बार-बार अनुरोध (जून और नवंबर 2019, जनवरी और फरवरी 2020) के बावजूद, प्रबंध संचालक मार्कफेड ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए शासकीय प्रत्याभूति अपेक्स बैंक को प्रस्तुत नहीं की और उर्वरक की खरीद के लिए अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से ₹ 3,372.79 करोड़ का ऋण लिया।

अपेक्स बैंक ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 में ऋण जारी करने से पहले शासकीय प्रत्याभूति जमा कराना भी सुनिश्चित नहीं किया। इस प्रकार, दोनों संगठनों के अधिकारियों ने स्वीकृति की शर्तों का पालन नहीं किया ।

अवधि 2017-19 के दौरान नकदी ऋण सीमा के विरुद्ध आहरित किए गए ₹ 6,134.17 करोड़ में से, ₹ 345 करोड़ 16 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (सदस्य बैंक) में से पांच से और ₹ 580 करोड़ 10 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से और शेष ₹ 5,209.17 करोड़ अपेक्स बैंक से आहरित किये गए थे।

वर्ष 2018-19 में अन्य बैंकों से बिना ब्याज दर मांगे अपेक्स बैंक से अधिक ब्याज दर पर ऋण लेने पर वित्त विभाग ने आपत्ति (दिसम्बर 2018) जताई। इसके कारण मार्कफेड ने वर्ष 2019-20 में अपेक्स बैंक से साख सीमा के विरुद्ध केवल ₹ 93.43 करोड़ आहरित किया और अपेक्स बैंक के पास रखे गए ₹ 291.46 करोड़ की सावधि जमा रसीद के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाते हुए ₹ 230.36 करोड़ का ऋण आहरण किया और बिक्री आय ₹ 2,942.19 करोड़ का उपयोग आपूर्तिकर्ता कंपनियों को भुगतान करने के लिए किया।

अवधि 2020-22 के दौरान, मार्कफेड ने अन्य बैंकों से ब्याज दर की मांग करते हुए शासकीय प्रत्याभूति के विरुद्ध भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) से ₹ 8,077.53 करोड़ का ऋण आहरित किया।

अवधि 2017-22 के दौरान, मार्कफेड ने उर्वरकों की खरीद के लिए अपेक्स बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और सावधि जमा रसीद के विरुद्ध ₹ 14,535.49 करोड़ की ऋण राशि आहरित की । 31 मार्च 2022 तक, भारतीय स्टेट बैंक को ₹ 210 करोड़ का बकाया ऋण नहीं चुकाया गया था।

विभाग ने बताया (फरवरी 2024) कि मार्कफेड ने अपेक्स बैंक को शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वित्त विभाग ने ब्याज दरों के लिए निविदा आमंत्रित करने की जानकारी मांगी। इसके अलावा, मार्कफेड ने अपेक्स बैंक से राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने का अनुरोध किया।वर्ष 2018-19 के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्राप्त नहीं हुई और वर्ष 2019-20 में साख सीमा ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं लिया

[1] वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के लिए अप्रैल 2017 में, वर्ष 2020-21 के लिए अप्रैल 2020 में और वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए मई 2021 में।

गया। वर्ष 2020-21 से साख सीमा के विरुद्ध ऋण लेने हेतु ब्याज दर को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से निविदाएं/प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं।

4.2 बकाया वसूली

जिला विपणन अधिकारी (डी.एम.ओ.), मार्कफेड को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा प्राप्त उर्वरक के विरुद्ध जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (शाखा कार्यालय) का डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (मुख्य कार्यालय) को प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (मुख्य कार्यालय) को उसी दिन डिमांड ड्राफ्ट का समाशोधन करना आवश्यक था।

चयनित जिला विपणन अधिकारी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ने मार्कफेड को समय पर भुगतान नहीं किया। 15 जिलों में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक पर उर्वरक की लागत ₹ 37.37 करोड़[2] 08 दिसंबर 2023 तक बकाया थी। प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक ने भुगतान के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को समय-समय पर निर्देश जारी किए, तथापि, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ने डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होने के दिन ही भुगतान सुनिश्चित नहीं किया। प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक ने भुगतान में विलम्ब का कारण बैंक शाखा कार्यालयों में चलनिधि की कमी को बताया, जहां बकाया की वसूली धीमी थी और किसानों से ऋण की वसूली में विलम्ब से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की चलनिधि प्रभावित हुई।

चयनित जिलों में हमने देखा कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ने मार्कफेड को उर्वरक के मूल्य का भुगतान समय पर नहीं किया। आठ जिलों में अगले वर्षों में मार्कफेड को ₹ 20.84 करोड़[3] की बिक्री आय का भुगतान किया गया। जिला विपणन अधिकारी भोपाल ने वर्ष 2012-13 से पहले की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से उर्वरक की बकाया लागत ₹ 30.08 लाख की वसूली नहीं की। इसके अलावा, हमने देखा कि नौ जिलों के 22 चयनित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में 16,093 किसानों के विरूद्ध ₹ 52.42 करोड़ का बकाया ऋण/अतिदेय राशि (उर्वरक और अन्य ऋण) लंबित था।

हमने आगे देखा कि 38 जिलों में कृषि, उद्यानिकी और अन्य विभागों से वसूली के लिए (20 जनवरी 2023 तक) ₹ 8.54 करोड़[4] की बिक्री आय बकाया थी।

चूंकि मार्कफेड ने बैंकों से ऋण लेकर उर्वरक खरीदा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा उर्वरक की लागत का भुगतान न करने से आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान प्रभावित हुआ और ब्याज के भुगतान के रूप में अतिरिक्त वित्तीय बोझ (लगभग ₹ 5.38 करोड़)[5] पड़ा।

विभाग ने बताया (फरवरी 2024) कि मार्कफेड ने उच्च स्तरीय बैठकों में और समय-समय पर जिला कलेक्टरों, अपेक्स बैंक, प्रमुख सचिव सहकारिता, आयुक्त सहकारिता और पंजीयक सहकारी समितियाँ को पत्राचार के माध्यम से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से बिक्री की गई उर्वरकों की बकाया राशि की वसूली के लिए अनुरोध किया था। इसके अलावा, जिला स्तर पर जिला विपणन अधिकारी ने जिला कलेक्टरों की सभी बैठकों में बकाया राशि की वसूली के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।

विभाग ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा मार्कफेड को उर्वरकों की लागत का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसानों/विभागों से बकाया ऋणों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए।

---

[2] मार्च 2022 तक बकाया राशि ₹ 237.40 करोड़ से।

[3] बालाघाट- ₹ 495.90 लाख, भोपाल- ₹ 78.57 लाख, छिंदवाड़ा- ₹ 333.46 लाख, धार- ₹ 753.11 लाख, होशंगाबाद- ₹ 40.90 लाख, टीकमगढ़- ₹ 41.37 लाख, उमरिया- ₹ 33.44 लाख और सीधी- ₹ 307.45 लाख।

[4] कृषि (₹ 5.03 करोड़), उद्यानिकी (₹ 0.23 करोड़) और अन्य विभाग (₹ 3.28 करोड़)।

[5] ब्याज की गणना नवंबर 2023 तक बकाया राशि ₹37.37 करोड़ पर की गयी है।

4.3 आपूर्तिकर्ताओं से हानि की प्रतिपूर्ति नहीं करना

निविदा एवं अनुबंध के प्रावधान के अनुसार, यदि उर्वरक सब्सिडी या किसी अन्य मामले में परिवर्तन के कारण अधिकतम खुदरा मूल्य में कोई संशोधन होता है और इसके परिणामस्वरूप, अधिकतम खुदरा मूल्य कम हो जाती है तो ऐसे मामलों में अविक्रित उर्वरकों पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति/मार्कफेड गोदाम में प्रतिपूर्ति/बोझ या ऐसी कटौती उर्वरक आपूर्तिकर्ता द्वारा की जाएगी/वहन की जाएगी।

हमने पाया कि अवधि 2019-22 के दौरान, उर्वरकों के शेष स्टॉक को कम की गई दर/कम दर पर बिक्री के कारण मार्कफेड और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को ₹ 83.96 करोड़[6] की हानि हुई। ₹ 83.96 करोड़ की कुल हानि में से, ₹ 78.90 करोड़ की प्रतिपूर्ति कर ली गई थी और शेष ₹ 5.06 करोड़ की वसूली अभी भी आपूर्तिकर्ताओं से (दिसंबर 2023 तक) की जानी थी।

विभाग ने बताया (फरवरी 2024) कि अपेक्स बैंक से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति-वार/उत्पाद वार जानकारी प्राप्त करने में लगने वाले समय के कारण प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति स्तर पर हानि राशि के समायोजन में देरी हुई। शेष राशि की वसूली हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

4.4 उर्वरक विकास कोष

सहकारिता विभाग ने उर्वरक विक्रेता एजेंसियों अर्थात प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और मार्कफेड गोदाम के लिए अलग-अलग उर्वरकों की बिक्री मात्रा पर मार्जिन[7] तय किया। विक्रेता एजेंसियों द्वारा अर्जित मार्जिन राशि में से चार से दस रुपये प्रति एम.टी. मध्य प्रदेश सहकारी उर्वरक वितरण व्यवस्था एवं सदस्य विकास कोष के नियम के तहत बनाए गए उर्वरक विकास कोष (नवंबर 1983) के लिए थे।

कोष का उपयोग (i) सदस्य किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ को सहायता प्रदान करने, (ii) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लघु और सीमांत किसानों के लिए उर्वरक दर पर छूट, (iii) सदस्य किसानों और विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं और तकनीकी जानकारी प्रदान करने, (iv) बुनियादी ढांचे का विकास करना और समिति/विभाग स्तर पर फर्नीचर/फिक्सचर प्रदान करना और (v) निगरानी और पर्यवेक्षण आदि के लिए विभागीय अधिकारियों को वाहन सुविधाएं आदि प्रदान करने के लिए किया जाना था। उर्वरक विकास कोष का प्रबंधन पंजीयक सहकारी समितियाँ, भोपाल द्वारा किया जाना है।

प्रबंध संचालक, मार्कफेड के अभिलेखों की जांच से पता चला कि प्रबंध संचालक ने अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान उर्वरक विकास कोष को देय ₹ 6.95 करोड़ की मार्जिन राशि में से ₹ 4.72 करोड़ प्रेषित किया। शेष राशि ₹ 3.58 करोड़ (₹6.95 करोड़ में से ₹2.23 करोड़ और 2017-18 से पहले की अवधि से संबंधित ₹ 1.35 करोड़) में से, मार्कफेड ने अवधि 2022-24 के दौरान ₹ 2.10 करोड़ का भुगतान किया और ₹ 1.48 करोड़ का भुगतान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से बिक्री आय की वसूली न होने के कारण उर्वरक विकास कोष को नहीं किया गया।

---

[6] उर्वरक समन्वय समिति के निर्णय (जुलाई 2019) के अनुसार 31 जुलाई 2019 को डी.ए.पी. के शेष स्टॉक को कम दर पर और 31 जुलाई 2019 को शेष स्टॉक को 01 अगस्त 2019 से लागू नई दर पर बिक्री के कारण मार्कफेड और प्राथमिक कृषि साख समितियों को हानि हुई। इसी प्रकार, खरीफ और रबी 2019-20 में एन.पी.के. और रबी 2019-20 में डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. कम दर पर बिक्री की गई। इसके अलावा, 2020-21 में, 29 फरवरी 2020 को खरीफ 2020 की कम दर पर डी.ए.पी., एन.पी.के. और एम.ओ.पी. की बिक्री के कारण हानि हुई। 2021-22 में, डी.ए.पी. और एन.पी.के. 12:32:16 की दर में पुनरीक्षण के कारण हानि हुई।

[7] फरवरी 2014 से डी.ए.पी., पोटाश (एम.ओ.पी.), कॉम्प्लेक्स और एस.एस.पी. और आगे मई 2019 से यूरिया की बिक्री के आधार पर मार्जिन, रिलीज आर्डर पर अनुमत्य थी।

विभाग ने बताया (फरवरी 2024) कि उर्वरक विकास कोष के भुगतान के लिए ₹ 1.48 करोड़ की राशि बकाया थी।

(i) वाहन के उपयोग के लिए कोष का उपयोग

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंजीयक, सहकारी समितियाँ ने निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए कोष का उपयोग नहीं किया और वाहन उद्देश्यों के लिए कोष का 90 प्रतिशत (₹ 5.31 करोड़ में से ₹ 4.79 करोड़) का उपयोग किया। पंजीयक, सहकारी समितियां के अभिलेखों की जांच से पता चला कि पंजीयक ने अवधि 2017-22 के दौरान विभिन्न मदों अर्थात राज्य/जिला स्तर पर वाहन खरीद/रखरखाव, लेखन सामग्री, कार्यालय व्यय और किसान प्रशिक्षण/सेमिनार आदि पर ₹ 5.31 करोड़ व्यय किया। हमने देखा कि ₹ 5.31 करोड़ में से ₹ 2.77 करोड़ राज्य स्तर पर व्यय किए गए और ₹ 2.54 करोड़ (48 प्रतिशत) चालक के वेतन/वाहन के रखरखाव आदि के लिए संभागीय/जिला स्तर के कार्यालयों को जारी किए गए।इसके अलावा, राज्य स्तर पर व्यय किए गए ₹2.77 करोड़ में से 20 वाहनों पर ₹ 2.25 करोड़ का व्यय किया गया। हमने देखा कि वर्ष 2017-18 के दौरान, किसान प्रशिक्षण/सेमिनार पर केवल ₹ 5.10 लाख व्यय किए गए थे। पंजीयक ने सूचित किया (अक्टूबर 2022) कि वाहन पर किया गया व्यय कार्यालयीन कार्यों के लिए उपयोग किया गया था।

जैसा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करने, लघु और सीमांत किसानों के लिए उर्वरकों पर छूट और किसानों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने पर कोई व्यय (वर्ष 2017-18 को छोड़कर) नहीं किया गया।

विभाग ने निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उर्वरक कोष के उपयोग पर उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि, निर्गम सम्मलेन में अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने कहा कि इस मुद्दे की जांच की जाएगी। इसके अलावा, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग ने बताया (फरवरी 2024) कि उर्वरक विकास कोष का उद्देश्य उर्वरक वितरण की निगरानी और पर्यवेक्षण करना है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, भंडारण और वितरण की निगरानी और पर्यवेक्षण और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के साथ-साथ मार्कफेड के गोदामों के निरीक्षण के लिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आयुक्त सहकारिता एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों के स्तर पर वाहन क्रय किये गये तथा उर्वरक विकास कोष के उद्देश्य के अनुरूप व्यय किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोष का उपयोग मुख्य रूप से वाहनों के उपयोग के लिए किया गया था और उर्वरक विकास कोष के अन्य विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई थी।

(ii) उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होना

पंजीयक ने संभाग/जिला स्तरीय कार्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद वाहनों के उपयोग के लिए निधि जारी करने का निर्देश (नवंबर 2018) दिया। वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 25.71 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र 36 संभाग/जिला स्तरीय कार्यालयों से दिसम्बर 2023 तक प्राप्त नहीं हुए थे। पंजीयक, सहकारी समितियां, भोपाल ने जिलों/संभागों को प्रदान की गई राशि के विरूद्ध आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार, अवधि 2017-22 के दौरान जिलों को वांछित उद्देश्यों हेतु प्रदान किए गए ₹ 2.54 करोड़ का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया। इसके अलावा, पंजीयक ने संभागों/जिला कार्यालयों[8] को राशि जारी करना जारी रखा। पंजीयक ने सूचित किया (अक्टूबर 2022) कि जिलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

हालांकि, निर्गम सम्मलेन में अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने भी कहा कि इस मुद्दे की जांच की जाएगी।

[8] वर्ष 2021-22 में, संयुक्त आयुक्त इंदौर, उप पंजीयक, सहकारी समितियाँ आगर मालवा और सतना को पिछली तिमाही की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना निधि जारी की गई।

अनुशंसाएँ:

- *ऋण के संबंध में शासकीय प्रत्याभूति प्रस्तुत करने की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक और प्रबंध संचालक, मार्कफेड दोनों अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।*
- *ब्याज का बोझ कम करने के लिए मध्य प्रदेश शासन को अपने ऋण की अदायगी के लिए बकाया राशि की वसूली के प्रयास करने चाहिए।*
- *मध्य प्रदेश शासन को उर्वरक विकास कोष का उपयोग कोष के उद्देश्यों के अनुरूप विशिष्ट प्रयोजनों हेतु सुनिश्चित करना चाहिए।*

अध्याय-5

उर्वरक की आपूर्ति एवं वितरण

अध्याय-5

उर्वरक की आपूर्ति एवं वितरण

5.1 उर्वरक की आपूर्ति

प्रत्येक फसल मौसम की शुरुआत से पहले, मध्य प्रदेश शासन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डी.ओ.ए.एफ.डब्ल्यू), भारत सरकार को पांच उर्वरकों अर्थात यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी., कॉम्प्लेक्स और एस.एस.पी. की मांग प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार जोनल कांफ्रेंस में राज्य की उर्वरक आवश्यकता का आकलन करती है और राज्य की माह-वार आवश्यकता प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ उर्वरक का आवंटन करती है। राज्य भारत सरकार को माहवार आवश्यकता प्रस्तुत करता है। उर्वरक विभाग, भारत सरकार, राज्य के लिए मासिक कंपनी-वार और उर्वरक-वार (एस.एस.पी. को छोड़कर) आपूर्ति योजना जारी करता है। तदानुसार, उर्वरक कंपनियाँ सहकारी और निजी क्षेत्र के लिए उर्वरकों की आपूर्ति करती हैं। राज्य शासन राज्य के भीतर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश शासन राज्य स्तर पर एस.एस.पी. की उपलब्धता की व्यवस्था विनिर्माण कंपनियों/वितरकों से सीधे क्रय करके करती है।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि भारत सरकार एस.एस.पी. को छोड़कर डी.ए.पी., एम.ओ.पी., यूरिया और कॉम्प्लेक्स उर्वरक उपलब्ध कराती है। विभाग नियमित रूप से राज्य के भीतर उर्वरक व्यवस्था की समीक्षा करता है।

5.1.1 भारत सरकार द्वारा उर्वरकों की आपूर्ति की स्थिति

भारत सरकार के आवंटन और मासिक आपूर्ति योजना के अनुसार मध्य प्रदेश शासन को यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी. और कॉम्प्लेक्स की आपूर्ति प्राप्त हुई। भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप दी गई आवश्यकता, मासिक आपूर्ति योजना के अनुसार वास्तविक आवंटन, आपूर्ति और वितरण की स्थिति **तालिका 5.1** में दी गई है।

तालिका-5.1: उर्वरक की आवश्यकता और भारत सरकार के आवंटन की स्थिति

(मात्रा एल.एम.टी. में)

वर्ष	सीजन	आवश्यकता	आवंटन	आपूर्ति	भारत सरकार के आवंटन के विरूद्ध अधिक (+)/ कम (-) आपूर्ति	वितरण	आपूर्ति के विरुद्ध अधिक (+)/ कम (-) वितरण
2017-18	खरीफ	16.85	25.03	21.77	(-) 3.26 (13)	17.49	(-) 4.28
	रबी	20.05	22.90	21.27	(-) 1.63 (7)	19.36	(-) 1.91
	योग	**36.90**	**47.93**	**43.04**	(-) **4.89 (10)**	**36.85**	(-) 6.19
2018-19	खरीफ	17.55	28.86	19.43	(-) 9.43 (33)	21.11	(+) 1.68
	रबी	21.00	30.88	23.54	(-) 7.34 (24)	25.99	(+) 2.45
	योग	**38.55**	**59.74**	**42.97**	(-) **16.77 (28)**	**47.10**	**(+) 4.13**
2019-20	खरीफ	20.50	28.69	20.29	(-) 8.40 (29)	15.99	(-) 4.30
	रबी	23.25	32.73	26.18	(-) 6.55 (20)	32.33	(+) 6.15
	योग	**43.75**	**61.42**	**46.47**	(-) **14.95 (24)**	**48.32**	**(+) 1.85**
2020-21	खरीफ	21.00	26.50	25.75	(-) 0.75 (3)	23.18	(-) 2.57
	रबी	26.80	32.37	25.84	(-) 6.53 (20)	28.56	(+) 2.72
	योग	**47.80**	**58.87**	**51.59**	(-) **7.28 (12)**	**51.74**	**(+) 0.15**
2021-22	खरीफ	29.00	28.34	19.00	(-) 9.34 (33)	20.50	(+) 1.50
	रबी	31.65	29.97	25.44	(-) 4.53 (15)	26.71	(+) 1.27
	योग	**60.65**	**58.31**	**44.44**	(-) **13.87 (24)**	**47.21**	**(+) 2.77**

(स्रोत: विभागीय अभिलेख/जानकारी एवं एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि भारत सरकार ने उर्वरक की अधिक[1] मात्रा आवंटित की। हालाँकि, अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान भारत सरकार के आवंटन की तुलना में उर्वरक की आपूर्ति तीन से 33 प्रतिशत के बीच कम रही। हमने पाया कि वर्ष 2021-22 में उर्वरक की आपूर्ति 27 प्रतिशत (60.65 एल.एम.टी. की आवश्यकता के विरूद्ध 44.44 एल.एम.टी.) से काफी कम थी। राज्य शासन ने आवंटन के अनुसार यूरिया और डी.ए.पी. की आपूर्ति के लिए भारत सरकार को (खरीफ 2018, खरीफ 2020 से 2021 और रबी 2017-18 और 2019-22 के दौरान) पत्र भेजे, हालांकि, आपूर्ति में लगातार कमी बनी रही। हमने आगे पाया कि आपूर्ति योजना के अनुसार उर्वरक न मिलने के कारण आपूर्ति कम/अधिक रही, जिससे अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान वितरण प्रभावित हुआ।

विभाग ने बताया (जनवरी एवं फरवरी 2024) कि भारत सरकार ने आवंटित मात्रा की आपूर्ति के लिए प्रत्येक माह उर्वरक-वार/आपूर्तिकर्ता-वार मात्रा तय किया। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति विभिन्न कारकों जैसे जहाजों की उपलब्धता, बंदरगाह में जलवायु, रेक की उपलब्धता, अंतरराष्ट्रीय कीमत और अन्य राज्यों को आपूर्ति की प्राथमिकता पर निर्भर करती है और अधिकाशत: आपूर्ति इन कारकों के कारण प्रभावित हुई थी।

विभाग ने अवधि 2017-22 के दौरान किसी भी वर्ष खरीफ और रबी मौसम में उर्वरक की आपूर्ति में आपूर्तिकर्ता-वार/उर्वरक-वार बाधा को निर्दिष्ट किए बिना एक सामान्य उत्तर प्रदान किया।

5.1.1.1 मासिक आपूर्ति योजना की सूचना में विलंब

राज्य को उर्वरक के मौसमी आवंटन के बाद, भारत सरकार माह के दौरान आपूर्ति की जाने वाली उर्वरकों की मात्रा का उल्लेख करते हुए मासिक आपूर्ति योजना को सूचित करती है।

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अभिलेखों की जांच से पता चला कि अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान, भारत सरकार ने मासिक आपूर्ति योजना की सूचना या तो माह की शुरुआत के निकट अथवा प्रारंभ होने के बाद में दी। हमने पाया कि अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान पांच से आठ माहो के मामले में, मध्य प्रदेश शासन को मासिक आपूर्ति योजना की सूचना माह के प्रारंभ होने के निकट प्राप्त हुई। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 में पांच माहों के मामले में, मध्य प्रदेश शासन को माह की शुरुआत से दो से छह दिन बीत जाने के बाद मासिक योजना की सूचना प्राप्त हुई। आपूर्ति योजना की विलंब से सूचना देने के कारण उर्वरकों की आपूर्ति में देरी हुई क्योंकि हमने पाया कि आपूर्तिकर्ताओं ने माह के अंतिम सप्ताह में कुल आपूर्ति का 28 से 49 प्रतिशत आपूर्ति की। इसके अलावा, आपूर्ति योजना की समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण, उर्वरक वितरण में शामिल एजेंसियां आवश्यकता वाले स्थानों पर उर्वरकों के आगे वितरण की योजना नहीं बना सकी।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि भारत सरकार ने उर्वरक-वार/आपूर्तिकर्ता-वार उर्वरक ज्यादातर प्रत्येक माह के अंतिम दिन आवंटित किया।

5.1.1.2 उर्वरकों की कम आपूर्ति

भारत सरकार की मासिक आपूर्ति योजना के विरुद्ध उर्वरक की मासिक आपूर्ति के विश्लेषण से पता चला कि अवधि 2018-22[2] के दौरान, आपूर्तिकर्ताओं ने प्रत्येक माह के लिए निर्धारित आवंटित मात्रा की आपूर्ति नहीं की और आवश्यकता के विरूद्ध आपूर्ति में कमी चार प्रतिशत से 79 प्रतिशत के बीच रही।अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान आवश्यकता के विरूद्ध मौसम-वार आपूर्ति में कमी **तालिका 5.2** में वर्णित है।

[1] 2021-22 को छोड़कर जिसमें भारत सरकार का आवंटन राज्य की आवश्यकता से कम था।

[2] संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने 2017-18 के लिए भारत सरकार के आवंटन के विरुद्ध उर्वरक-वार मासिक आपूर्ति प्रदान नहीं की।

तालिका-5.2: आवश्यकता के विरूद्ध आपूर्ति में कमी की स्थिति (मात्रा एल.एम.टी. में)					
वर्ष	**मौसम**	**उर्वरक का नाम**	**आवश्यकता**	**आपूर्ति**	**कमी (प्रतिशतता)**
2017-18	रबी	डी.ए.पी.	5.00	4.49	0.51 (10)
		एम.ओ.पी.	0.50	0.48	0.02 (4)
2018-19	रबी	एम.ओ.पी.	0.50	0.35	0.15 (30)
2019-20	खरीफ	डी.ए.पी.	7.00	6.48	0.52 (7)
		कॉम्प्लेक्स	2.00	1.60	0.40 (20)
		एम.ओ.पी.	1.00	0.68	0.32 (32)
	रबी	एम.ओ.पी.	0.50	0.45	0.05 (10)
		कॉम्प्लेक्स	1.75	1.60	0.15 (9)
2020-21	खरीफ	एम.ओ.पी.	1.00	0.92	0.08 (8)
	रबी	डी.ए.पी.	6.55	5.07	1.48 (23)
2021-22	खरीफ	यूरिया	15.00	10.90	4.10 (27)
		डी.ए.पी.	11.00	5.90	5.10 (46)
		कॉम्प्लेक्स	2.00	1.53	0.47 (24)
		एम.ओ.पी.	1.00	0.65	0.35 (35)
	रबी	यूरिया	20.00	17.70	2.30 (12)
		डी.ए.पी.	8.50	4.70	3.80 (45)
		एम.ओ.पी.	0.80	0.17	0.63 (79)

(स्रोत: विभागीय अभिलेख/जानकारी एवं एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

इसके अलावा, उर्वरकों (यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी. और कॉम्प्लेक्स) की माहवार आपूर्ति की जांच से पता चला कि आपूर्तिकर्ताओं ने अवधि 2018-22[3] के दौरान आवश्यकता के विरूद्ध कम मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति की, जैसा कि **तालिका 5.3** में वर्णित है।

तालिका-5.3: आवश्यकता के विरूद्ध उर्वरकों की माहवार कम आपूर्ति						
क्र. सं.	**वर्ष**	**मौसम**	**माह के दौरान कम आपूर्ति की गई**	**माह का लक्ष्य (एल.एम.टी. में)**	**माह में आपूर्ति (एल.एम.टी. में)**	**कम आपूर्ति की सीमा (प्रतिशत में)**
1	2018-19	खरीफ	अप्रैल और मई	3.45-3.50	1.01-3.08	12 से 71
		रबी	अक्टूबर और दिसंबर	4.60-6.10	3.89-4.54	15 से 26
2	2019-20	खरीफ	अप्रैल, मई और अगस्त	3.50-3.95	1.47-3.45	11 से 58
		रबी	अक्टूबर	7.15	4.95	31
3	2020-21	खरीफ	अप्रैल	3.55	3.31	7
		रबी	अक्टूबर से दिसंबर	6.35-8.60	5.21-7.28	9 से 18
4	2021-22	खरीफ	अप्रैल से मई और अगस्त से सितम्बर	4.84-5.40	1.15-3.44	29 से 79
		रबी	अक्टूबर से दिसंबर	6.65-11.20	5.68-6.48	15 से 42

(स्रोत: विभागीय अभिलेख/जानकारी एवं एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

राज्य, मासिक आपूर्ति योजना के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप राज्य में उर्वरकों की आपूर्ति में सात से 79 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण कमी हुई। इसके अलावा, मौसम के पीक माह[4] में खरीफ में आपूर्ति पर्याप्त

[3] विभाग ने वर्ष 2017-18 के लिए उर्वरकों की माह-वार आपूर्ति प्रदान नहीं की।

[4] खरीफ के लिए-जुलाई से सितंबर तक और रबी के लिए-नवंबर और दिसंबर तक।

थी, परन्तु रबी 2018-19 और 2020-22 में 15 से 35 प्रतिशत तक की कम आपूर्ति थी। उर्वरकों की आपूर्ति में अत्यधिक कमी के कारण उर्वरकों की समय पर उपलब्धता प्रभावित हुई।

इसके अलावा सर्वेक्षण में, धार और सिवनी के चार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और बालाघाट और सिवनी जिले के दो विपणन समितियों ने किसानों द्वारा आंदोलन/हिंसा के बारे में सूचना दी। दो निजी खुदरा विक्रेताओं और तीन थोक विक्रेताओं ने उर्वरक न मिलने पर किसानों द्वारा आंदोलन करने की सूचना दी।

निर्गम सम्मलेन में, अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने कहा कि उर्वरकों की अत्यधिक मांग के कारण पीक मौसम के दौरान आपूर्ति में कमी हुई। इसके अलावा, आपूर्ति भारत सरकार पर निर्भर है और विभाग इसमें सुधार करने का प्रयास करेगा।

इसके अलावा, विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि कंपनियों ने भारत सरकार द्वारा तय आवंटित मात्रा की आपूर्ति के लिए प्रत्येक माह के लिए उर्वरक-वार/आपूर्तिकर्ता-वार योजना के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति की। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति विभिन्न कारकों जैसे जहाजों की उपलब्धता, बंदरगाह में जलवायु, रेक की उपलब्धता, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और अन्य राज्यों को आपूर्ति की प्राथमिकता पर निर्भर करती है, तथा अधिकांशतः आपूर्ति इन कारकों के कारण प्रभावित हुई।

विभाग ने अवधि 2017-22 के दौरान किसी भी वर्ष खरीफ और रबी मौसम में उर्वरक की आपूर्ति में आपूर्तिकर्ता-वार/उर्वरक-वार बाधा को निर्दिष्ट किए बिना एक सामान्य उत्तर प्रदान किया।

5.1.1.3 जिलों को उर्वरकों की कम/अधिक आपूर्ति

भारत सरकार ने सम्पूर्ण राज्य के लिए प्रत्येक माह के लिए उर्वरक आवंटित किया। जिलों में उर्वरक की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, मध्य प्रदेश शासन को विभिन्न उर्वरकों अर्थात यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी. आदि की जिले-वार मासिक आवश्यकता को दर्शाते हुए संचलन योजना तैयार करने की आवश्यकता थी। संचलन योजना जिलों की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करती।

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग और प्रबंध संचालक, मार्कफेड के अभिलेखों की जांच से पता चला कि न तो संचालक और न ही प्रबंध संचालक, मार्कफेड ने जिलों में उर्वरक की आवश्यक मात्रा की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिलेवार मासिक संचलन योजना तैयार की। जिलों की आवश्यकता के अनुसार जिला-वार संचलन योजना के आभाव में, हमने अवधि 2018-22 के दौरान चयनित 10 जिलों में उर्वरकों (यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी. और कॉम्प्लेक्स) की अधिक/कम आपूर्ति पाई, जैसा कि **तालिका 5.4** में वर्णित है।

तालिका-5.4: आवश्यकता के विरुद्ध उर्वरकों की कम/अधिक आपूर्ति का जिलेवार विवरण
(मात्रा एल.एम.टी. में)

क्र. स.	उर्वरक का नाम	कम आपूर्ति की गई		अधिक आपूर्ति की गई	
		जिलों की संख्या	मात्रा	जिलों की संख्या	मात्रा
1.	डी.ए.पी.	10	1.35	--	--
2.	एम.ओ.पी.	10	0.27	--	--
3.	यूरिया	06[5]	0.97	04[6]	0.26
4.	कॉम्प्लेक्स	04[7]	0.11	06[8]	0.20

(स्रोत: विभागीय अभिलेख/जानकारी एवं एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

स्पष्टतः, जिलों में उर्वरकों के प्रभावी वितरण के लिए संचलन योजना तैयार न किये जाने के परिणामस्वरूप जिले में उर्वरकों की आपूर्ति कम/अधिक हुई।

इसके अलावा, चयनित 10 जिलों में उर्वरकों की आवश्यकता, आपूर्ति और वितरण की स्थिति **तालिका 5.5** में दी गई है।

[5] बालाघाट, छिंदवाड़ा, धार, होशंगाबाद, टीकमगढ़ और उमरिया।

[6] अलीराजपुर, भोपाल, सिवनी और सीधी।

[7] अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, धार और सीधी।

[8] बालाघाट, भोपाल, होशंगाबाद, सिवनी, टीकमगढ़ और उमरिया।

तालिका-5.5: चयनित जिलों में उर्वरकों की आवश्यकता, आपूर्ति एवं वितरण (मात्रा एल.एम.टी. में)						
वर्ष	**मौसम**	**आवश्यकता**	**आपूर्ति**	**अधिक (+)/ कम (-) आपूर्ति**	**वितरण**	**आपूर्ति के विरूद्ध अधिक (+)/ कम (-) वितरण**
2017-18[9]	खरीफ	3.83	5.24	(+) 1.41	4.70	(-) 0.54
	रबी	4.05	4.56	(+) 0.51	3.81	(-) 0.75
	योग	**7.88**	**9.80**	**(+) 1.92**	**8.51**	**(-) 1.29**
2018-19	खरीफ	4.38	5.05	(+) 0.67	5.80	(+) 0.75
	रबी	4.20	4.51	(+) 0.31	4.94	(+) 0.43
	योग	**8.58**	**9.56**	(+) **0.98**	**10.74**	(+) **1.18**
2019-20	खरीफ	5.36	5.11	(-) 0.25	4.49	(-) 0.62
	रबी	4.38	5.14	(+) 0.76	6.34	(+) 1.20
	योग	**9.74**	**10.25**	(+) **0.51**	**10.83**	(+) **0.58**
2020-21	खरीफ	5.37	5.75	(+) 0.38	5.69	(-) 0.06
	रबी	5.21	5.18	(-) 0.03	5.29	(+) 0.11
	योग	**10.58**	**10.93**	(+) **0.35**	**10.98**	(+) **0.05**
2021-22	खरीफ	7.01	4.20	(-) 2.81	4.83	(+) 0.63
	रबी	5.99	4.73	(-) 1.26	4.97	(+) 0.24
	योग	**13.00**	**8.93**	**(-) 4.07**	**9.80**	(+) **0.87**

(स्रोत: विभागीय अभिलेख/जानकारी एवं एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

तालिका 5.5 से यह देखा जा सकता है कि चयनित जिलों में उर्वरकों की आपूर्ति अधिक/कम रही जो जिले-वार मासिक संचलन योजना तैयार न करने के कारण थी। इस प्रकार, राज्य स्तरीय प्राधिकारियों और जिला अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में उर्वरकों की आपूर्ति की पर्याप्त योजना नहीं बनाई, जिसके परिणामस्वरूप जिलों में उर्वरकों की आपूर्ति कम/अधिक हुई।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि मार्कफेड गोदाम और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में उर्वरक के भंडारण और उर्वरक की उनकी मांग की नियमित समीक्षा क्षेत्रीय अधिकारियों अर्थात मार्कफेड और अपेक्स बैंक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाती है और तदानुसार जिलों को आपूर्ति की जाती है। आगे बताया गया कि जिलों को उर्वरकों की कम/अधिक आपूर्ति बंदरगाह में उर्वरक की उपलब्धता पर निर्भर करती है और बंदरगाह में समय पर जहाज के न पहुंचने या अधिक जहाज के पहुंचने के कारण आपूर्ति प्रभावित होती है। विभाग ने आगे बताया कि वर्तमान में पिछले वर्ष की बिक्री मात्रा के आधार पर जिला-वार/माह-वार रेक संचलन योजना तैयार की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अवधि 2017-22 के दौरान जिलों में रेक संचलन के लिए मासिक योजना तैयार नहीं की जा रही थी, जिसके कारण जिलों को उर्वरकों की कम/अधिक आपूर्ति हुई। इसके अलावा, वर्तमान में तैयार की जा रही रेक संचलन योजनाएं जिलों की वर्तमान आवश्यकता के बजाय जिले की पिछले वर्षों की बिक्री मात्रा पर आधारित हैं।

5.1.2 सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.) की आपूर्ति की स्थिति

मध्य प्रदेश शासन ने विनिर्माण कंपनियों/वितरकों से सीधे क्रय करके राज्य स्तर पर एस.एस.पी. की उपलब्धता की व्यवस्था की। अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य में एस.एस.पी. की आवश्यकता, आपूर्ति और वितरण की स्थिति **तालिका 5.6** में दी गई है।

[9] विभाग ने आपूर्ति आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया। अत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उर्वरकों के उपलब्ध शेष को आपूर्ति मान लिया गया।

तालिका-5.6: राज्य में एस.एस.पी. की आवश्यकता, आपूर्ति और वितरण की स्थिति (मात्रा एल.एम.टी. में)					
वर्ष	**आवश्यकता**	**आपूर्ति**	**आवश्यकता के विरुद्ध अधिक (+)/ कम (-) आपूर्ति (प्रतिशत में)**	**वितरण**	**आपूर्ति के विरूद्ध अधिक (+)/ कम (-) वितरण**
2017-18	10.50	6.33	(-) 4.17 (40)	5.41	(-) 0.92
2018-19	12.00	9.54	(-) 2.46 (21)	11.07	(+) 1.53
2019-20	9.00	10.45	(+) 1.45 (16)	10.49	(+) 0.04
2020-21	9.00	10.85	(+) 1.85 (21)	10.45	(-) 0.40
2021-22	12.00	11.71	(-) 0.29 (2)	12.26	(+) 0.55
योग	**52.50**	**48.88**	**(-) 3.62 (7)**	**49.68**	**(+) 0.80**

(स्रोत: विभागीय अभिलेख/जानकारी एवं एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

इसके अलावा, अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान चयनित 10 जिलों में एस.एस.पी. की आवश्यकता, आपूर्ति और वितरण **तालिका 5.7** में दिया गया है।

तालिका-5.7: चयनित जिलों में एस.एस.पी. की आवश्यकता, आपूर्ति और वितरण की स्थिति (मात्रा एल.एम.टी. में)					
वर्ष	**आवश्यकता**	**आपूर्ति**	**आवश्यकता के विरुद्ध अधिक (+)/ कम (-) आपूर्ति (प्रतिशत में)**	**वितरण**	**आपूर्ति के विरूद्ध अधिक (+)/ कम (-) वितरण**
2017-18	1.78	1.17	(-) 0.61	1.16	(-) 0.01
2018-19	2.35	1.85	(-) 0.50	2.18	(+) 0.33
2019-20	1.77	1.96	(+) 0.19	2.00	(+) 0.04
2020-21	1.76	2.11	(+) 0.35	1.95	(-) 0.16
2021-22	2.24	2.29	(+) 0.05	2.42	(+) 0.13
योग	**9.90**	**9.38**	**(-) 0.52**	**9.71**	**(+) 0.33**

(स्रोत: विभागीय अभिलेख/जानकारी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

तालिका-5.6 और **5.7** से यह देखा जा सकता है कि राज्य ने वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के दौरान एस.एस.पी. की आवश्यकता को 12 एल.एम.टी. से घटाकर 9 एल.एम.टी. कर दिया, जबकि आपूर्ति और वितरण (10.45 एल.एम.टी. और 10.49 एल.एम.टी.) उच्च स्तर पर रहा। यह अवधि 2019-21 के दौरान विभाग द्वारा आवश्यकता के खराब आकलन को दर्शाता है। इसके अलावा, यह भी देखा जा सकता है कि अवधि 2017-19 के दौरान एस.एस.पी. की आपूर्ति आवश्यकता की तुलना में कम रही। इसके अलावा, अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान एस.एस.पी. के वितरण में 5.41 एल.एम.टी. से 12.26 एल.एम.टी. तक की वृद्धि हुई, साथ ही आपूर्ति में भी वृद्धि (6.33 एल.एम.टी. से 11.71 एल.एम.टी. तक) हुई। हालांकि, अवधि 2017-19 के दौरान आवश्यकता की तुलना में राज्य स्तर पर आपूर्ति 21 से 40 प्रतिशत तक कम रही, जो दर्शाती है कि विभाग किसानों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए एस.एस.पी. की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर सका।

इसके अलावा, अवधि 2018-22 के दौरान एस.एस.पी. की मासिक आपूर्ति की जांच से पता चला कि एस.एस.पी. की मासिक आपूर्ति नौ से 78 प्रतिशत तक कम रही।

विभाग ने कहा (जनवरी और फरवरी 2024) कि एस.एस.पी. की आपूर्ति आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सीधे बिक्री एजेंसियों को की गई थी। मार्कफेड द्वारा किये गए अनुबंध के अनुसार विक्रय मात्रा को भण्डारण मात्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है। किसानों ने बुआई के मौसम से पहले एस.एस.पी. का उपयोग किया, जिसके कारण पीक मौसम में मांग कम होती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरक और कच्चे माल की कीमत बढ़ने तथा सब्सिडी में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण आपूर्तिकर्ता कम आपूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा, कुछ अवसरों पर पीक मौसम में रेलवे की समस्याओं के कारण रेक गंतव्य स्थान पर समय पर नहीं पहुंच सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस.एस.पी. की आपूर्ति सहकारी क्षेत्र में संयुक्त कार्यक्रम के अनुसार की गई थी जो बिक्री एजेंसियों की वर्तमान आवश्यकता पर आधारित थी। विभाग ने आवश्यकता के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की। आवश्यकता के विरूद्ध कम/अधिक आपूर्ति एस.एस.पी. के अनुचित आकलन को दर्शाती है जो पिछले वर्ष की खपत पर आधारित थी। इसके अलावा, एस.एस.पी. की आपूर्ति का अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों से कोई सीधा संबंध नहीं था क्योंकि एस.एस.पी. घरेलू निर्माताओं द्वारा प्रदान किया गया था।

इस प्रकार, आवश्यकता के अनुसार एस.एस.पी. की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गयी। माह-वार आवश्यकता के विरूद्ध कम आपूर्ति के कारण उर्वरकों की उपलब्धता प्रभावित हुई।

5.2 भंडारण

मार्कफेड और एमपी एग्रो के पास उर्वरक भंडारण के लिए 378 गोदाम हैं। इसके अलावा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पास उर्वरकों के भंडारण के लिए अपने गोदाम भी हैं।

5.2.1 गोदामों में उपलब्ध सुविधाएँ

आपूर्तिकर्ता कंपनियों से उर्वरकों की प्राप्ति के बाद, किसानों को वितरण तक उर्वरकों को मार्कफेड/एमपी एग्रो के गोदामों में संग्रहीत किया जाता है। इसके अलावा, विभागीय निर्देशों (अक्टूबर 2010) में उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर बिक्री दर, उपलब्ध स्टॉक, प्राधिकार पत्र आदि प्रदर्शित करने का प्रावधान किया गया। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/विपणन समितियों/मार्कफेड गोदामों को किसान को जारी किए गए उर्वरक की मात्रा को ऋण पुस्तिका (किसान के अधिकारों का अभिलेख) में दर्ज करना भी आवश्यक था।

इसके अलावा, चयनित 74 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/विपणन समितियों/ मार्कफेड/ एमपी एग्रो गोदामों और निजी खुदरा विक्रेताओं के निरीक्षण के दौरान, हमने पाया कि 13[10] प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/विपणन समितियों/मार्कफेड/एमपी एग्रो गोदामों और निजी खुदरा विक्रेताओं ने बिक्री दर, उपलब्ध स्टॉक, प्राधिकार पत्र आदि प्रदर्शित नहीं किया था और 23[11] प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/विपणन समितियों/ मार्कफेड/एमपी एग्रो गोदामों और निजी खुदरा विक्रेताओं ने सूचना पटल पर अधूरी जानकारी प्रदर्शित की थी।

हमने पाया कि 16 में से 13 मार्कफेड/एमपी एग्रो गोदामों और 17 में से चार निजी खुदरा विक्रेताओं के पास नगदी रहित लेन-देन के लिए बारकोड/क्यू.आर. कोड की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 41 में से 39 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं विपणन समितियों के पास बारकोड उपलब्ध नहीं था।

इसके अलावा, किसानों के हितग्राही सर्वेक्षण से पता चला कि 50 प्रतिशत किसानों के मामले में खुदरा विक्रेताओं ने ऋण पुस्तिका में किसानों को वितरित उर्वरकों का विवरण दर्ज नहीं किया था और दो प्रतिशत किसानों के मामले में प्रविष्टियां नियमित रूप से नहीं की गई थी।

सूचना पटल पर अपेक्षित जानकारी तथा कैशलेस भुगतान के लिए बारकोड/क्यू.आर. कोड की अनुपलब्धता किसानों के हित में नहीं थी।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि विक्रय केन्द्रों पर स्टॉक/मूल्य सूची प्रदर्शित करने और क्यू.आर. कोड सुविधाएं प्रदान करने के लिए संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा निर्देश जारी (दिसंबर 2023) किए गए हैं। भारत सरकार ने क्यू.आर. कोड सुविधाओं को अनिवार्य नहीं बनाया है और क्यू.आर. कोड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उर्वरक ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा प्रदान किया जाता है।

[10] पांच (31 में से) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, दो मार्कफेड गोदाम (11 में से), एक (पांच में से) एमपी एग्रो गोदाम, तीन (17 में से) निजी खुदरा विक्रेता और दो (10 में से) विपणन समितियां।

[11] 11 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, चार मार्कफेड गोदाम, एक एमपी एग्रो गोदाम, दो निजी खुदरा विक्रेता और पांच विपणन समितियां।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कैशलेस लेन-देन के लिए क्यू.आर. कोड सुविधा आवश्यक है और विभाग ने उर्वरक नियंत्रण आदेश[12] के खंड 4 के तहत आवश्यक बिक्री दर/उपलब्ध स्टॉक को प्रदर्शित करना सुनिश्चित नहीं किया।

5.2.2 अविक्रेय योग्य उर्वरकों का निपटान

उर्वरक नियंत्रण आदेश के खंड 23 में अमानक उर्वरकों के निपटान का प्रावधान है।

प्रबंध संचालक, मार्कफेड के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 42 जिलों के 129 मार्कफेड गोदामों में 4,789.556 एम.टी.[13] (₹ 6.03 करोड़[14]) अविक्रेय योग्य उर्वरक (1988-89 और 2021-22 के मध्य) रखे गए थे। प्रबंध संचालक, मार्कफेड ने स्टॉक के निपटान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। हमने यह भी पाया कि चयनित 10 जिलों में से सात में, 21 मार्कफेड गोदामों और नमूना जांच किए गए तीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और एमपी एग्रो गोदामों में 722.854[15] एम.टी. अविक्रेय योग्य उर्वरक पड़े थे। इस प्रकार, प्रबंध संचालक, मार्कफेड ने अविक्रेय योग्य 4,789.556 एम.टी. उर्वरक के निपटान के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक में और ह्रास के अलावा एक से चौंतीस वर्षों तक की अवधि के लिए अत्यधिक स्टॉक बेकार पड़ा रहा।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार अविक्रेय योग्य स्टॉक के निपटान के लिए समय-समय पर कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा, जिलों (जिला विपणन अधिकारी) से अविक्रेय योग्य उर्वरक की जानकारी मांगी जा रही है (नवंबर 2023) और जानकारी प्राप्त होने के बाद स्टॉक के निपटान की कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 4,789.556 एम.टी. उर्वरक निपटान के अभाव में मार्कफेड/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के स्टॉक में पड़ा हुआ था।

5.2.3 पी.ओ.एस. स्टॉक शेष और भौतिक शेष में विसंगति

उर्वरकों के भौतिक स्टॉक का मिलान एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली के अनुसार पी.ओ.एस. के स्टॉक शेष के साथ किया जाना चाहिए।

चयनित जिलों के 23[16] प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/विपणन समितियों/एमपी एग्रो गोदामों के स्टॉक के भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2022 से फरवरी 2023) में भौतिक स्टॉक और एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली स्टॉक शेष में 790.880 एम.टी. का अंतर पाया गया। विभिन्न इकाइयों में स्टॉक शेष में कारण-वार भिन्नता **तालिका 5.8** में दी गई है।

---

[12] उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 4 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक डीलर जो किसी उर्वरक की खुदरा बिक्री करता है या करने का प्रस्ताव करता है, उसे अपने व्यवसाय के स्थान पर (i) प्रत्येक दिन उसके पास मौजूद विभिन्न उर्वरकों के प्रारंभिक स्टॉक की मात्रा (ii) ऐसे उर्वरकों की कीमतों या दरों की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी।

[13] ए.एस. 56.016 एम.टी., डी.ए.पी. 1,501.519 एम.टी., कॉम्प्लेक्स 1,517.050 एम.टी., एम.ओ.पी. 36.900 एम.टी., एस.एस.पी. 347.250 एम.टी., यूरिया 1,234.086 एम.टी. और अन्य 96.735 एम.टी.।

[14] 1,310.351 एम.टी. उर्वरक की लागत की गणना रबी 2017-18 की क्रय दरों के आधार पर की गई है। इसके अलावा, मार्कफेड द्वारा क्रय दरें उपलब्ध न कराने के कारण कॉम्प्लेक्स 334.772 एम.टी. और अन्य उर्वरक 23.617 एम.टी. की लागत शामिल नहीं की गई।

[15] भोपाल (चार गोदाम, 20.250 एम.टी.), छिंदवाड़ा (तीन गोदाम, 19.500 एम.टी.), धार (पांच गोदाम, 137.141 एम.टी.), होशंगाबाद (पांच गोदाम, 274.085 एम.टी.), सिवनी (दो गोदाम, 68.800 एम.टी.), टीकमगढ़ (चार गोदाम, 14.878 एम.टी.) और उमरिया (एक गोदाम, 188.200 एम.टी.)।

[16] प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (16), विपणन समितियां (चार) और एमपी एग्रो (तीन)।

तालिका-5.8: स्टॉक शेष में भिन्नता के कारण दर्शाए गए हैं			
क्र. सं.	**स्टॉक में भिन्नता के कारण**	**उन इकाइयों की संख्या जिनमें स्टॉक में भिन्नता पाई गई**	**भौतिक और एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली स्टॉक में अंतर (एम.टी. में)**
1	पी.ओ.एस. डिवाइस का कार्य न करना	11	(-) 301.422
2	स्टॉक रजिस्टर अद्यतन नहीं होना	04	(-) 61.330
3	पी.ओ.एस. डिवाइस के माध्यम से बिक्री नहीं किया जाना	03	(-) 191.895
4	पी.ओ.एस. में शून्य स्टॉक	03	(+) 124.300
5	बिना अंगूठे का निशान लिए बिक्री किया जाना	01	(-) 10.710
6	अन्य कारण अर्थात अंगूठा लगाने के बाद भी सामान न उठाना और पावती आईडी न मिलना आदि।	12	(-) 101.223
योग			**790.880**

इस प्रकार, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/विपणन समितियों/एमपी एग्रो गोदामों ने नियमित अंतराल में स्टॉक का मिलान नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक में अत्यधिक अंतर हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा तर्क से सहमति जताई और कहा (जनवरी और फरवरी 2024) कि अधिक पारदर्शिता लाने के प्रयास किए जाएंगे और समय पर अभिलेख अद्यतन करने के लिए जोनल प्रबंधक/जिला विपणन अधिकारी को निर्देश जारी (दिसंबर 2023) किए गए हैं। विभाग ने आगे कहा कि एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली स्टॉक शेष को भौतिक स्टॉक के साथ मिलान करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

स्टॉक में यह विसंगति दर्शाती है कि विभाग ने अपने निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

5.2.4 अग्रिम भंडारण

मौसम के पीक अवधि में आपूर्ति में व्यवधान/विलंब के कारण उर्वरकों के स्टॉक में कमी से बचने और मांग में अचानक वृद्धि से निपटने के लिए, मध्य प्रदेश शासन ने किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक उर्वरकों की आपूर्ति और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रासायनिक उर्वरकों[17] के लिए अग्रिम भंडारण योजना (2012-13 के दौरान) शुरू की। मध्य प्रदेश शासन ने सहकारी क्षेत्र के लिए अग्रिम भंडारण सुनिश्चित करने के लिए मार्कफेड को अधिकृत (अप्रैल 2017, अप्रैल 2020 और मई 2021) किया तथा कृषि उत्पादन आयुक्त (ए.पी.सी.) को अग्रिम भंडारण के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया। खरीफ मौसम[18] के लिए अग्रिम भंडारण की अवधि 1 मार्च से 31 मई तथा रबी मौसम के लिए 1 अगस्त से 15 सितम्बर थी। मार्कफेड द्वारा अग्रिम भण्डारण पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जानी थी।

5.2.4.1 अग्रिम भण्डारण हेतु समिति का गठन न होना

अग्रिम भंडारण के नियमन के लिए पंजीयक, सहकारी समितियां द्वारा जारी निर्देशों[19] के अनुसार, जिला स्तर पर योजना की निगरानी के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में चार सदस्यों (उप संचालक, कृषि, जिला विपणन अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं उप पंजीयक सहकारिता) की एक समिति गठित की जानी थी। समिति (i) अग्रिम भंडारण के लिए आवश्यक उर्वरकों का प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति-वार आकलन कर जिला विपणन अधिकारी को आवश्यकता से अवगत कराने, (ii) जिला विपणन अधिकारी द्वारा मार्कफेड मुख्यालय से समन्वय कर आवश्यक उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने, (iii) भंडारण के लिए गोदाम की पहचान करने, (iv) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा मार्कफेड से एवं किसानों द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से उर्वरकों का प्रभावी उठाव करने, (v) कलेक्टर द्वारा अग्रिम भण्डारण की साप्ताहिक समीक्षा करने तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पंजीयक सहकारिता विभाग को भेजने के लिए उत्तरदायी थी।

[17] उर्वरक डी.ए.पी., कॉम्प्लेक्स, यूरिया और एम.ओ.पी. अग्रिम भंडारण में शामिल हैं।

[18] खरीफ 2017 के लिए, अवधि 1 अप्रैल से 31 मई थी।

[19] अप्रैल 2017, मार्च 2018, अगस्त 2018, मार्च 2019, अक्टूबर 2019, मई 2020 और मई 2021

चयनित जिलों के उप संचालक, कृषि, जिला विपणन अधिकारी और उप पंजीयक सहकारिता के अभिलेखों की जांच से पता चला कि समिति का गठन नहीं किया गया था।

इस प्रकार, कलेक्टर एवं जिला स्तरीय अधिकारियों ने अग्रिम भण्डारण हेतु उर्वरकों के आकलन एवं अग्रिम भण्डारण की साप्ताहिक समीक्षा हेतु उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं किया। परिणामस्वरूप, अग्रिम भण्डारण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका, जैसा कि आगामी कंडिका में चर्चा की गई है।

विभाग ने बताया (जनवरी एवं फरवरी 2024) कि साप्ताहिक बैठकों में समय-समय पर अग्रिम भण्डारण की स्थिति की समीक्षा की गई। विभाग ने आगे बताया कि अग्रिम भंडारण पर पंजीयक, सहकारी समितियों के निर्देशों के अनुसार आवश्यक समिति के तत्काल गठन के लिए जिला विपणन अधिकारी को पत्र जारी (दिसंबर 2023) किया गया।

तथ्य यह है कि विभाग ने जिला स्तर पर अग्रिम भंडारण की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए समिति का गठन और कार्यप्रणाली सुनिश्चित नहीं की।

5.2.4.2 अग्रिम भण्डारण का लक्ष्य एवं उपलब्धि

विभाग ने प्रत्येक वर्ष मार्कफेड, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं किसानों के लिए अग्रिम भंडारण का मौसम-वार लक्ष्य निर्धारित किया। राज्य में अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान मार्कफेड एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा अग्रिम भण्डारण के लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि[20] **तालिका 5.9** में दी गई है।

तालिका-5.9: राज्य में अग्रिम भण्डारण के लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि

(मात्रा एल.एम.टी. में)

वर्ष	मौसम	मार्कफेड		प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति	
		अग्रिम भंडारण का लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध वास्तविक भण्डारण (प्रतिशत)	अग्रिम भंडारण का लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध वास्तविक भण्डारण (प्रतिशत)
2017-18	खरीफ	6.00	6.85 (114)	4.82	3.72 (77)
	रबी	7.30	5.67 (78)	5.92	3.23 (55)
	योग	**13.30**	**12.52 (94)**	**10.74**	**6.95 (65)**
2018-19	खरीफ	8.90	7.14 (80)	6.90	3.62 (52)
	रबी	7.90	6.05 (77)	5.92	3.51 (59)
	योग	**16.80**	**13.19 (79)**	**12.82**	**7.13 (56)**
2019-20	खरीफ	9.40	7.89 (84)	7.15	3.93 (55)
	रबी	8.15	8.43 (103)	6.11	4.17 (68)
	योग	**17.55**	**16.32 (93)**	**13.26**	**8.10 (61)**
2020-21	खरीफ	9.40	7.91 (84)	7.15	3.99 (56)
	रबी	8.15	6.24 (77)	6.11	3.85 (63)
	योग	**17.55**	**14.15 (81)**	**13.26**	**7.84 (59)**
2021-22	खरीफ	9.40	5.15 (55)	7.15	0
	रबी	8.15	4.13 (51)	6.11	3.13 (51)
	योग	**17.55**	**9.28 (53)**	**13.26**	**3.13 (24)**

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

तालिका 5.9 से यह देखा जा सकता है कि अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान मार्कफेड ने अग्रिम भण्डारण के लिए 53 से 94 प्रतिशत के बीच लक्ष्य हासिल किया। अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान अग्रिम भंडारण के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि काफी कम रही जो 24 से 65 प्रतिशत के बीच थी। अग्रिम भण्डारण अवधि के दौरान उर्वरकों की आपूर्ति/क्रय न होने के कारण अग्रिम भण्डारण के लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि कम रही।

[20] अग्रिम अवधि भंडारण में अग्रिम अवधि प्रारंभ होने से पहले का शेष स्टॉक और अग्रिम अवधि के दौरान किया गया क्रय शामिल है।

हमने पाया कि विभाग ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान सहकारी क्षेत्र के लिए मार्कफेड को नोडल एजेंसी घोषित करने में विलंब किया। हमने आगे पाया कि वर्ष 2021-22 के दौरान, विभाग ने सीजन के अंत में अर्थात मई 2021 में (1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के दौरान अग्रिम भंडारण के लिए) मार्कफेड को नोडल एजेंसी घोषित किया। इससे अग्रिम भण्डारण प्रभावित हुआ क्योंकि अग्रिम अवधि के दौरान भण्डारण पर होने वाला व्यय विभाग के प्राधिकार के बिना मार्कफेड द्वारा वहन नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, विभाग ने अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान अग्रिम भंडारण (82.75 एल.एम.टी.) का लक्ष्य निर्धारित किया जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्य (77.09 एल.एम.टी.) से अधिक था।

प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक और मार्कफेड के पास लक्ष्य (अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान 45.24 एल.एम.टी.) के विरूद्ध किसानों द्वारा अग्रिम भंडारण के बारे में जानकारी नहीं थी।

इसके अलावा, चयनित जिलों में अभिलेखों की जांच से पता चला कि सभी 10 चयनित जिलों में मार्कफेड के लिए अग्रिम भंडारण के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध समस्त उपलब्धि 60 प्रतिशत से 87[21] प्रतिशत के बीच रही। चयनित जिलों में अग्रिम भंडारण के लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण **तालिका 5.10** में वर्णित है।

तालिका-5.10: चयनित जिलों में अग्रिम भण्डारण के लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि

(मात्रा एल.एम.टी. में)

वर्ष	मौसम	मार्कफेड[22]		प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति[23]	
		अग्रिम भंडारण का लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध वास्तविक भण्डारण (प्रतिशत)	अग्रिम भंडारण का लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध वास्तविक भण्डारण (प्रतिशत)
2017-18	खरीफ	0.96	0.71 (74)	0.72	0.39 (54)
	रबी	0.87	0.62 (71)	0.80	0.50 (63)
	योग	**1.83**	**1.33 (73)**	**1.52**	**0.89 (59)**
2018-19	खरीफ	2.08	1.73 (83)	1.30	0.83 (64)
	रबी	1.56	1.42 (91)	0.67	0.54 (81)
	योग	**3.64**	**3.15 (87)**	**1.97**	**1.37 (70)**
2019-20	खरीफ	2.54	1.81 (71)	1.87	1.08 (58)
	रबी	1.70	1.70 (100)	1.19	0.75 (63)
	योग	**4.24**	**3.51 (83)**	**3.06**	**1.83 (60)**
2020-21	खरीफ	2.42	1.55 (64)	1.76	1.10 (63)
	रबी	1.70	1.46 (86)	1.19	0.72 (61)
	योग	**4.12**	**3.01 (73)**	**2.95**	**1.82 (62)**
2021-22	खरीफ	2.44	1.20 (49)	0.89	0.51 (57)
	रबी	1.68	1.26 (75)	1.32	0.65 (49)
	योग	**4.12**	**2.46 (60)**	**2.21**	**1.16 (52)**

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

इसके अलावा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के गोदामों में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 52 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच थी। अग्रिम भण्डारण में कमी उर्वरकों की आवंटित मासिक मात्रा न मिलने के कारण थी। लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धियों में

[21] सात जिलों अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, धार, सीधी, सिवनी, टीकमगढ़ और उमरिया की उपलब्धि अवधि 2017-22 के दौरान 35 से 78 प्रतिशत के बीच थी और दो जिलों बालाघाट और भोपाल की उपलब्धि अवधि 2018-22 के दौरान क्रमशः 37 और 51 प्रतिशत थी। होशंगाबाद जिले ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया।

[22] जिला विपणन अधिकारी, मार्कफेड, भोपाल, होशंगाबाद और बालाघाट ने 2017-18 की जानकारी नहीं दी।

[23] जिला विपणन अधिकारी, मार्कफेड, भोपाल (वर्ष 2017-18 के लिए), होशंगाबाद (वर्ष 2017-18, 2018-19 और खरीफ 2021-22 के लिए), अलीराजपुर (वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए), उमरिया, सीधी (अवधि 2017-22 के लिए), सिवनी (खरीफ 2017, 2021 और रबी 2018-19) और टीकमगढ़ (खरीफ 2017 और वर्ष 2021-22) द्वारा अग्रिम भंडारण के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

महत्वपूर्ण कमी ने अग्रिम भंडारण के मूल उद्देश्य को ही विफल कर दिया, जो मौसम के पीक अवधि में आपूर्ति में व्यवधान/विलंब के कारण उर्वरकों के स्टॉक की कमी को दूर करने और मांग में अचानक वृद्धि से निपटने के लिए प्रदान किया जाता है।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि अग्रिम भंडारण के लिए लक्ष्य भारत सरकार द्वारा आवंटन से पहले तय किया गया था और अग्रिम भंडारण के लिए उर्वरक की उपलब्धता भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए उर्वरक पर निर्भर करती है। इसके अलावा, जिलों में उर्वरक रेक के संचालन के अनुसार अग्रिम भंडारण के लक्ष्य की प्राप्ति हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अग्रिम भंडारण अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य, विभाग द्वारा भारत सरकार को सूचित किये गये मासिक लक्ष्यों से अधिक था तथा विभाग ने भारत सरकार को अग्रिम भंडारण लक्ष्य की सूचना नहीं दी, ताकि अग्रिम भंडारण के लक्ष्यों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

5.3 उर्वरक का वितरण

प्रत्येक मौसम के लिए, कृषि उत्पादन आयुक्त (ए.पी.सी.) ने सहकारी और निजी क्षेत्र के बीच उर्वरक वितरण का प्रतिशत तय किया। उस आधार पर, संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग सहकारी और निजी क्षेत्र के लिए वितरण का जिले-वार और उर्वरक-वार लक्ष्य तय करते है। संभागों के जोनल प्रबंधक मार्कफेड सहकारी एवं निजी क्षेत्र के लिए तय प्रतिशत के आधार पर अपने नियंत्रण में विभिन्न जिलों के बीच रेक मात्रा का वितरण करते है।

5.3.1 सहकारी क्षेत्र की भूमिका

मध्य प्रदेश में, अपेक्स बैंक के तहत 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कार्य कर रहे हैं और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से जुड़ी 4,511 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां उर्वरक व्यवसाय कर रही हैं। चयनित 10 जिलों में आठ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से जुड़ी 737 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं।

5.3.1.1 स्वीकार्य ऋण सीमा से अधिक ऋण

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (मुख्य कार्यालय) उर्वरक व्यवसाय करने के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बंधक ऋण सीमा स्वीकृत करता है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (शाखा कार्यालय) ऋण सीमा के विरुद्ध ऋण स्वीकृत करके प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा क्रय किये गए उर्वरक के लिए मार्कफेड को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है।

नमूना जांच किए गए 10 जिलों में 31 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में से, दो जिलों में तीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों [24] के ऋण खाते की जांच से पता चला कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखाओं ने इन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान स्वीकृत ऋण सीमा (₹ 9.60 लाख से ₹ 60.00 लाख) से अधिक 189 अवसरों पर ऋण (₹ 10.28 लाख से ₹ 99.01 लाख) पर उर्वरक लेने की अनुमति दी थी। यह दर्शाता है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखाओं ने अपने मुख्यालय द्वारा निर्धारित ऋण सीमा की अनदेखी की।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2024) है।

5.3.2 माह-वार लक्ष्य के विरूद्ध उर्वरकों का वितरण

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने मौसम के लिए उर्वरक की माह-वार आवश्यकता भारत सरकार को भेजी, जिसके आधार पर भारत सरकार ने मासिक आवंटन आवंटित किया।

चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि उप संचालकों, कृषि (डी.डी.ए.) ने उर्वरक की माह-वार आवश्यकता का आकलन कर संचालक को नहीं भेजा। संचालक ने पिछले तीन-चार मौसम की खपत के आधार पर जिलों से आवश्यकता प्राप्त किये बिना स्वयं जिलों की आवश्यकता का आकलन किया। अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान विभिन्न महीनों में

[24] भोपाल (1. अमरावत कलां- स्वीकृत सीमा ₹ 50 लाख, प्रयुक्त सीमा-₹ 50.14 से ₹ 54.99 लाख, 37 बार 2. मिसरोद- स्वीकृत सीमा ₹ 60 लाख, प्रयुक्त सीमा ₹ 60.12 से ₹ 99.01 लाख, 90 बार) और सिवनी (धारना- स्वीकृत सीमा ₹ 9.60 लाख- ₹ 30 लाख, प्रयुक्त सीमा ₹ 10.28 से ₹ 65.41 लाख, 62 बार)।

उर्वरक-वार कमी की स्थिति ***परिशिष्ट-5.1*** में दी गई है। लक्ष्य प्राप्त न होने का मुख्य कारण आवश्यकता/लक्ष्य के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति न होना था।

अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में लक्ष्य से अधिक/कम वितरित किये गये प्रमुख उर्वरकों यूरिया एवं डी.ए.पी. की स्थिति **तालिका 5.11** में दी गयी है।

तालिका-5.11: अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में लक्ष्य से अधिक/कम वितरित प्रमुख उर्वरकों यूरिया एवं डी.ए.पी. की स्थिति

वर्ष	यूरिया				डी.ए.पी.				उन जिलों की संख्या जहां यूरिया और डी.ए.पी. दोनों अधिक वितरित किए गए
	अधिक वितरण		कम वितरण		अधिक वितरण		कम वितरण		
	जिलों की संख्या	अतिरिक्त वितरण का प्रतिशत	जिलों की संख्या	कम वितरण का प्रतिशत	जिलों की संख्या	अतिरिक्त वितरण का प्रतिशत	जिलों की संख्या	कम वितरण का प्रतिशत	
2017-18	24	दो से 73	26	दो से 29	22	दो से 89	27	दो से 44	13
2018-19	49	दो से 72	दो	तीन से 15	25	तीन से 65	21	तीन से 22	25
2019-20	45	दो से 57	तीन	चार से सात	28	दो से 46	18	दो से 40	25
2020-21	32	दो से 46	12	दो से 68	46	दो से 44	तीन	तीन से 29	31
2021-22	चार	चार से 20	46	पांच से 38	-	-	51	नौ से 65	-

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

हमने पाया कि यद्यपि संचालक ने वितरण के माह-वार लक्ष्य का आकलन किया, लेकिन ऐसे लक्ष्य का माह-वार/जिला-वार विभाजन तैयार नहीं किया। परिणामस्वरूप, अवधि 2017-21 के दौरान 13 से 31 जिलों में यूरिया और डी.ए.पी. दोनों की अधिक मात्रा वितरित की गई। नमूना जांच किए गए जिलों में, अलीराजपुर (2019-20), छिंदवाड़ा (2017-20), भोपाल (2017-19 और 2020-21), उमरिया (2018-21), टीकमगढ़ (2018-20), बालाघाट और सीधी (2020-21) और होशंगाबाद और सिवनी (2017-21) में अत्यधिक आपूर्ति देखी गई।

विभाग ने बताया (जनवरी एवं फरवरी 2024) कि वर्तमान में पिछले फसल मौसम में बिक्री मात्रा के आधार पर एक माह पहले भंडारण किया जा रहा है।

उत्तर अप्रासंगिक है क्योंकि विभाग ने लक्ष्य के माह-वार/जिला-वार विभाजन तैयार न करने के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

5.3.3 सहकारी एवं निजी क्षेत्र में वितरण का लक्ष्य एवं उपलब्धि

संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को फसल मौसम की शुरुआत से पहले सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच उर्वरकों के वितरण के लक्ष्य निर्धारित करना था।

संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अभिलेखों की जांच से पता चला कि संचालक ने सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच उर्वरक वितरण के लक्ष्य अवधि 2018-21 के दौरान खरीफ मौसम की शुरुआत के बाद 10 से 112 दिनों के विलंब से और अवधि 2019-21 के दौरान रबी मौसम की शुरुआत के बाद 11 से 25 दिनों के विलंब से तय किया। लक्ष्य निर्धारण में विलंब के कारण, प्रबंध संचालक, मार्कफेड मौसम के लिए क्रय का उचित आकलन नहीं कर सके और जिले अपनी आवश्यकता के लिए उचित योजना नहीं बना सके, जिसके परिणामस्वरूप उर्वरक की कम खरीद हुई जैसा कि **तालिका 5.12** में दिया गया है।

तालिका-5.12: अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान आवश्यकता के विरूद्ध सहकारी क्षेत्र में उर्वरकों की कमी

(मात्रा एल.एम.टी. में)

क्र. सं.	उर्वरक का नाम	कुल आवश्यकता	कुल क्रय	प्रारंभिक शेष	कुल उपलब्धता (आवश्यकता के विरुद्ध प्रतिशत)
1	एस.एस.पी.	28.85	16.59	0.02	16.61 (57.57)
2	कॉम्प्लेक्स	12.19	9.97	0.24	10.21 (83.76)
3	एम.ओ.पी.	4.21	2.31	0.11	2.42 (57.48)
4	डी.ए.पी.	37.91	35.79	1.04	36.83 (97.15)
5	यूरिया	75.82	74.66	0.80	75.46 (99.53)

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

इसके अलावा, अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान सहकारी और निजी क्षेत्र द्वारा प्रमुख उर्वरकों (ए.एस. को छोड़कर) के वितरण का लक्ष्य और वास्तविक वितरण **तालिका 5.13** में दिया गया है।

तालिका-5.13: सहकारी एवं निजी क्षेत्र में अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान लक्ष्य के विरूद्ध प्रमुख उर्वरकों (ए.एस. को छोड़कर) के वास्तविक वितरण की स्थिति

(मात्रा एल.एम.टी. में)

वर्ष	वितरण का लक्ष्य			लक्ष्य के विरूद्ध वास्तविक वितरण		
	सहकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	सहकारी क्षेत्र (प्रतिशत)	निजी क्षेत्र (प्रतिशत)	योग
2017-18	25.30	22.10	47.40	22.93 (91)	19.33 (87)	42.26
2018-19	26.85	23.70	50.55	26.18 (98)	31.99 (135)	58.17
2019-20	31.93	20.82	52.75	29.30 (92)	29.51 (142)	58.81
2020-21	30.99	25.81	56.80	30.65 (99)	31.54 (122)	62.19
2021-22	43.91	28.75	72.66	30.89 (70)	28.58 (99)	59.47

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि सहकारी क्षेत्र में लक्षित वितरण अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका। निजी क्षेत्र ने अवधि 2018-21 के दौरान लक्ष्य से अधिक वितरण किया। सहकारी क्षेत्र में कमी का कारण संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा लक्ष्य निर्धारित करने में देरी थी, जिसके परिणामस्वरूप सहकारी क्षेत्र के माध्यम से वितरण के लिए उपरोक्त लक्ष्यों के विरूद्ध क्रय (जैसा कि **कंडिका 3.1.1** में चर्चा की गई है) के लिए उचित योजना का अभाव था और वित्तीय कारणों से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा आवंटित मात्रा के उठाव में असमर्थता थी। निजी क्षेत्र में अधिक वितरण का कारण वितरण के लक्ष्य के विरुद्ध अधिक आपूर्ति थी। आवश्यकता से अधिक निजी क्षेत्र में आपूर्ति 2018-19 में 0.79 एल.एम.टी., 2019-20 में 6.33 एल.एम.टी. और 2020-21 में 3.21 एल.एम.टी. थी।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि शासन ने निजी और सहकारी क्षेत्र के बीच उर्वरकों के वितरण का अनुपात तय किया और कुछ अवसरों पर लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका क्योंकि उर्वरकों की आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की उपलब्धता के अनुसार की गई थी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि निजी क्षेत्र को आपूर्ति उनकी आवश्यकता से अधिक थी। इससे पता चलता है कि किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लक्ष्य के अनुसार उर्वरक प्राप्त करने में सहकारी क्षेत्र में अपर्याप्त प्रयास किये गये।

5.3.4 उर्वरक की बिक्री में कमियां

लेखापरीक्षा में उर्वरकों की बिक्री में निम्नलिखित कमी पाई गई:

5.3.4.1 बिक्री आय जमा करने में विलंब

मार्कफेड ने (जुलाई 2005) मार्कफेड गोदामों के प्रभारी को बिक्री आय उसी दिन जमा करने का निर्देश दिया। चयनित मार्कफेड गोदामों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि नमूना जांच किए गए सात जिलों में सात मार्कफेड गोदामों ने अवधि

2017-18 से 2021-22 के दौरान 197 मामलों में बिक्री आय उसी दिन जमा नहीं की। बिक्री आय जमा करने में विलंब से मार्कफेड पर ब्याज का बोझ पड़ सकता है।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि जिन बैंकों में बिक्री आय जमा करने के लिए बिक्री संग्रह खाते खोले गए थे, उन्होंने दोपहर 3.30 बजे तक नकदी जमा की, जबकि मौसम के दौरान मार्कफेड गोदामों द्वारा देर शाम को भी उर्वरक बिक्री की गई थी, जिसके कारण एकत्रित नकदी उसी दिन जमा नहीं हो सकी। इस संबंध में प्रबंध संचालक, मार्कफेड ने नवंबर 2022 में जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर बैंकों को शाम 5 बजे तक नकदी स्वीकार करने के निर्देश दिए थे। उत्तर से पता चलता है कि मार्कफेड उसी दिन मार्कफेड गोदामों द्वारा बिक्री आय का प्रेषण सुनिश्चित नहीं कर सका।

5.3.4.2 उर्वरकों की बिक्री मूल्य में भिन्नता

प्रबंध संचालक, मार्कफेड मौसम की शुरुआत में सहकारी क्षेत्र में विभिन्न उर्वरकों की बिक्री दर उर्वरक समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर निर्धारित करते हैं।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/गोदाम के अभिलेखों की जांच से पता चला कि उर्वरकों की वास्तविक बिक्री दर और प्रबंध संचालक, मार्कफेड द्वारा सहकारी क्षेत्र के लिए निर्धारित बिक्री दर में भिन्नता थी। बिक्री दर में भिन्नता का विवरण नीचे दिया गया है-

(i) उर्वरकों की अधिक दर पर बिक्री

प्रबंध संचालक, मार्कफेड ने डी.ए.पी., एन.पी.के. 12:32:16, एन.पी.के. 10:26:26 और एन.पी.के. 20:20:0:13 की दर को कम (अक्टूबर 2019) किया तथा नई दर 11 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुई तथा फरवरी 2020 तक दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को उपलब्ध स्टॉक को नई दर पर बेचने के लिए सूचित किया जाना था और किसानों को भी सूचित किया जाना था। दरों में परिवर्तन **तालिका 5.14** में दिया गया है।

तालिका-5.14: दरों में परिवर्तन का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	उर्वरक का नाम	पुरानी दर (प्रति बैग)	नई दर (प्रति बैग)	प्रति बैग अंतर
1	डी.ए.पी.	1,221.25	1,200	21.25
2	एन.पी.के. 12:32:16	1,210	1,185	25.00
3	एन.पी.के. 10:26:26	1,200	1,175	25.00
4	एन.पी.के. 20:20:0:13	997	975	22.00

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

हमने पाया कि छह जिलों में 17 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, विपणन समिति, एमपी एग्रो और मार्कफेड गोदामों ने किसानों को 1,155.00 एम.टी. उर्वरक अधिक दरों (उच्च दर का अंतर ₹ 8.45 लाख) पर बेचा। विवरण ***परिशिष्ट-5.2*** में दिया गया है।

(ii) बिक्री दर में भिन्नता

हमने पाया कि अवधि 2018-22 के दौरान पांच चयनित जिलों में नौ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों ने प्रबंध संचालक, मार्कफेड द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किसानों को उर्वरक नहीं बिक्री किया। विवरण **तालिका 5.15** में दिया गया है।

तालिका-5.15: बिक्री दर में भिन्नता का विवरण

(मात्रा एम.टी. में और राशि ₹ में)

क्र. सं.	उर्वरक का नाम	उच्च दर पर		कम दर पर	
		मात्रा	विक्रय मूल्य में अंतर	मात्रा	विक्रय मूल्य में अंतर
1	डी.ए.पी.	-	-	16.900	17,945
2	एम.ओ.पी.	1.550	977	-	-
3	यूरिया	2,601.735	1,92,666	-	-
4	एन.पी.के. 12:32:16	-	-	299.350	1,71,901
योग		**2,603.285**	**1,93,643**	**316.250**	**1,89,846**

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

विवरण ***परिशिष्ट-5.3*** में दर्शाया गया है।

विभाग ने बताया (जनवरी एवं फरवरी 2024) कि मार्कफेड ने प्रभावी अवधि के लिए निर्धारित बिक्री दरों का अनुपालन करने हेतु निर्देश जारी (दिसम्बर 2023) किये गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभाग द्वारा निर्धारित दरों से भिन्न दरों पर किसानों को उर्वरक बिक्री किए गये थे।

5.3.4.3 निर्धारित मात्रा से अधिक उर्वरक की बिक्री

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने किसानों को बिक्री किए जाने वाले विभिन्न उर्वरकों की मात्रा के बारे में उर्वरक की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट करते हुए कोई निर्देश जारी नहीं किया। इसके अलावा, उप संचालक, कृषि ने कहा कि उर्वरकों की बिक्री किसानों के क्षेत्र/कृषि योग्य क्षेत्र के अनुसार की जानी थी।

हालांकि, उप संचालक कृषि, जिला भोपाल के आदेश (सितंबर 2020) के अनुसार, किसानों को उनकी ऋण पुस्तिका में उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार प्रति हेक्टेयर पांच बोरी यूरिया और तीन बोरी डी.ए.पी. प्रदान किया जाना आवश्यक था। उमरिया जिले में भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा वितरण का समान प्रक्रिया अपनाई गई। वितरण के उपरोक्त मानदंडों को अपनाते हुए, लेखापरीक्षा ने भोपाल जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मिसरोद के अंतर्गत 20 सर्वेक्षण किए गए किसानों में से 15 और उमरिया जिले के दो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों करकेली (13 में से नौ किसान) और ददरौदी (12 में से पांच किसान) के अंतर्गत 25 सर्वेक्षण किए गए किसानों में से 14 की ऋण पुस्तिका के अनुसार भूमि क्षेत्र के अनुसार एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली पोर्टल आंकड़ो के अनुसार यूरिया और डी.ए.पी. की खरीद की जांच की। हमने पाया:-

- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मिसरोद, भोपाल के अंतर्गत सभी 15 किसानों द्वारा 16.951 एम.टी. यूरिया और 15 में से 12 किसानों द्वारा 6.564 एम.टी. डी.ए.पी. की अधिक खरीद की गई।
- इसी तरह, उमरिया जिले में, हमने पाया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, करकेली में तीन किसानों द्वारा 0.864 एम.टी. यूरिया और नौ में से पाँच किसानों द्वारा 1.612 एम.टी. डी.ए.पी. की अधिक खरीद पाई गई। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, ददरौदी के अंतर्गत, दो किसानों द्वारा 0.315 एम.टी. यूरिया और पाँच में से दो किसानों द्वारा 0.348 एम.टी. डी.ए.पी. की अधिक खरीद पाई गई।

इसके अलावा, शेष 16 किसानों (पांच किसान मिसरोद, चार किसान करकेली तथा सात किसान ददरौदी (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति)) को उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका, क्योंकि किसानों के ग्राम का पता एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर दिए गए पते से मेल नहीं खाता था।

5.3.5 उर्वरकों के स्टॉक शेष में हेरफेर

(i) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति अमरावत कलां, भोपाल

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/मार्कफेड गोदामों में प्राप्त उर्वरकों को तत्काल स्टॉक में लिया जाना चाहिए।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, अमरावत कलां के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 2018-22 के दौरान, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के प्रबंधक ने या तो स्टॉक में उर्वरकों की प्राप्ति नहीं ली अथवा उर्वरकों की बिक्री और अंतशेष स्टॉक में वृद्धि कर ₹ 14.45 लाख मूल्य के 126.980 एम.टी. उर्वरकों के स्टॉक में हेरफेर की। इसके अलावा, प्रबंधक ने स्टॉक रजिस्टर में अपने नाम तथा अपने सहायक के नाम पर उर्वरकों की बिक्री और कैश बुक में उनके विरूद्ध बकाया बिक्री आय का उल्लेख किया। समिति के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी यह राशि बकाया बिक्री के रूप में दर्शाई गई थी। इसके अलावा, समिति ने उर्वरकों की बिक्री के समर्थन में उधार बिक्री के लिए परमिट बुक/नकद बिक्री के लिए रसीद बुक प्रस्तुत नहीं की। संक्षिप्त स्थिति नीचे **तालिका 5.16** में दी गई है तथा विवरण ***परिशिष्ट-5.4*** में दिया गया है।

तालिका-5.16: उर्वरक-वार हेरफेर/संदेहास्पद बिक्री का विवरण पत्रक

क्र. सं.	उर्वरक का नाम	स्टॉक में हेरफेर			संदिग्ध बिक्री (अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया)		
		अवधि	मात्रा (एम.टी.)	राशि (₹ लाख में)	अवधि	मात्रा (एम.टी.)	अनुमानित लागत (₹ लाख में)
1	डी.ए.पी.	2018-22	35.850	8.60	2018-20	52.000	14.51
2	यूरिया	2018-22	85.125	5.04	2018-20	141.920	8.40
3	एस.एस.पी.	2018-22	4.450	0.27	2018-20	11.650	0.67
4	जिंक सल्फेट	2021-22	1.555	0.54	2019-20	0.070	0.02
योग			**126.980**	**14.45**		**205.640**	**23.60**

(ii) हमने चयनित 31 में से सात[25] प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में स्टॉक की तुलना में बिक्री अधिक होना, स्टॉक की कमी होना तथा स्टॉक में वृद्धि जैसी विसंगतियां भी पाई। उर्वरक-वार और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति-वार संक्षिप्त विवरण **तालिका 5.17** में दिया गया है तथा विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट-5.5*** में दिया गया है।

तालिका-5.17: स्टॉक में हेरफेर दर्शाने वाला विवरण

स्टॉक से ज्यादा बिक्री		स्टॉक में कमी		स्टॉक में वृद्धि	
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का नाम	मात्रा (एम.टी. में)	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का नाम	मात्रा (एम.टी. में)	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का नाम	मात्रा (एम.टी. में)
घाटली	0.100	घाटली	0.640	आंचलखेड़ा	1.050
		आंचलखेड़ा	21.120		
आंचलखेड़ा	3.480	सिरवाड़	26.205	बांकी	40.000
		बांकी	24.700		
ददरौदी	3.150	सुखतवा	0.850		
				मिसरोद	8.275
योग	**6.730**		**73.515**		**49.325**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के अभिलेख)

सहकारिता विभाग ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के निरीक्षण के लिए निर्देश जारी (सितम्बर 2002) किये। हालांकि, उप पंजीयक, सहकारिता ने इन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के निरीक्षण दर्शाने वाले अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। उप पंजीयक द्वारा निरीक्षण/भौतिक सत्यापन न किये जाने के कारण प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के अधिकारियों

[25] जिला होशंगाबाद के घाटली, आंचलखेड़ा, सिरवाड और सुखतवा, भोपाल के मिसरोद, जिला सिवनी के बांकी और जिला उमरिया के ददरौदी।

द्वारा स्टॉक में हेरफेर की गई। उपरोक्त घटनाएं दर्शाती है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, अमरावत कलां में हेरफेर से संबंधित जांच करने और स्थिति से अवगत कराने के लिए अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक को पत्र जारी किया (दिसंबर 2023) गया था।

5.3.6 रिलीज ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट जारी करने में विलंब

सहकारिता विभाग और मार्कफेड के निर्देशों (सितंबर 2020 और अक्टूबर 2021) के अनुसार, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा रेक प्वाइंट से उर्वरक की सीधी प्राप्ति के मामले में, स्टॉक प्राप्त होने के दो से तीन दिनों के भीतर रिलीज ऑर्डर (आर.ओ.)/डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) भेजना आवश्यक था। जिला विपणन अधिकारी को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से रिलीज ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट (आर.ओ./डी.डी.) प्राप्त होने पर वेयरहाउस रसीद (डब्ल्यू.एच.आर.) जारी करना आवश्यक है और आपूर्तिकर्ता कंपनियां वेयरहाउस रसीद में दर्शाए गए स्टॉक का सत्यापन करने के बाद डिस्पैच आई.डी. भेजेंगी। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां आपूर्तिकर्ताओं की डिस्पैच आई.डी. का उपयोग करके पीओएस में स्टॉक की पुष्टि करेंगे।

चयनित जिलों में अभिलेखों की जांच से पता चला कि अवधि 2018-22 के दौरान चार जिलों[26] में 10 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (135 मामले) में 4,115.115 एम.टी. के लिए रिलीज ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट जारी करने में एक से 212 दिनों के बीच का विलंब हुआ। इसके अलावा, तीन जिलों[27] (नौ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां) में 122 मामलों में रिलीज ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट जारी होने के दो से 74 दिनों के बीच 3,731.410 एम.टी. के लिए वेयरहाउस रसीद जारी किया गया। हमने आगे यह भी देखा कि अवधि 2019-22 के दौरान भोपाल जिले में आठ मामलों में, वेयरहाउस रसीद जारी होने के एक से 23 दिनों के बीच कंपनी का सत्यापन किया गया। रिलीज ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट जारी करने और कंपनी सत्यापन में विलंब के परिणामस्वरूप अवधि 2019-22 के दौरान आपूर्तिकर्ता कंपनियों द्वारा डिस्पैच आई.डी. जारी करने से पहले 11 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पांच जिलों[28]) ने 408.995 एम.टी. उर्वरक (बिक्री मूल्य ₹ 25.99 लाख) बिक्री कर दिया। इससे पीओएस और भौतिक स्टॉक के अनुसार स्टॉक में अंतर आ गया। इस प्रकार, जिला विपणन अधिकारी ने मुख्यालय के निर्देशों के अनुपालन की निगरानी नहीं की।

विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया और बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि स्टॉक प्राप्त होने के बाद वेयरहाउस रसीद जारी करने के निर्देश जारी किए गए थे। कुछ अवसरों पर, उर्वरक की सीधी आपूर्ति के मामले में रिलीज ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट जारी करने में विलंब के कारण वेयरहाउस रसीद जारी करने में विलंब हुआ। इसके अलावा, प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठकों में वेयरहाउस रसीद को तत्काल जारी करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

5.4 कारखानों/निगमों को उर्वरक की बिक्री

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग और प्रबंध संचालक, मार्कफेड के क्रमशः प्रमुख सचिव और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी और डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल को लिखे पत्र (सितंबर 2015 और दिसंबर 2019) के अनुसार, राज्य शासन गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उर्वरक प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं था। औद्योगिक विक्रेता गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उर्वरक प्रदान कर सकते हैं।

---

[26] बालाघाट (चार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, 2,304.415 एम.टी., 77 मामले, एक से 141 दिन), भोपाल (दो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, 676.20 एम.टी., 18 मामले, दो से 169 दिन), होशंगाबाद (एक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, 55 एम.टी., दो मामले, एक से 41 दिन) और सिवनी (तीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, 1,079.50 एम.टी., 38 मामले, दो से 212 दिन)।

[27] बालाघाट (चार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, 2,300.910 एम.टी., 76 मामले, दो से 74 दिन), भोपाल (दो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, 452 एम.टी., 13 मामले, दो से 20 दिन) और सिवनी (तीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, 978.50 एम.टी., 33 मामले, दो से 21 दिन)।

[28] अलीराजपुर (दो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, 43.70 एम.टी., राशि ₹ 2.57 लाख), बालाघाट (चार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, 72.150 एम.टी., राशि ₹ 4.57 लाख), भोपाल (दो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, 154.400 एम.टी., राशि ₹ 10.29 लाख), धार (एक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, 4.845 एम.टी., राशि ₹ 0.28 लाख) और सिवनी (दो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, 133.900 एम.टी., राशि ₹ 8.28 लाख)।

चयनित जिला विपणन अधिकारी और प्रबंधक, एमपी एग्रो के अभिलेखों की जांच से पता चला कि जिला विपणन अधिकारी और प्रबंधक, एमपी एग्रो ने चयनित 10 जिलों में से नौ में विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी निकायों/संस्थानों को ₹ 11.92 करोड़ की लागत का 8,263.135 एम.टी. उर्वरक (रासायनिक और जैविक /जैव-उर्वरक) बिक्री किया। अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान बिक्री किए गए उर्वरकों की जिलेवार स्थिति **तालिका 5.18** में दी गई है।

तालिका-5.18: अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान बिक्री किये गए उर्वरकों की जिलेवार स्थिति

जिलों का नाम	उर्वरकों का नाम	मात्रा (एम.टी. में)	उर्वरक की लागत (₹ लाख में)	वितरक का नाम
बालाघाट	डी.ए.पी., एस.एस.पी., यूरिया	57.675	6.01	जिला विपणन अधिकारी
	वर्मी कंपोस्ट और प्रोम	2,159.30	271.47	एमपी एग्रो
भोपाल	डी.ए.पी., एस.एस.पी., एम.ओ.पी., एन.पी.के. 12:32:16 और यूरिया	496.79	76.21	जिला विपणन अधिकारी
	डी.ए.पी., एस.एस.पी., एम.ओ.पी., एन.पी.के. और यूरिया	76.840	9.70	एमपी एग्रो
छिंदवाड़ा	डी.ए.पी., एस.एस.पी., एम.ओ.पी., एन.पी.के. 12:32:16, वर्मी कंपोस्ट और यूरिया	751.930	129.40	जिला विपणन अधिकारी
धार	डी.ए.पी., यूरिया, एम.ओ.पी. और एन.पी.के.	106.18	19.41	एमपी एग्रो
होशंगाबाद	डी.ए.पी., एस.एस.पी., एम.ओ.पी., और यूरिया	78.32	9.84	जिला विपणन अधिकारी
	डी.ए.पी., एस.एस.पी., एम.ओ.पी., और यूरिया	558.82	41.65	एमपी एग्रो
सीधी	डी.ए.पी., एस.एस.पी., एम.ओ.पी., एन.पी.के. 12:32:16, और यूरिया	361.065	67.48	जिला विपणन अधिकारी
सिवनी	डी.ए.पी., एस.एस.पी., एम.ओ.पी., प्रोम, वर्मी कंपोस्ट और यूरिया	648.87	67.14	जिला विपणन अधिकारी
	डी.ए.पी., एम.ओ.पी., प्रोम, एस.एस.पी. और यूरिया	2,366.05	393.26	एमपी एग्रो
टीकमगढ़	डी.ए.पी., एस.एस.पी., एम.ओ.पी., और यूरिया	84.805	17.07	जिला विपणन अधिकारी
उमरिया	डी.ए.पी., एस.एस.पी., एम.ओ.पी., एन.पी.के. 10:26:26 और यूरिया	407.140	65.85	जिला विपणन अधिकारी
	डी.ए.पी. और यूरिया	109.35	17.59	एमपी एग्रो
योग		**8,263.135**	**1,192.08**	

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

हमने पाया कि 8,263.135 एम.टी. उर्वरक में से सिवनी में 250.12 एम.टी. पशु चारा फैक्ट्री, बंडोल को, भोपाल में 6.375 एम.टी. दुग्ध संघ को तथा होशंगाबाद में 11.30 एम.टी. मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम को बिक्री किया गया। राज्य शासन ने एक विशेष मौसम के लिए फसल-वार क्षेत्र के आधार पर भारत सरकार को उर्वरकों की मांग भेजी और भारत सरकार ने प्रस्तावित क्षेत्र के अनुसार उर्वरकों पर सहमति प्रदान की। भारत सरकार को मांग भेजते समय इन संगठनों को उर्वरकों की बिक्री को ध्यान में नहीं रखा गया। इस प्रकार, जिला विपणन अधिकारी/एमपी एग्रो ने विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कारखानों/निगमों को उर्वरक बिक्री किया, जिससे जरूरतमंद किसान उर्वरकों से वंचित रह गये।

विभाग ने बताया (जनवरी एवं फरवरी 2024) कि विक्रेताओं के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने के लिए संबंधित संस्थाओं को पत्र जारी किया जायेगा। उप संचालक, कृषि और संबंधित संस्थाओं को जांच कर कार्रवाई करने के लिए पत्र जारी किये गये। इसके अलावा, किसानों के अतिरिक्त अन्य संस्थानों को उर्वरकों की बिक्री के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए जिला विपणन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए।

उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि जिले के अधिकारियों ने विभागीय निर्देशों का पालन नहीं किया।

5.5 जैव/जैविक उर्वरक का उपयोग

रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग ने पर्यावरण को प्रभावित किया है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर-शासकीय विज्ञान-नीति मंच (आई.पी.बी.ई.एस.) के अनुसार, सिंथेटिक उर्वरक से युक्त खेतों से पोषक तत्वों का अपवाह भूमि पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथ ही, कृषि गतिविधियों से निकलने वाला अमोनिया उत्सर्जन वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण के साथ मिलकर हवा में खतरनाक कण पैदा कर सकता है और श्वसन संबंधी बीमारियों को बढ़ा सकता है। फसल उत्पादन में उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों में उर्वरक का उपयोग भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैविक और जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों की जगह उनका उपयोग करना एक पर्यावरण अनुकूल हस्तक्षेप है जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगा और कृषि की लागत को कम करने की स्थान रखता है।

भारत सरकार के निर्देशों[29] में उर्वरक के संतुलित और एकीकृत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जैव-उर्वरक/जैविक उर्वरकों की मात्रा के आकलन का प्रावधान है।

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अभिलेखों की जांच से पता चला कि संचालक ने अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य में जैविक उर्वरक, जैव-उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्व आधारित उर्वरक के वितरण के लिए न तो अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किया और न ही सहकारी क्षेत्र के तहत वितरण के लिए जैव/जैविक उर्वरक के वितरण के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त की। इसके अलावा, संचालक ने अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान जोनल कॉन्फ्रेंस इनपुट में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जैविक उर्वरक के उपयोग का प्रस्ताव नहीं दिया। हमने आगे पाया कि भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 में खरीफ मौसम में 175.79 एल.एम.टी. और रबी मौसम में 136.47 एल.एम.टी. सिटी कम्पोस्ट के वितरण को मंजूरी दिया, हालांकि, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने सिटी कम्पोस्ट के उपयोग के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया और व्यवस्था नहीं की।

हमने पाया कि मार्कफेड ने जिलों से मांग प्राप्त किए बिना जैविक/जैव-उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन किया। मार्कफेड ने विभिन्न योजनाओं में वितरण के लिए प्रस्तावित जैविक एवं जैव-उर्वरकों के बारे में भी संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से भी जानकारी प्राप्त नहीं की। इस प्रकार, मार्कफेड ने जिलों से आवश्यकता की जानकारी एकत्र किए बिना प्रत्येक वर्ष एक सांकेतिक मात्रा का अनुमान लगाया। क्रय और बिक्री पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि जैव/जैविक उर्वरकों की कम मांग के कारण, इन उर्वरकों का वितरण मुश्किल हो गया और परिणामस्वरूप भंडारण कम किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने राज्य शासन को उर्वरक के संतुलित और एकीकृत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जैव/जैविक उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करने का निर्देश दिया था। उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से पता चला कि विभाग ने रासायनिक उर्वरक के विकल्प के रूप में जैविक/जैव-उर्वरक के उपयोग के लिए लक्ष्य जैसा कि जोनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अपेक्षित किया था निर्धारित नहीं किए थे।

5.5.1 जैव/जैविक उर्वरक की कम क्रय

प्रबंध संचालक, मार्कफेड के अभिलेखों की जांच से पता चला कि अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान प्रबंध संचालक ने अनुमानित मात्रा के विरूद्ध कम मात्रा में जैव/जैविक उर्वरक (जैविक खाद, फॉस्फेट युक्त जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट, सिटी कम्पोस्ट) क्रय किया। अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान आवश्यकता, प्रस्तावित मात्रा, जारी डिलीवरी इंडेंट और आवश्यक मात्रा के विरुद्ध क्रय की गई मात्रा की स्थिति **तालिका 5.19** में दी गई है।

[29] जोनल कॉन्फ्रेंस दिनांक 11 सितम्बर 2017, 25 सितम्बर 2018 एवं 12 फरवरी 2019 के कार्यवृत्त।

तालिका-5.19: अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान आवश्यकता, प्रस्तावित मात्रा, जारी डिलीवरी इंडेंट और आवश्यक मात्रा के विरुद्ध क्रय की गई मात्रा की स्थिति

(मात्रा एम.टी. में)

वर्ष	आवश्यक मात्रा	प्रस्तावित मात्रा	वह मात्रा जिसके लिए डिलीवरी इंडेंट दिए गए	क्रय की गई मात्रा	आवश्यकता के विरुद्ध क्रय नहीं की गई मात्रा (प्रतिशत)
2017-18	80,000	4,28,875	उपलब्ध नहीं	5,975	74,025 (93)
2018-19	80,000	8,89,500	86,462	17,651	62,349 (78)
2019-20	70,000	6,04,000	65,475	13,544	56,456 (81)
2020-21	70,000	3,57,700	1,03,412	16,130	53,870 (77)
2021-22	70,000	3,80,300	67,017	22,005	47,995 (69)

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

तालिका से स्पष्ट है कि पर्याप्त प्रस्ताव उपलब्ध होने के बावजूद मार्कफेड अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान आवश्यकता का केवल सात से 31 प्रतिशत तक ही क्रय कर सका। इसके अलावा, मार्कफेड ने आवश्यक मात्रा का 10 प्रतिशत जैविक खाद, 66 प्रतिशत फॉस्फेट युक्त जैविक खाद, वर्मी-कम्पोस्ट आवश्यक मात्रा का दो प्रतिशत क्रय किया तथा सिटी कम्पोस्ट क्रय नहीं की गई। उर्वरक-वार विवरण ***परिशिष्ट-5.6*** में दिया गया है।

विभाग ने बताया (जनवरी एवं फरवरी 2024) कि जैविक/जैव उर्वरकों के क्रय का लक्ष्य शासन स्तर पर तय नहीं किया गया था। इन उर्वरकों की वास्तविक मांग का अनुमान लगाना संभव नहीं है और इन उर्वरकों का क्रय मांग आधारित था और जिलों को आपूर्ति जिलों की मांग के अनुसार की गई थी।

तथ्य यह है कि क्रय किये गए जैव-उर्वरक की मात्रा, डिलीवरी इंडेंट की मात्रा की तुलना में अत्यधिक कम थी।

5.6 सूक्ष्म पोषक उर्वरक के क्रय में कमी

प्राथमिक उर्वरकों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जबकि द्वितीय उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक उर्वरक (एम.एन.एफ.) की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों को *ट्रेस* तत्व भी कहा जाता है, जिनकी कमी से खाद्यान्न की उपज पर समान रूप से प्रभावित कर सकती है। सूक्ष्म पोषक उर्वरक पौधों की कोशिकाओं में कई जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार पौधों की उत्पादकता बढ़ाते हैं।

प्रबंध संचालक, मार्कफेड के अभिलेखों की जांच से पता चला कि आवश्यकता के विरूद्ध सूक्ष्म पोषक उर्वरकों की कम मात्रा में क्रय और आपूर्ति की गई, जैसा कि **तालिका 5.20** में वर्णित है।

तालिका-5.20: सहकारी क्षेत्र हेतु आवश्यकता के विरूद्ध क्रय किये गये सूक्ष्म पोषक उर्वरक एवं विक्रय की गयी मात्रा की स्थिति

(मात्रा एम.टी. में)

वर्ष	आवश्यक मात्रा	प्रस्तावित मात्रा	क्रय की गई मात्रा	विक्रय की गई मात्रा
2017-18	9,500	उपलब्ध नहीं	4,079	4,697
2018-19	9,500	63,950	3,935	3,939
2019-20	17,000	95,400	1,131	1,123
2020-21	14,500	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	7,857	7,859
2021-22	14,500	78,050	8,933	8,919
योग	**65,000**	**2,37,400**	**25,935**	**26,537**

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

तालिका से स्पष्ट है कि पर्याप्त प्रस्ताव उपलब्ध होने के बावजूद मार्कफेड अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान आवश्यक मात्रा का केवल 40 प्रतिशत ही क्रय कर सका।

नमूना जाँच किए गए 10 जिलों में से सात[30] के जिला विपणन अधिकारी ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान 7,667.508 एम.टी. सूक्ष्म पोषक उर्वरक (जिंक सल्फेट 7,454.320 एम.टी. और बोरेक्स/बोरॉन-213.188 एम.टी.) के उपयोग की सूचना दी और अन्य तीन जिलों ने सूक्ष्म पोषक उर्वरक का उपयोग न करने की सूचना दी। हालांकि, 10 में से नौ उप संचालक, कृषि ने जिलों में विभिन्न योजनाओं के तहत सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण के बारे में सूचना नहीं दी। केवल उप संचालक, कृषि , टीकमगढ़ ने 0.120 एम.टी. (बेंटोनाइट सल्फर) के उपयोग की सूचना दी।

विभाग ने बताया (जनवरी एवं फरवरी 2024) कि जैविक/जैव उर्वरकों के क्रय का लक्ष्य शासन स्तर पर तय नहीं किया गया था। इन उर्वरकों की वास्तविक मांग का अनुमान लगाना संभव नहीं है और इन उर्वरकों का क्रय मांग आधारित था तथा जिलों को आपूर्ति जिलों की मांग के अनुसार की गई थी। कम क्रय का कारण इन उत्पादों की मांग कम थी।

इस प्रकार, प्रबंध संचालक, मार्कफेड राज्य में सूक्ष्म पोषक उर्वरकों की आवश्यक मात्रा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफल रहे।

5.6.1 कमी के अनुसार सूक्ष्म पोषक उर्वरक का उपयोग न होना

सूक्ष्म पोषक उर्वरक की मिट्टी की आवश्यकता और उपलब्ध कराए गये उर्वरक के विश्लेषण से पता चला कि चयनित 10 जिलों में से पांच में मार्कफेड ने अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान जिलों में कमी के अनुसार सूक्ष्म पोषक उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की। हमने पाया कि 2017-18 (मृदा परीक्षण इकाइयों द्वारा प्रतिवेदित) की तुलना में 2020-21[31]/2021-22 में पांच वर्षों में सूक्ष्म पोषक उर्वरक की कमी बढ़ गई। विवरण **तालिका 5.21** में दिया गया है।

तालिका-5.21: सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी बढ़ी और प्रदायित सूक्ष्म पोषक उर्वरक

क्र. सं.	जिलों का नाम	सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी कमी बढ़ी	उपलब्ध कराये गए उर्वरक	उपलब्ध नहीं कराये गए उर्वरक
1	भोपाल	जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरॉन	जिंक के लिए जिंक सल्फेट	अन्य कमी के लिए सूक्ष्म पोषक उर्वरक प्रदाय नहीं किया गया
2	होशंगाबाद	जिंक, आयरन और बोरॉन	जिंक के लिए जिंक और बोरॉन के लिए बोरॉन	आयरन के लिए सूक्ष्म पोषक उर्वरक उपलब्ध नहीं कराया गया
3	सीधी	बोरॉन	आवश्यक सूक्ष्म पोषक उर्वरक उपलब्ध नहीं कराये गये	सूक्ष्म पोषक उर्वरक प्रदाय नहीं किए गए थे
4	उमरिया	कॉपर, मैंगनीज और बोरॉन	आवश्यक सूक्ष्म पोषक उर्वरक उपलब्ध नहीं कराये गये	सूक्ष्म पोषक उर्वरक प्रदाय नहीं किए गए थे
5	छिंदवाड़ा	कॉपर और मैंगनीज	आवश्यक सूक्ष्म पोषक उर्वरक उपलब्ध नहीं कराये गये	सूक्ष्म पोषक उर्वरक प्रदाय नहीं किए गए थे

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि सूक्ष्म पोषक तत्व गैर-सब्सिडी वाले उर्वरक हैं और कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये। इसके अलावा, मिट्टी में पोषण की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए खाद्य एवं पोषण संरक्षण योजना के तहत सब्सिडी का प्रावधान है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि विभाग ने लक्ष्य और उपलब्धि के साथ योजना के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। इसके अलावा, मिट्टी में कमी को दूर करने के लिए जिलों में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व आधारित उर्वरक उपलब्ध कराने के प्रयास नहीं किए गए।

[30] भोपाल (जिंक सल्फेट-33.46 एम.टी.), होशंगाबाद (जिंक-728.75 एम.टी. और बोरॉन 20 एम.टी.), अलीराजपुर (जिंक सल्फेट 19 एम.टी. और बोरेक्स/बोरॉन 19.594 एम.टी.), धार (जिंक सल्फेट 328.460 एम.टी. और बोरेक्स 173.594 एम.टी.), बालाघाट (जिंक सल्फेट 1,490.25 एम.टी.), सिवनी (जिंक सल्फेट 4,836.15 एम.टी.) और उमरिया (जिंक सल्फेट 18.25 एम.टी.)।

[31] उमरिया और सीधी जिलों में वर्ष 2021-22 के दौरान सूक्ष्म पोषक उर्वरक की कमी का विश्लेषण नहीं किया गया।

इस प्रकार, विभाग राज्य में यूरिया और डी.ए.पी. के अत्यधिक उपयोग से हो रही मिट्टी के क्षरण को नियंत्रित करने के लिए किसानों को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध नहीं करा सका।

अनुशंसाएं:

- *मध्य प्रदेश शासन को जिलों की आवश्यकता के आधार पर माह-वार/जिला-वार संचलन आपूर्ति योजना तैयार करनी चाहिए तथा प्रभावी रेक संचलन के लिए इसे संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को भेजना चाहिए तथा विभिन्न जिलों में आपूर्ति में समानता बनाए रखने के लिए जिलों की मासिक आपूर्ति योजना के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को डिलीवरी इंडेंट जारी करना चाहिए।*

- *मध्य प्रदेश शासन को जिला स्तरीय समिति के माध्यम से उर्वरकों के अग्रिम भंडारण की निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।*

- *मध्य प्रदेश शासन को उर्वरक भंडार में हेरफेर करने वाले व्यक्तियों/कार्मिकों के विरूद्ध समय पर कार्रवाई करनी चाहिए।*

- *मध्य प्रदेश शासन को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जैविक/जैव उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक उर्वरकों की मात्रा की समीक्षा करनी चाहिए और जिलों की मिट्टी की स्थिति के अनुसार उनकी आवश्यकता के अनुसार इन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।*

अध्याय-6

उर्वरकों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र

अध्याय-6

उर्वरकों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र

उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधान के अनुसार, गुणवत्ता के मानक को पूर्ण करने वाले उर्वरकों को ही किसानों को बिक्री किया जाना चाहिए। राज्य शासन को उर्वरकों के निर्माताओं/आयातकों द्वारा गुणवत्ता वाले उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच करनी होती है और यदि उर्वरक अमानक/घटिया पाए जाते हैं, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई.सी. अधिनियम) के तहत कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से सशक्त है। अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरकों का प्रदाय सुनिश्चित करने वाली गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली प्रभावी और कुशल होनी चाहिए।

उर्वरक निरीक्षकों द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जाती है, जो उर्वरकों के यादृच्छिक नमूने लेते हैं और उन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजते हैं, जिसके बाद विश्लेषक प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच करते हैं।

6.1 गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण अधोसंरचना

मध्य प्रदेश में छह[1] राज्य नियंत्रित उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशालाएं (एफ.क्यू.सी.टी.एल.) थीं, जिनकी वार्षिक क्षमता 18,000 नमूनों का विश्लेषण करने की थी। वर्ष 2017-18 तक, चार प्रयोगशालाएँ थीं और वर्ष 2018-19 से दो[2] नई प्रयोगशालाएँ संचालन में आई। छह में से तीन प्रयोगशालाओं[3] में दोनों रासायनिक और सूक्ष्म पोषक उर्वरकों का विश्लेषण करने की सुविधाएं थीं और अन्य तीन में केवल रासायनिक उर्वरक का विश्लेषण करने की सुविधा थी। जैव-उर्वरक नमूने का विश्लेषण करने के लिए जबलपुर में भारत सरकार नियंत्रित एक उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला है।

6.1.1 जैव-उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना

विभाग ने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2020-21) के अंतर्गत इंदौर और भोपाल में दो जैव-उर्वरक प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए ₹ 4.02 करोड़ स्वीकृत (फरवरी 2021) किया। संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने मार्कफेड द्वारा किए जाने वाले सिविल कार्य के लिए दोनों प्रयोगशालाओं में से प्रत्येक के लिए ₹ 65 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति (जुलाई 2021) प्रदान की।

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने मार्च 2022 में प्रबंध संचालक, मार्कफेड को सिविल कार्य के लिए ₹ 1.30 करोड़ और कंप्यूटर और फर्नीचर आदि की क्रय के लिए ₹ 12 लाख जारी किया। इसी प्रकार, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जे.एन.के.वी.वी), जबलपुर को उक्त प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण/मशीनरी क्रय हेतु दो करोड़ रुपये जारी किए (मार्च 2022) गए। इस प्रकार, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने दोनों प्रयोगशालाओं के लिए ₹ 3.92 करोड़ के बजट प्रावधान में से ₹ 3.42 करोड़ जारी किया।

इसके अलावा, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने मार्कफेड के संशोधित अनुमान के अनुसार प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए ₹ 85 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान (मई 2022) की। यद्यपि दोनों कार्यों के लिए कार्यादेश जारी (अक्टूबर 2022 और जनवरी 2023) कर दिया गया था, लेकिन भोपाल और इंदौर में भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य शुरू नहीं किए जा सके। इसके अलावा, संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने इंदौर के स्थान पर कृषि फार्म फंदा, (भोपाल) और शासकीय कृषि विस्तार और प्रशिक्षण केंद्र, कोठी, उज्जैन में प्रयोगशाला के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान (फरवरी 2023) की। प्रबंध संचालक, मार्कफेड ने बताया कि पहले के कार्य आदेश को निरस्त करने और आगे की निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने प्रशासनिक विभाग होने के कारण प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की तथा मार्कफेड ने भी निविदा

---

1 भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन।

2 सागर और उज्जैन।

3 इंदौर, सागर और उज्जैन।

आमंत्रित करने तथा कार्य आदेश जारी करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की, जिसके कारण निर्माण कार्य में विलंब हुआ।

उपकरणों के विशिष्टियो को अंतिम रूप देने में विलंब (दिसंबर 2022) के कारण आवश्यक उपकरण नहीं क्रय किए गए। इसके अलावा प्रयोगशाला के संचालन के लिए आवश्यक पद सृजन की स्वीकृति शासन स्तर पर लंबित थी। संचालक ने बताया (फरवरी 2023) कि जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्तर पर उपकरणों के क्रय के लिए निविदा प्रक्रिया प्रक्रियाधीन थी।

परियोजना को वर्ष 2021-22 तक विस्तारित करने के संबंध में भारत सरकार की अनुमति के बावजूद, वर्ष 2020-21 में स्वीकृत परियोजना को परिचालित नहीं किया (फरवरी 2023) जा सका।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि भोपाल और उज्जैन में जैव उर्वरक प्रयोगशाला की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

6.1.2 नई उर्वरक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

विभाग ने छह[4] संभाग स्तरीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए ₹ 10 करोड़ स्वीकृत (दिसंबर 2012) किया। इसके अलावा, विभाग ने प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए विभिन्न संवर्गों के ग्यारह पद भी स्वीकृत किया। विभाग ने केन्द्रीय प्रयोगशाला के पत्र (मार्च 2015) के संदर्भ में निदेशक, केन्द्रीय उर्वरक प्रयोगशाला, फरीदाबाद को छह में से तीन प्रयोगशालाओं अर्थात् उज्जैन, सागर, होशंगाबाद (नर्मदापुरम) की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव (अगस्त 2016, नवम्बर 2016 एवं जनवरी 2017) भेजा।

निदेशक, केन्द्रीय उर्वरक प्रयोगशाला, फरीदाबाद द्वारा तीन प्रयोगशालाओं के निरीक्षण के बाद राज्य शासन ने भारत सरकार के अनुमोदन (जून 2018) से सागर और उज्जैन में प्रयोगशालाओं के संचालन को अधिसूचित (जुलाई 2018) किया। जबकि होशंगाबाद की प्रयोगशाला में निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार सुधार की आवश्यकता थी।

पुनः, राज्य शासन ने प्रयोगशाला होशंगाबाद और रीवा का प्रस्ताव निदेशक, केंद्रीय उर्वरक प्रयोगशाला, फरीदाबाद को अधिसूचना के लिए (दिसंबर 2019 और जनवरी 2021 के मध्य) भेजा, जो कि संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा अनुस्मारक (फरवरी 2022 और अक्टूबर 2023) जारी करने के बावजूद लंबित था। शहडोल में प्रयोगशाला के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा (अक्टूबर 2023) गया और मुरैना (चंबल संभाग) में प्रयोगशाला के लिए प्रस्ताव मशीनों और उपकरणों के क्रय में अनियमितताओं की जांच जारी होने के कारण नहीं भेजा (दिसंबर 2023 तक) गया।

शेष चार प्रयोगशालाएं 10 वर्ष से अधिक समय बीत जाने (2012 में स्वीकृत) के बावजूद संचालित नहीं की गई।

संचालक ने बताया (दिसम्बर 2023) कि होशंगाबाद, रीवा एवं शहडोल में प्रयोगशाला की अधिसूचना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

6.2 अनुमोदित प्रयोगशालाओं की अपर्याप्त परीक्षण क्षमता

प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि के बावजूद, नमूनों की न्यूनतम संख्या में भी परीक्षण करने की क्षमता में अत्यधिक कमी बनी हुई है।

अवधि 2017-22 के दौरान 60,652 नमूनों का विश्लेषण किया गया, जबकि उक्त अवधि के दौरान राज्य में 281 एल.एम.टी. उर्वरकों की खपत हुई। उर्वरक नियंत्रण आदेश के मानदंडों के अनुसार, एक नमूने में अधिकतम 100 एम.टी. उर्वरक को शामिल करने के लिए, अवधि 2017-22 के दौरान 2.81 लाख नमूनों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक था। प्रयोगशालाओं की कम क्षमता और राज्य में 57 प्रतिशत उर्वरक निरीक्षकों की कमी के कारण उर्वरकों की खपत की तुलना में नमूनों का विश्लेषण अपर्याप्त था। अवधि 2017-22 के दौरान उर्वरक की खपत के अनुसार राज्य को 18 प्रयोगशालाओं[5] की आवश्यकता थी।

---

[4] चंबल, होशंगाबाद (नर्मदापुरम), रीवा, सागर, शहडोल और उज्जैन।

[5] एक वर्ष में लगभग 56,000 नमूनों (पांच वर्षों में 2.81 लाख नमूने) का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। हालांकि, राज्य में मौजूदा छह परीक्षण प्रयोगशालाओं की कुल क्षमता प्रति वर्ष 18,000 है। इसलिए उर्वरक की खपत के अनुसार परीक्षण के लिए तीन गुना प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है।

विभाग ने बताया (जनवरी एवं फरवरी 2024) कि होशंगाबाद, रीवा एवं शहडोल में तीन प्रयोगशालाओं के संचालन के बाद नमूना विश्लेषण क्षमता की संख्या में वृद्धि होगी। इसके अलावा, प्रयोगशालाओं की विश्लेषण क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने तथा नई प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है।

तथ्य यह है कि परीक्षण की मौजूदा क्षमता राज्य में उर्वरकों की खपत के अनुसार आवश्यक क्षमता से काफी कम है।

6.2.1 प्रयोगशालाओं की क्षमता का कम उपयोग

संचालक द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य प्रयोगशालाओं की वार्षिक परीक्षण क्षमता तक सीमित था। प्रयोगशालाओं की क्षमता का भी पूरा उपयोग नहीं किया गया। वार्षिक विश्लेषणात्मक क्षमता की स्थिति और लक्ष्य के विरुद्ध विश्लेषित नमूनों की संख्या **तालिका 6.1** में दी गई है।

तालिका-6.1: वार्षिक विश्लेषणात्मक क्षमता की स्थिति और लक्ष्य के विरुद्ध विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या

वर्ष	प्रयोगशाला की संख्या	नमूनों का विश्लेषण करने की वार्षिक क्षमता	विश्लेषण के लिए लक्ष्य	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	उपयोग की गई क्षमता का प्रतिशत
2017-18	4	8,000	7,410	6,841	86
2018-19	6	10,200	9,610	7,861	77
2019-20	6	12,000	12,000	12,117	101
2020-21	6	15,000	19,525	17,286	115
2021-22	6	18,000	17,000	16,547	92
योग		**63,200**	**65,545**	**60,652**	96

(स्रोत: विभागीय अभिलेख/जोनल कांफ्रेंस इनपुट)

अवधि 2017-22 के दौरान, 63,200 की विश्लेषणात्मक क्षमता के विरुद्ध 60,652 नमूनों (96 प्रतिशत) का विश्लेषण किया गया। वर्ष 2019-21 का लक्ष्य वार्षिक क्षमता के बराबर या उससे अधिक तथा शेष वर्षों में क्षमता से कम था। अवधि 2019-21 में प्रयोगशालाओं की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया गया और शेष वर्षों के दौरान उनकी क्षमता के कम उपयोग का प्रतिशत आठ से 23 था क्योंकि 2019-21 को छोड़कर निर्धारित लक्ष्य प्रयोगशालाओं की क्षमता से कम थे।

विभाग ने कहा (जनवरी और फरवरी 2024) कि प्रयोगशालाओं की क्षमता का कम उपयोग नमूनों की कम प्राप्ति के कारण प्रतीत होता है। सीमित मानवशक्ति के साथ नमूनों का विश्लेषण संतोषजनक था। हालांकि, मौजूदा प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करके और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना करके विश्लेषण कार्य को बढ़ाया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उपरोक्त अवधि के दौरान प्रयोगशालाओं की क्षमता से कम लक्ष्य निर्धारित किए जाने के कारण मौजूदा प्रयोगशालाओं की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया।

6.3 प्रशिक्षण और मानवशक्ति में कमियाँ

उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 27एए/29एए के अनुसार उर्वरक निरीक्षकों और प्रयोगशाला विश्लेषकों के लिए प्रत्येक तीन वर्ष के बाद केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, (फरीदाबाद) या किसी क्षेत्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला[6] द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य है। संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने अवधि 2017-22 के दौरान केंद्रीय उर्वरक प्रयोगशाला फरीदाबाद में 26 उर्वरक निरीक्षकों (24 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और दो सहायक संचालक) और 10 प्रयोगशाला सहायक/ सहायक रसायनज्ञों के प्रशिक्षण के लिए आदेश जारी किया। लेकिन प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या की जानकारी संचालनालय में उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए जिलों में 126 निरीक्षकों (83 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी और 43 सहायक संचालक, कृषि) में से 59 ने आवधिक प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया। इसके अलावा, उर्वरक गुणवत्ता

[6] मुंबई, कल्याणी अथवा चेन्नई।

नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल में हमने पाया कि प्रयोगशाला में कार्य करने वाले तीन में से दो उर्वरक विश्लेषकों को आवधिक प्रशिक्षण नहीं मिला था। यह दर्शाता है कि विभाग ने अपने स्वयं के आदेशों और उर्वरक नियंत्रण आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि:

- छह प्रयोगशालाओं में विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत 67 पदों के विरुद्ध 27 (40 प्रतिशत) पद रिक्त थे।
- विश्लेषक के स्वीकृत 24 पद के विरुद्ध 14 (58 प्रतिशत) कार्यरत थे। सागर जिले में कोई विश्लेषक नहीं था और उज्जैन और इंदौर जिलों में चार की आवश्यकता के विरुद्ध एक से दो विश्लेषक थे।
- उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल को छोड़कर पांच प्रयोगशालाओं में स्वीकृत 14 पदों के विरुद्ध 12 प्रयोगशाला परिचारक/सहायक पद रिक्त थे। मानवशक्ति और प्रशिक्षण की कमी ने विश्लेषण कार्य को प्रभावित किया जैसा कि **कंडिका 6.5** में चर्चा की गई है।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि प्रयोगशाला विश्लेषकों और उर्वरक निरीक्षकों को उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला, फरीदाबाद में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी को विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभागीय कर्मचारियों से रिक्तियों की प्रतिपूर्ति संभव नहीं है। इसके अलावा, प्रयोगशालाओं में उर्वरकों की गुणवत्ता जांच करने के लिए योग्य एवं तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जो विभाग के कर्मचारियों द्वारा नहीं की जा सकती है।

6.4 नमूना विश्लेषण का लक्ष्य और उपलब्धि

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने 2021-22 को छोड़कर प्रत्येक मौसम के लिए उर्वरक नमूनों के विश्लेषण के लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किया। संचालक, के निर्देशानुसार (01 अप्रैल 2017) रेक पॉइंट एवं गोदामों से नमूने लिए जाने थे। नमूने मौसम की अग्रिम अवधि और पीक अवधि में लिए जाने चाहिए तथा मौसम के अंत में अधिक नमूने नहीं लिए जाने चाहिए, जिससे प्रयोगशाला में विश्लेषण में विलंब हो सकता है तथा नमूने प्रत्येक माह नियमित रूप से लिए जाने चाहिए। विनिर्माण इकाइयों से प्रत्येक मौसम में नमूने लिए जाने चाहिए तथा विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण वर्ष में दो बार किया जाना चाहिए। विनिर्माण इकाइयों से नमूने लेने के लिए अलग से निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। एस.एस.पी. और मिश्रण के नमूनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि उनकी गुणवत्ता में अधिक कमी है और यूरिया, डी.ए.पी. और कॉम्प्लेक्स के लक्ष्य के विरुद्ध उनके लक्ष्य को समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।

नमूना जांच किए गए जिलों में हमने पाया कि तीन[7] जिलों में जहां विनिर्माण इकाइयां थीं, केवल भोपाल जिले ने विनिर्माण इकाई से नमूने लेने के लिए अलग उर्वरक निरीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया। हमने पाया कि तीन उप संचालक, कृषि भोपाल, छिंदवाड़ा और धार ने निर्माताओं से 86 नमूने लिए थे। नमूने निर्देशानुसार रैक पॉइंट से नहीं लिए गए।

नमूना जांच किए गए जिलों में, अवधि 2017-22 के दौरान लिए गए 11,261 नमूनों में से 724 (छह प्रतिशत) नमूने अग्रिम अवधि में लिए गए, 6,766 नमूने (60 प्रतिशत) पीक अवधि में लिए गए और 158 नमूने (एक प्रतिशत) वर्ष के अंत में लिए गए तथा शेष 3,613 नमूने वर्ष की शेष अवधि में लिए गए।

राज्य में अवधि 2017-22 के दौरान लक्ष्य के विरूद्ध विश्लेषण किये गये नमूनों (सिटी कम्पोस्ट, जैविक/जैव उर्वरक को छोड़कर) की संख्या और विश्लेषण के परिणाम **तालिका 6.2** में दिये गये हैं।

[7] भोपाल, छिंदवाड़ा और धार।

तालिका-6.2: अवधि 2017-22 के दौरान लक्ष्य के विरुद्ध विश्लेषण किए गए नमूनों (सिटी कम्पोस्ट, जैविक/जैव उर्वरक को छोड़कर) की संख्या और विश्लेषण के परिणाम					
वर्ष	**विश्लेषण के लिए लक्ष्य**	**विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या**	**विश्लेषण में कमी (प्रतिशत)**	**मानक**	**अमानक**
2017-18	7,410	6,841	569 (8)	6,073	768
2018-19	9,610	7,861	1,749 (18)	7,079	782
2019-20	12,000	12,117	0	11,131	986
2020-21	19,525	17,286	2,239 (11)	15,	1,677
2021-22	17,000	16,547	453 (3)	14,923	1,624
योग	**65,545**	**60,652**	**5,010 (8)**	**54,815**	**5,837**

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- अवधि 2017-22 के दौरान लक्ष्य के विरूद्ध विश्लेषण में कमी तीन से 18 प्रतिशत के बीच रही और कुल कमी आठ प्रतिशत रही। लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि में कमी का मुख्य कारण राज्य में 57 प्रतिशत उर्वरक निरीक्षक की कमी थी।

- अवधि 2017-22 के दौरान परीक्षण किये गये 60,652 नमूनों में से 54,815 (90.38 प्रतिशत) को मानक तथा 5,837 (9.62 प्रतिशत) को अमानक घोषित किया गया। उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला-वार प्राप्त और विश्लेषित नमूनों की जानकारी ***परिशिष्ट-6.1*** में दी गई है। परीक्षण के बाद लगभग 97 प्रतिशत अमानक नमूनों में पोषक तत्वों की कमी पाई गई या उन्हें 'मिलावटी' घोषित किया गया। केवल तीन प्रतिशत को तकनीकी या भौतिक कमियों के कारण घटिया श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। पोषक तत्वों की कमी वाले नमूनों का उच्चतम प्रतिशत डी.ए.पी. (35 प्रतिशत) में पाया गया, उसके बाद एस.एस.पी. (33 प्रतिशत) का स्थान रहा। भौतिक कमी का उच्चतम प्रतिशत यूरिया और कॉम्प्लेक्स (30 प्रतिशत) में पाया गया, उसके बाद डी.ए.पी. (24 प्रतिशत) का स्थान रहा।

- नमूना जांच किये गये जिलों में हमने पाया कि अवधि 2017-22 के दौरान लिए गए 11,261 नमूनों के विरूद्ध 11,156 नमूनों का विश्लेषण किया गया, जिनमें 1,182 नमूने अमानक तथा 9,974 नमूने मानक थे।

- लिए गए 11,261 नमूनों में से 4,531 नमूने (40 प्रतिशत) निजी क्षेत्र से संबंधित थे और 6,730 नमूने (60 प्रतिशत) सहकारी क्षेत्र से संबंधित थे। यद्यपि संचालक ने निजी और सहकारी क्षेत्र के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किए, लेकिन उप संचालक कृषि ने सहकारी और निजी क्षेत्र से नमूने लेने के किसी भी मानक का पालन नहीं किया। हमने पाया कि पांच वर्षों के दौरान कुल नमूनों में से केवल 40 प्रतिशत नमूने निजी क्षेत्र से लिए गए थे, जबकि नमूना जांच किए गए जिलों में निजी डीलर्स कुल फुटकर विक्रेताओं/थोक विक्रेताओं का लगभग 77 प्रतिशत थे।

निजी क्षेत्र में नमूनों का कम कवरेज यह दर्शाता है कि निजी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण उर्वरक का वितरण सुनिश्चित नहीं किया गया था।

सर्वेक्षण में हमने पाया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान 41 चयनित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और विपणन समितियों में से नौ से उर्वरक के नमूने नहीं लिए गए थे। इसके अलावा, सर्वेक्षण किए गए पांच निजी थोक विक्रेताओं/फुटकर विक्रेताओं और तीन मार्कफेड और एमपी एग्रो गोदामों से नमूने नहीं लिए गए थे।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि रैक पॉइंट से नमूने नहीं लेने का कारण संभवतः रेक की अनलोडिंग में लगने वाला अधिक समय है। सहकारी क्षेत्र में अधिक वितरण के कारण अधिक नमूने लिए गए। इसके अलावा, सहकारी और निजी क्षेत्र को आपूर्ति किए गए उर्वरक के अनुपात में नमूनों का विश्लेषण किया जा सकता है।

तथ्य यह है कि जिला अधिकारियों द्वारा विभागीय निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, कोई मापदंड तय नहीं किया गया था, अर्थात निजी और सहकारी क्षेत्र से नमूनों का प्रतिशत तय नहीं किया गया था।

6.5 विश्लेषण तंत्र का अनुपालन नहीं किया जाना

उर्वरक नियंत्रण आदेश में अमानक /नकली/मिलावटी उर्वरकों के विनिर्माण/आयात और बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान है। उर्वरक नमूनों की गुणवत्ता जांच में एक बहुस्तरीय प्रणाली कार्य करती है। मुख्य भूमिका उर्वरक निरीक्षकों द्वारा निभाई जाती है, उसके बाद विश्लेषक प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच करते हैं।

उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 30(1) (2) और (3) के प्रावधान में नमूनों को प्रयोगशाला में भेजने, प्रयोगशाला में उनके विश्लेषण और डीलर्स को परिणाम की सूचना देने की समय सीमा का प्रावधान है।लेकिन संचालक ने (खरीफ 2017 और 2020 के दौरान) उर्वरक नियंत्रण आदेश में निर्धारित समय अवधि को कम कर दिया और निर्देश दिया कि लिए गए नमूने तीन दिनों के भीतर प्रयोगशाला को भेजे जाने चाहिए और प्रयोगशाला को प्रयोगशाला में प्राप्ति के सात दिनों के भीतर विश्लेषण करना चाहिए। विश्लेषण प्रतिवेदन डीलर्स को प्रतिवेदन प्राप्ति के तीन दिन के भीतर भेजा जाना चाहिए। संचालक ने रबी 2020-21 में उर्वरक नियंत्रण आदेश की समय-सीमा का पालन करने का निर्देश दिया।तंत्र को बेहतर ढंग से निम्नलिखित प्रवाह **चार्ट–6.1** की सहायता से समझा जा सकता है।

प्रवाह चार्ट 6.1: नमूना चयन और परीक्षण पद्धति

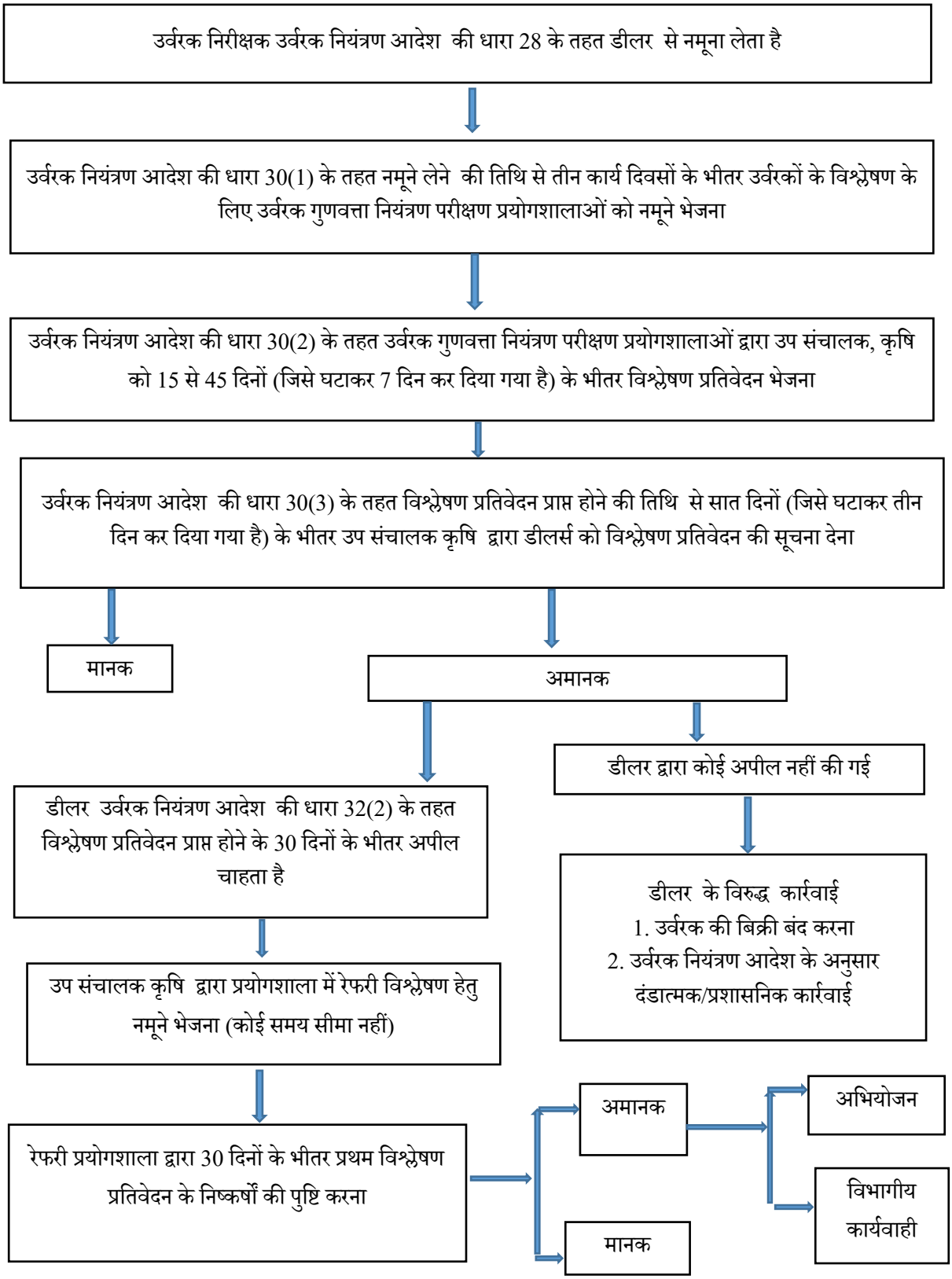

उपरोक्त पद्धति के विरुद्ध हमने जो कमियाँ देखीं, उनकी चर्चा नीचे की गई है:

(i) गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में नमूने भेजने में विलंब

नमूना जांच किए गए उप संचालक, कृषि में, हमने पाया कि अवधि 2017-22 के दौरान 11,261 नमूनों में से 5,045 नमूने एक से 345 दिनों के बीच के विलम्ब के साथ गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशालाओं को भेजे गये थे।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि कृषि इनपुट गुणवत्ता नियंत्रण पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिसके माध्यम से नमूने भेजने में विलम्ब की वास्तविक समय के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

(ii) गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला में नमूने के विश्लेषण में विलम्ब

नमूना जांच 10 में से नौ[8] उप संचालक, कृषि में हमने पाया कि 10,871 नमूनों में से 399 नमूनों का विश्लेषण विभिन्न प्रयोगशालाओं में एक से 17 दिनों के बीच के विलम्ब से किया गया। इसके अलावा, उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल की नमूना जांच में हमने पाया कि प्राप्त नमूनों का प्रयोगशाला में प्राप्ति की तिथि से सात दिनों की निर्धारित समय अवधि में विश्लेषण नहीं किया गया था और अवधि 2017-20 के दौरान 505 नमूनों का विश्लेषण एक से 21 दिनों के विलंब से किया गया था। विश्लेषण में विलम्ब का मुख्य कारण प्रयोगशाला विश्लेषक/परिचारक की कमी था।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि कृषि इनपुट गुणवत्ता नियंत्रण पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिसके माध्यम से नमूनों के विश्लेषण में विलम्ब की वास्तविक समय के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

(iii) डीलर को विश्लेषण प्रतिवेदन की सूचना देने में विलम्ब

उप संचालक, कृषि की, नमूना जांच में हमने पाया कि उप संचालक, कृषि ने डीलर्स को केवल अमानक पाए गए नमूनों के मामले में विश्लेषण प्रतिवेदन का परिणाम भेजा और मानक पाए गए नमूनों के मामले में विश्लेषण प्रतिवेदन नहीं भेजा। सर्वेक्षण में, नमूना जांच किए गए 88 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/गोदाम/निजी डीलर्स में से, 20 ने बताया कि उर्वरक निरीक्षकों ने उन्हें नमूना प्रतिवेदन (जे फार्म में निर्धारित) की प्रति उपलब्ध नहीं कराई, 18 ने बताया कि परिणाम तभी सूचित किए गए जब नमूने अमानक पाए गए तथा 46 ने उप संचालक, कृषि द्वारा परिणाम न बताए जाने की जानकारी दी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 10 में से छह उप संचालक, कृषि ने अवधि 2017-22 के दौरान 192 मामलों[9] में विश्लेषण प्रतिवेदन (अमानक) के परिणाम को डीलर्स को एक से 43 दिनों[10] के विलम्ब से सूचित किया। यदि डीलर को समय पर सूचित किया गया होता, तो अमानक उर्वरक की बिक्री से बचा जा सकता था।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि कृषि इनपुट गुणवत्ता नियंत्रण पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिसके माध्यम से डीलर्स को सूचना में विलम्ब की वास्तविक समय के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

(iv) बिना अवसर दिये डीलर्स के विरूद्ध कार्यवाही

उर्वरक नियंत्रण आदेश में प्रावधान है कि यदि नमूना अमानक पाया जाता है तो डीलर प्रथम प्रयोगशाला से विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। हमने पाया कि पांच जिलों के उप संचालक, कृषि ने डीलर्स को पर्याप्त अवसर दिए बिना 60 मामलों[11] में (38 मामलों में प्राधिकार पत्र निलंबित और 22 मामलों में निरस्त किया) कार्रवाई (बिक्री रोकने के आदेश की तिथि से एक से 30 दिनों के बीच) की।

---

[8] अलीराजपुर (37, एक से तीन दिन), बालाघाट (18, दो से 14 दिन), भोपाल (51, एक से आठ दिन), छिंदवाड़ा (56, एक से 13 दिन), धार (39, एक से 17 दिन), होशंगाबाद (107, तीन से सात दिन) सीधी (आठ, एक से छह दिन), सिवनी (54, एक से 16 दिन) और टीकमगढ़ (29, एक से 10 दिन)।

[9] एक दिन छोड़कर अर्थात परिणाम प्राप्ति का दिन।

[10] अलीराजपुर (38, एक से 18 दिन), बालाघाट (31, दो से 43 दिन), भोपाल (19, एक से 29 दिन), धार (76, एक से 28 दिन) होशंगाबाद (11, एक से 17 दिन) और सिवनी (17, चार से 11 दिन)।

[11] अलीराजपुर (15), भोपाल (तीन), धार (34) होशंगाबाद (छह), और सीधी (दो)।

इसके अलावा, हमने पाया कि डीलर्स द्वारा परिणाम की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए जिलों में कोई तंत्र नहीं था। उप संचालक, कृषि स्तर पर बनाए गए जावक पंजी में डीलर्स द्वारा पत्र प्राप्ति के संबंध में कोई टिप्पणी जैसे कि 'पावती देय' के माध्यम से पत्र भेजना या जावक की ऑनलाइन निगरानी करना नहीं थी। किसी भी तंत्र की अनुपस्थिति में उप संचालक, कृषि 30 दिनों की समय सीमा सुनिश्चित नहीं कर सके जिसके बाद वे डीलर द्वारा अपील न करने की स्थिति में कार्रवाई कर सकते थे।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि कृषि इनपुट गुणवत्ता नियंत्रण मॉड्यूल शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से संबंधित व्यक्ति ई-मेल के माध्यम से नमूनों के परीक्षण के परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।

(v) अपीलों के निपटान में विलम्ब

उर्वरक नियंत्रण आदेश में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण के लिए नमूने भेजने का निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। जहाँ अपील दायर करना समयबद्ध है, लेकिन इसका निपटान समयबद्ध नहीं है। इससे आपूर्तिकर्ताओं और डीलर्स को बिना किसी दंड के डर के उर्वरक व्यवसाय को सामान्य रूप से जारी रखने की गुंजाइश मिलती है।

संचालनालय के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि अपीलीय प्राधिकारी (संचालक) ने 23 में से 19 मामलों में अपील की तिथि से 46 से 414 दिनों के बीच रेफरल प्रयोगशाला में नमूने भेजने के लिए अपील का आदेश पारित किया। शेष चार मामलों में निर्णय नहीं लिया गया जिनमें अपील की तिथि जनवरी 2021 से जनवरी 2022 के बीच थी। आगे की सुनवाई की तिथि देने का कारण मुख्य रूप से अपील की तिथि पर उप संचालक, कृषि के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति थी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नमूना जांच किए गए 10 उप संचालक, कृषि में से आठ[12] में अपीलीय प्राधिकारी ने 317 मामलों में अपील की तिथि से 20 से 962 दिनों के बीच अपील का आदेश पारित किया।

विभाग ने (जनवरी और फरवरी 2024) अपील के निपटान में लगने वाले समय का कारण आपूर्तिकर्ता कंपनियों अथवा उप संचालक, कृषि के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति को बताया।

इस प्रकार, अपील के निपटान में विलंब से आपूर्तिकर्ताओं को उनके नमूने दूसरी प्रयोगशाला में भी अमानक पाए जाने वाले प्रकरणों में अपना व्यवसाय जारी रखने का अवसर मिल गया।

(vi) कम अभियोजन और उसके कारण

गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधानों में अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाना तथा दोषी पाए जाने पर सात वर्ष तक के कारावास की सजा के अतिरिक्त प्राधिकार प्रमाण पत्र रद्द करना और अन्य प्रशासनिक कार्रवाई शामिल है।

5,837 अमानक मामलों में, हमने देखा कि केवल 32 मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी और राज्य में अवधि 2017-22 के दौरान किसी भी मामले में कोई दोषसिध्दि नहीं हुई थी। इसके अलावा, अधिकांश मामलों में अपराधियों के विरुद्ध केवल प्रशासनिक कार्रवाई की गई अर्थात 5,837 मामलों में कारण बताओ और बिक्री रोकने के नोटिस जारी किए गए, 1,058 मामलों में प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया और 283 मामलों में रद्द कर दिया गया।

नमूना जांच किए गए जिलों में हमने पाया कि 1,182[13] नमूने अमानक पाए गए, जिनमें से 1,160 मामलों में कारण बताओ नोटिस और बिक्री रोकने का आदेश जारी किया गया, 55 मामलों में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया, 139 मामलों में निलम्बित किया गया। किसी भी डीलर पर मुकदमा नहीं चलाया गया तथा केवल एक मामले (छिंदवाड़ा) में एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

होशंगाबाद जिले में हमने पाया कि एक निजी फुटकर विक्रेता कृषकोत्सव, फार्मर प्रोडयूसर कंपनी लिमिटेड बनाडा, सिवनी मालवा का प्राधिकार पत्र 12 जनवरी 2021 को निरस्त कर दिया गया था और निरस्तीकरण आदेश 24 अगस्त 2021 को वापस ले लिया गया। फुटकर विक्रेता ने निरस्तीकरण अवधि के दौरान व्यवसाय जारी रखा (मार्कफेड से 414.60 एम.टी. उर्वरक खरीदा

---

[12] अलीराजपुर (37 मामले, 39 से 280 दिनों के बीच), बालाघाट (19 मामले, 87 से 354 दिनों के बीच), भोपाल (नौ मामले, 57 से 261 दिनों के बीच), धार (158 मामले, 20 से 347 दिनों के बीच), होशंगाबाद (15 मामले, 52 से 329 दिनों के बीच, सीधी (18 मामले, 59 से 193 दिनों के बीच), सिवनी (49 मामले, 41 से 962 दिनों के बीच) और टीकमगढ़ (12 मामले, 33 से 184 दिनों के बीच)।

[13] सहकारी क्षेत्र- 724 नमूने और निजी क्षेत्र- 458 नमूने।

और 125.875 एम.टी. बिक्री किया)। यह अधिसूचित प्राधिकारी (उप संचालक, कृषि) के आदेश के विरुद्ध था। जिला विपणन अधिकारी मार्कफेड ने सक्षम प्राधिकारी के निरस्तीकरण आदेशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, हर मामले में एफ.आई.आर. और अभियोजन आवश्यक नहीं होता है। होशंगाबाद जिले में कृषकोत्सव से संबंधित मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालाँकि, विभाग ने लेखापरीक्षा को जारी निर्देशों की प्रति उपलब्ध नहीं करायी।

6.6 अमानक उर्वरकों की बिक्री

हमने पाया कि जिलों के पास बैच/लॉट नंबर-वार के अनुसार उर्वरक की प्राप्ति[14] दर्शाने वाली जानकारी/अभिलेख नहीं थे। प्रबंध संचालक मार्कफेड ने कंपनियों द्वारा उर्वरक की बैच/लॉट नंबर-वार आपूर्ति के बारे में लेखापरीक्षा को जानकारी नहीं दी और आपूर्तिकर्ताओं को बैच/लॉट नंबर-वार आपूर्ति के बारे में जानकारी प्रदान करने के निर्देश जारी नहीं किए। इसके अलावा प्रबंध संचालक मार्कफेड ने भी इस संबंध में जिलों को कोई निर्देश जारी नहीं किए।

बैच/लॉट नंबर के अभाव में, केवल लॉट में दिखाई गई अमानक मात्रा को ही उस गोदाम/संस्था में बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया गया, जहां से नमूना लिया गया था, जिले/राज्य के किसी अन्य हिस्से में नहीं। प्रबंध संचालक मार्कफेड ने यह नहीं बताया कि जिले/राज्य के अन्य हिस्सों में बिक्री किस कारण से नहीं रोकी गई। इसी तरह, राज्य में प्रमुख उर्वरक आपूर्तिकर्ता नेशनल फ़र्टिलाइज़र्स लिमिटेड ने बताया कि यूरिया और अन्य आयातित उर्वरकों की आपूर्ति के मामले में बैच नंबर नहीं था।

अलीराजपुर, भोपाल, होशंगाबाद, धार, टीकमगढ़ और उमरिया के उप संचालक, कृषि ने बताया कि जिस लॉट से उर्वरक का नमूना लिया गया था, उसमें दर्शाई गई उर्वरक मात्रा पर रोक लगाने के लिए बिक्री पर रोक का आदेश जारी किया गया था। उप संचालक, कृषि सीधी ने बताया कि संबंधित गोदाम के साथ-साथ पूरे जिले में बिक्री पर रोक लगाने के लिए बिक्री पर रोक का आदेश जारी किया गया था। जबकि उप संचालक, कृषि बालाघाट और सिवनी ने बताया कि सभी जिलों को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गए थे।

उप संचालक, कृषि द्वारा सम्पूर्ण जिले/सभी जिलों के लिए जारी किया गया बिक्री पर रोक का आदेश त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि बैच नंबर के अभाव में किसी विशेष उर्वरक की पहचान नहीं की जा सकती थी और इसलिए उसे सम्पूर्ण जिले में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता था।

इसके अलावा, आपूर्तिकर्ता कम्पनियाँ पी.ओ.एस. डिवाइस के माध्यम से बेचे जाने वाले घटिया उर्वरक के लिए सब्सिडी प्राप्त करने की हकदार नहीं थीं। बैच/लॉट नंबर के अभाव में यह आकलन नहीं किया जा सका कि वास्तव में कितनी मात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक था।

इसके अलावा, हमने पाया कि दो जिलों में दो नमूने जांचे गए मार्कफेड/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गोदामों[15] ने उर्वरक नियंत्रण आदेश की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिक्री पर रोक के आदेश जारी होने के बाद भी किसानों को 27.65 एम.टी. (₹ 2.87 लाख) अमानक उर्वरक बिक्री किया ।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति आयातित और स्वदेशी उर्वरकों के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। आयातित उर्वरकों के मामले में, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उर्वरक खुली मात्रा में प्राप्त किया जाता है जिसके कारण पैकिंग में लॉट/बैच नंबर का उल्लेख नहीं होता है। इसी प्रकार, स्वदेशी उर्वरकों के मामले में, उर्वरकों का लगातार उत्पादन हो रहा था जिसके कारण पैकिंग में बैच/लॉट नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, आयातित उर्वरक के मामले में जहाज में उर्वरक की लोडिंग के समय नमूने लिए गए और स्वदेशी उर्वरक के मामले में, उत्पादन के समय नमूने नियमित रूप से

[14] एस.एस.पी. के बैग पर बैच नंबर उपलब्ध है।

[15] भोपाल (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति , मिसरोद-एस.एस.पी., 13 एम.टी., और एन.पी.के.12:32:16, 0.65 एम.टी.), होशंगाबाद (मार्कफेड गोदाम इटारसी एम.ओ.पी.-14 एम.टी.)।

लिए गए। उर्वरकों की पैकिंग एवं वितरण मानक पाये जाने के बाद ही किया जाता है। परिवहन और भंडारण भी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है और कार्रवाई केवल लॉट में शामिल मात्रा पर ही की जाती है।

इसके अलावा, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (दिनांक 09 नवंबर 1987) के परिशिष्ट-2 के अनुसार एकल उर्वरकों और कॉम्प्लेक्स उर्वरकों (एस.एस.पी. को छोड़कर) के कंटेनरों में बैच नंबर का उल्लेख करने का कोई प्रावधान नहीं है। उप संचालक, कृषि द्वारा जारी बिक्री पर रोक लगाने का आदेश पूरे जिले में प्रभावी था। इसके अलावा, बिक्री पर रोक के आदेश जारी होने के बाद अमानक उर्वरक की बिक्री की जांच और कार्रवाई करने के लिए संगठन प्रमुख और उप संचालक कृषि को निर्देश जारी किए जाएंगे।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उर्वरक नियंत्रण आदेश प्रयोगशाला में गुणवत्ता के विश्लेषण के लिए गोदामों से नमूने लेने का प्रावधान करता है, भले ही लोडिंग/उत्पादन में पहले गुणवत्ता की जाँच की गई हो। किसी भी पहचान (लॉट/बैच नंबर) के अभाव में, किसी विशेष कंपनी से प्राप्त उर्वरक की बिक्री जो जिले में अमानक पाई जाती है, उसे जिले/राज्य में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, पूरे जिले में अमानक उर्वरक की बिक्री पर रोक लगाने के बारे में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सात उप संचालक, कृषि ने कहा कि संबंधित गोदाम के लॉट में शामिल मात्रा जहाँ से नमूना लिया गया था की ही बिक्री प्रतिबंधित है।

6.6.1 अमानक उर्वरक कोष

मध्य प्रदेश शासन ने (नवंबर 2002) अमानक उर्वरक की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता कंपनियों के भुगतान से काटी गई राशि को जमा करने के लिए अमानक उर्वरक कोष बनाया। अमानक उर्वरक की कीमत उन किसानों को वापस की जानी थी, जिन्होंने इन उर्वरकों का उपयोग किया था, जिसके लिए मार्कफेड को किसानों/समितियों से दावा प्राप्त करने के लिए वर्ष में कम से कम दो बार समाचार पत्रों में विज्ञापन देना आवश्यक था। यदि आपूर्तिकर्ता एक वर्ष के भीतर किसी न्यायालय के समक्ष काटी गई राशि का दावा नहीं करता है और क्रेता किसान/समितियां, जिन्हें अमानक उर्वरक बेचा गया था, दो वर्ष के भीतर दावा नहीं करते हैं, तो काटी गई राशि उर्वरक कोष में जमा कर दी जाएगी।

इस कोष का प्रबंधन पंजीयक, सहकारी समितियाँ, भोपाल[16] द्वारा किया जाता है। कोष में जमा राशि का उपयोग किसानों के कल्याण के लिए किया जाना था, अर्थात (i) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कृषि उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना (ii) फॉस्फेटिक उर्वरक के त्वरित परीक्षण के लिए परीक्षण किट क्रय करना (iii) कृषको को ऑफ-सीजन रिबेट प्रदान करना आदि।

विक्रित/अविक्रित अमानक उर्वरकों की कीमत आपूर्तिकर्ता के देयक से काट ली जाती है/बयाना जमा राशि के विरुद्ध समायोजित कर दी जाती है। निर्धारित दावा अवधि की समाप्ति के पश्चात, अविक्रित अमानक उर्वरकों को आपूर्तिकर्ता कंपनी को हस्तांतरित कर दिया जाता है तथा विक्रित अमानक उर्वरक के लिए कटौती की गई राशि को अमानक उर्वरक कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अवधि 2017-22 में 8,885 एम.टी. अमानक उर्वरकों में से 2,561 एम.टी. किसानों को बिक्री किए और 6,324 एम.टी. अविक्रित उर्वरक थे। हमने आगे पाया कि प्रबंध संचालक, मार्कफेड ने अवधि 2017-22 के दौरान आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान से रोकी गई ₹13.10 करोड़ की राशि में से ₹10.74 करोड़ (बिक्री किए गए ₹0.27 करोड़ और अविक्रित ₹10.47 करोड़ की लागत) काट लिया।

वर्ष 2017-18 से पहले ₹1.09 करोड़ सहित अमानक उर्वरक कोष को देय ₹1.36 करोड़ में से, मार्कफेड ने अवधि 2017-23 के दौरान अमानक उर्वरक कोष को ₹ 1.26 करोड़[17] का भुगतान किया और शेष राशि ₹0.10 करोड़ दिसंबर 2023 तक बकाया थी। हमने पाया कि उस अवधि के दौरान किसानों से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ था।

[16] पंजीयक के निर्देश पर सभी निर्धारित खाते और अभिलेख नियमित रूप से संधारित किए जाने चाहिए।

[17] अवधि 2017-22 के दौरान ₹1.06 करोड़ का भुगतान किया गया और मई 2023 में ₹0.20 करोड़ का भुगतान किया गया।

इसके अलावा, हमने पाया कि प्रबंध संचालक मार्कफेड ने 2017-18, 2019-20 और 2020-21 में केवल एक बार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया, जो अपर्याप्त था और उन्होंने 2018-19 और 2021-22 में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया।

नमूना जाँच किये गये जिले में हमने पाया कि अवधि 2017-22 के दौरान किसानों को बिक्री किए अमानक नमूना उर्वरक की कीमत का भुगतान किसी भी किसान को नहीं किया गया। प्रबंध संचालक, मार्कफेड द्वारा प्रकाशित विज्ञापन जिला अधिकारियों के संज्ञान में नहीं था।

इसके अलावा, उर्वरक निरीक्षकों ने सर्वेक्षण किए गए 88 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/विपणन समितियों/मार्कफेड और एमपी एग्रो गोदामों/निजी डीलर्स में से 46 में नमूने में शामिल लॉट को चिह्नित नहीं किया। इसके अलावा, नमूना जाँच किए गए 74 मार्कफेड और एमपी एग्रो गोदामों/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/निजी फुटकर विक्रेताओं में से 72 ने नमूने में शामिल उर्वरक लॉट का अलग से अभिलेख नहीं रखा और किसानों को बिक्री किया। पृथक अभिलेख के अभाव में उन किसानों की पहचान करना जिन्हें अमानक उर्वरक बिक्री किया गया था और उन्हें विक्रित उर्वरकों की मात्रा का आकलन करना संभव नहीं हो सका। इसके अलावा, किसानों के अभिलेखों के अभाव में प्रबंध संचालक, मार्कफेड ने विज्ञापन में किसानों का नाम प्रकाशित नहीं किया, जिसके कारण किसान दावा करने में विफल रहे और अमानक उर्वरकों की कीमत पाने से वंचित रह गए।

इसके अलावा, पंजीयक, सहकारी समितियां, भोपाल ने वांछित उद्देश्यों के लिए कोष का उपयोग नहीं किया। मार्च 2022 तक, अमानक उर्वरक कोष के लिए बचत बैंक खातों में ₹ 0.48 लाख रखे गए थे और ₹ 6.38 करोड़ सावधि जमा रसीद के रूप में रखे गए थे। उपरोक्त तथ्य इंगित करते हैं कि किसानों को अमानक उर्वरक की कीमत वापस करने या किसानों के कल्याण के लिए मार्कफेड स्तर पर पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए थे।

विभाग ने (जनवरी एवं फरवरी 2024) उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि निर्गम सम्मलेन में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी।

6.7 सिटी कम्पोस्ट, जैव/जैविक उर्वरक विश्लेषण के लिए परीक्षण सुविधा

भारत सरकार ने जोनल कांफ्रेंस[18] में राज्य में किसानों द्वारा सिटी कम्पोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इसके अलावा, भारत सरकार ने मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को सिटी कम्पोस्ट इकाई के साथ जोड़ने और सिटी कम्पोस्ट इकाई से प्रत्येक मौसम में कम से कम एक नमूने का परीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, भारत सरकार ने सिटी कम्पोस्ट के नमूनों के परीक्षण के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित करने और राज्य में परीक्षण की सुविधा उपलब्ध न होने पर नमूनों को विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र, गाजियाबाद या इसके क्षेत्रीय केंद्रों में भेजने के निर्देश दिए।

राज्य में, राज्य स्वामित्व वाली छह उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशालाओं में से तीन में सूक्ष्म पोषक तत्व गुणवत्ता परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। राज्य के स्वामित्व वाली प्रयोगशालाओं में जैव-उर्वरक और सिटी कम्पोस्ट उर्वरक के लिए परीक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हमने पाया कि अवधि 2017-22 के दौरान सिटी कम्पोस्ट के नमूने लेने के लिए अलग लक्ष्य निर्धारित किया गया था और तीन नमूना जांच वाले जिलों में अवधि 2017-22 के दौरान लिए गए पांच सिटी कम्पोस्ट के नमूने भारत सरकार की उर्वरक प्रयोगशाला, जबलपुर को भेजे गए थे। नगर निगमों/नगर पालिकाओं के अंतर्गत चलने वाली इकाइयों के अलावा नमूना जांच किए गए जिलों में कोई सिटी कम्पोस्ट निर्माण इकाइयां नहीं थीं। इन इकाइयों से नमूने नहीं लिये गये। इसके अलावा, सिटी कम्पोस्ट इकाई के साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को नहीं जोड़ा गया था।

अवधि 2017-22 के दौरान राज्य एवं नमूना जांच किए गए जिलों में सूक्ष्म पोषक तत्व, सिटी कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, जैव उर्वरक और जैविक उर्वरक के विश्लेषण के लक्ष्यों और लक्ष्यों के विरुद्ध विश्लेषण किए गए नमूनों की स्थिति **तालिका 6.3** में दी गई है।

[18] रबी 2017-18, 2018-19 और खरीफ 2019।

तालिका-6.3: अवधि 2017-22 के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्व, सिटी कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, जैव उर्वरक और जैविक उर्वरक के विश्लेषण के लक्ष्य की स्थिति और लक्ष्य के विरुद्ध विश्लेषण किए गए नमूने					
राज्य में				नमूना जांच किये गये जिलों में	
स. क्र.	उर्वरक का नाम	नमूना लक्ष्य की संख्या	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या (प्रतिशत)	नमूना लक्ष्य की संख्या	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या (प्रतिशत)
1	सूक्ष्म पोषक तत्व/सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण	5,300	1,393 (26)	870	370 (43)
2	सिटी कम्पोस्ट	990	43 (4)	214	9 (4)
3	वर्मी कम्पोस्ट/जैविक खाद	1,790	404 (23)	352	103 (29)
4	जैव उर्वरक	2,400	136 (6)	521	34 (7)

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

लक्ष्यों के विरूद्ध सूक्ष्म पोषक तत्व, सिटी कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, जैव उर्वरक एवं जैविक उर्वरक के अल्प नमूनों का विश्लेषण इन उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विभाग के अपर्याप्त प्रयासों को दर्शाता है।

संचालक ने कहा कि जैव उर्वरक/सिटी कम्पोस्ट के नमूने राज्य और भारत सरकार की प्रयोगशालाओं से बाहर अन्य प्रयोगशालाओं को भेजे गए थे। लेकिन जिन प्रयोगशालाओं में नमूने भेजे गए, उनका विवरण संचालनालय स्तर पर उपलब्ध नहीं था। संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने राज्य में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की स्थिति प्रदान नहीं की और कहा कि जानकारी जिला स्तर पर उपलब्ध थी।

लेखापरीक्षित जिलों में, वर्ष 2017-18 और 2021-22 के दौरान चार से छह जिलों में मिट्टी में बोरॉन और मैंगनीज की कमी बढ़ गई और चार से सात जिलों में जिंक, आयरन और तांबे की कमी कम हो गई।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में उपकरण और विश्लेषक की अनुपलब्धता के कारण सिटी कम्पोस्ट इकाई के साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को जोड़ा नहीं गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त उर्वरकों की गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई थी।

6.8 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला सुविधाएं

मृदा परीक्षण का उद्देश्य मिट्टी की पोषक स्थिति का मूल्यांकन करना तथा मिट्टी में क्षारीयता, लवणता और अम्लता जैसी समस्याओं की पहचान करना है। यह उर्वरकों और फसलों की अनुशंसित खुराक को अपनाने के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अनुशंसाएँ मिट्टी की स्थिति और मिट्टी की उर्वरता पर आधारित होती हैं।

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के नियंत्रण में 57 मृदा परीक्षण/मृदा सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं (50 स्थिर और सात मोबाइल) कार्यरत हैं, जिनकी वार्षिक विश्लेषण क्षमता 5.35 लाख नमूनों की है और मध्य प्रदेश के 47 जिलो में राज्य विश्वविद्यालयों के नियंत्रण में तीन मोबाइल प्रयोगशालाओं सहित 31 प्रयोगशालाएं कार्यरत (दिसंबर 2020-21 तक) हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता 1.55 लाख नमूनों की है।

6.8.1 नई मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का कार्य न करना

हमने पाया कि राज्य में वर्ष 2015-16 में स्वीकृत 265 नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण (₹ 95.40 करोड़ की लागत से) किया गया था, लेकिन प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक मानवशक्ति की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण उन्हें उपयोग में नहीं लिया गया। संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने कहा कि मौजूदा कर्मचारियों की पुनः तैनाती के साथ इन प्रयोगशालाओं को संचालित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुनः तैनाती व्यावहारिक नहीं है क्योंकि राज्य में संवर्ग 3 और

4[19] (47 प्रतिशत) में अन्य कर्मचारियों के अलावा भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी (67 प्रतिशत), प्रयोगशाला सहायक (73 प्रतिशत) जो मृदा प्रयोगशाला का संचालन करते है के पद में पहले से ही अत्यधिक रिक्तियां (जून 2022 तक) थीं।

नमूना जांच किए गए 10 जिलों में स्वीकृत 62 प्रयोगशालाओं का निर्माण कर विभाग को सौंप दिया गया, लेकिन कर्मचारियों और उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण वे अक्रियाशील थी।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि इन प्रयोगशालाओं को आउटसोर्सिंग (पी.पी.पी. मोड) कर्मचारियों के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। संवर्ग 02[20] एवं 03 में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की गई तथा लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक संचालक के 31 पदों पर नियुक्ति की गई। 77 प्रयोगशाला सहायकों और सात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की पदस्थापना प्रक्रियाधीन है।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि उपरोक्त प्रयोगशालाएं कर्मचारियों के अभाव में अक्रियाशील रहीं तथा नियुक्त किए गए कर्मचारी भी 265 से अधिक प्रयोगशालाओं को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

6.8.2 मृदा नमूने के विश्लेषण का लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष 2017-19 के दौरान मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एस.एच.सी.) योजना के तहत तथा शेष वर्षों में विभाग के लक्ष्य के अनुसार मिट्टी के नमूने लिए गए तथा उनका विश्लेषण किया गया। वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा उन्हें उचित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करने तथा मिट्टी की स्थिति में अपेक्षित सुधार करने के लिए सुझाव देना था, ताकि मृदा स्वास्थ्य को लम्बी अवधी तक बनाए रखा जा सके।

प्रत्येक जोत पर मिट्टी की जांच के लिए किसानों को 12 मापदंड मैक्रोन्यूट्रेन्टस, द्वितीयक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और भौतिक मापदंड पर मिट्टी के विश्लेषण के परिणाम वाला एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाना है। मृदा परीक्षण के परिणाम के आधार पर अनुशंसा कार्ड में प्रतिवेदित की जानी है। इसके अलावा, कार्ड प्रत्येक तीन वर्ष के बाद जारी किया जाएगा जो आगामी वर्षों में मिट्टी के स्वास्थ्य में बदलाव का समर्थन करेगा।

योजना के तहत मिट्टी का नमूना ग्रिड (सिंचित क्षेत्र में 2.5 हेक्टेयर और वर्षा आधारित क्षेत्र में 10 हेक्टेयर एक ग्रिड के रूप में लिया गया) के आधार पर लिया जाना था। मिट्टी का नमूना दो चरणों अर्थात 2015-17 और 2017-19 में लिया गया। 46.35 लाख ग्रिड नमूने लेने के लक्ष्य के विरुद्ध, 48.02 लाख ग्रिड नमूने लिए गए और अवधि 2015-19 के दौरान राज्य में योजना के तहत 179.88 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए।

नमूना जांच की गई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के अभिलेखों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आए-

(i) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-19 में लक्ष्य 4.78 लाख के विरुद्ध 4.86 लाख मृदा नमूनों का विश्लेषण किया गया तथा वर्ष 2019-22 में लक्ष्य 0.86 लाख[21] के विरुद्ध 0.73 लाख नमूनों का विश्लेषण नौ जिलों (योजना के अलावा) में किया गया। दो जिलों उमरिया (2019-20 और 2021-22) तथा बालाघाट (2021-22) में मृदा नमूनों का विश्लेषण नहीं किया गया। अवधि 2017-22 के दौरान दस चयनित जिलों में 19.12 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए।

---

[19] संवर्ग-3 (अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, संभागीय लेखापाल, मुख्य लिपिक/सहायक ग्रेड-1, लेखापाल/ऑडिटर, वरिष्ठ निज सहायक, निज सहायक, सहायक ग्रेड-3 (कृषि अभियांत्रिकी), स्टेनोग्राफर ग्रेड-3, सहायक ग्रेड-2/सब ऑडिटर , सहायक ग्रेड-3, स्टेनोटाइपिस्ट, वाहन चालक, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रेस कंपोजिटर (सांख्येतर), सिनेमा ऑपरेटर (सांख्येतर), अनुसंधान सहायक (सांख्येतर), फोटोग्राफर (सांख्येतर), आर्टिस्ट (सांख्येतर), प्रेस ऑपरेटर (सांख्येतर), पंप ऑपरेटर, वाहन चालक (नेमैतिक) संवर्ग-4 (सुपरवाइजर, दफ्तरी/जमादार, भृत्य/चौकीदार/चेनमैन/अन्य, भृत्य (कृषि अभियांत्रिकी), चौकीदार (कृषि अभियांत्रिकी) और भृत्य (नेमैतिक)।

[20] संवर्ग-2 (सहायक संचालक कृषि (क्षेत्र एवं विस्तार)/उप संचालक परियोजना, सहायक संचालक कृषि सांख्यिकी, सहायक संचालक कृषि लेखा/स्थापना सीएट।

[21] जिला भोपाल द्वारा वर्ष 2019-22 एवं जिला सिवनी तथा अलीराजपुर द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु मृदा नमूनों का लक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ii) नौ जिलों (अलीराजपुर को छोड़कर)[22] में मार्च 2022 तक 85 स्वीकृत पदों में से 43 (51 प्रतिशत) रिक्त थे, जिसमें प्रयोगशाला सहायकों के 14 स्वीकृत पदों के विरुद्ध नौ पद रिक्त थे। परीक्षण प्रयोगशाला में 184 उपकरणों में से 118 कार्यशील स्थिति में थे तथा 66 (36 प्रतिशत) उपकरण कार्यशील स्थिति में नहीं थे।

(iii) किसानों के सर्वेक्षण के दौरान यह पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल 44 प्रतिशत किसानों के खेतों से मिट्टी के नमूने नहीं लिए गए। 48 प्रतिशत किसानों से पांच साल में एक बार और आठ प्रतिशत किसानों से दो से अधिक बार मिट्टी के नमूने लिए गए।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि 2015-16 से किसानों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए तथा चरण-1 और चरण-2 में प्रयोगशालाओं की वार्षिक क्षमता से अधिक मृदा नमूनों का विश्लेषण कर मृदा कार्ड तैयार किए गए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी के कारण योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए जारी किए गए मृदा नमूनों का परीक्षण तीन वर्ष के बाद नहीं किया जा सका।

अनुशंसाएँ:

- *मध्य प्रदेश शासन को उर्वरक के वितरण को ध्यान में रखते हुए परीक्षण में अधिक से अधिक नमूनों को शामिल करने के लिए परीक्षण अधोसंरचना सुविधाओं को मजबूत करना चाहिए। विभाग को जिला और राज्य स्तर पर नमूनाकरण तंत्र को मजबूत करना चाहिए।*

- *मध्य प्रदेश शासन को विभिन्न स्रोतों से किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जैविक/जैव उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक उर्वरकों की समीक्षा करनी चाहिए और जिलों की मिट्टी की स्थिति के अनुसार उनकी आवश्यकता के अनुसार इन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।*

- *मध्य प्रदेश शासन को किसानों को अमानक उर्वरकों की कीमत वापस पाने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा, नमूने में शामिल उर्वरक लॉट और फुटकर बिक्री पॉइंट पर किसानों को बिक्री किए उर्वरकों के उचित अभिलेख संधारित किये जाने चाहिए, ताकि विभाग उन किसानों के नाम विज्ञापन में प्रकाशित कर सके जिन्हें अमानक उर्वरक बिक्री किए गए थे।*

[22] मृदा परीक्षण इकाई की स्थापना न होना।

अध्याय-7

निगरानी एवं पर्यवेक्षण

अध्याय- 7

निगरानी एवं पर्यवेक्षण

7.1 पोर्टल के माध्यम से निगरानी

राज्य में उर्वरकों की आपूर्ति एवं वितरण की निगरानी निम्नलिखित पोर्टल द्वारा की गई:

(i) एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) पोर्टल

भारत सरकार द्वारा उर्वरक प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली पोर्टल लॉन्च (जून 2016) में किया गया था। पोर्टल मुख्य रूप से थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेताओं की जिलेवार सूची, जिले/राज्य की आवश्यकता, जिला/राज्य आपूर्ति योजना, भारत सरकार का संचलन आदेश, कंपनी/थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेताओं द्वारा बिक्री का विवरण, अद्यतन स्टॉक, थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता के पास शून्य स्टॉक और राज्य द्वारा प्राप्तियाँ आदि प्रदर्शित करता है।

(ii) एकीकृत उर्वरक भंडारण सॉफ्टवेयर (आई.एफ.एस.एस) पोर्टल

मार्कफेड ने उर्वरक के आंतरिक प्रबंधन के लिए, एकीकृत उर्वरक भंडारण सॉफ्टवेयर पोर्टल 2018 में विकसित किया था, जो स्टॉक की प्राप्ति और आपूर्तिकर्ता को भुगतान के प्रबंधन के लिए एक सॉफ्टवेयर है। पोर्टल को विभिन्न उद्देश्यों जैसे खरीद, आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान, बिक्री और वितरण, भौतिक सत्यापन इत्यादि के लिए विकसित किया गया था। पोर्टल के माध्यम से मार्कफेड ने विभिन्न गतिविधियाँ यथा डिलीवरी इंडेंट जारी करना, डिलीवरी इंडेंट के अनुरूप उर्वरक की खरीद और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान इत्यादि संचालित कीं।

7.2 उर्वरक व्यवसाय के लिए विनिर्माण प्रमाण-पत्र/प्राधिकार पत्र जारी करना

उर्वरक नियंत्रण आदेश, विनिर्माण प्रमाणपत्र (निर्माताओं के लिए) और प्राधिकार पत्र (खरीद और बिक्री के लिए) के बिना उर्वरक व्यवसाय करना प्रतिबंधित करता है। उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों और विभाग के निर्देश (सितंबर 2020) के अनुसार नवीन और नवीनीकरण मामलों के लिए प्राधिकार पत्र/प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया और अभिलेख (आवेदन, शुल्क, ओ प्रमाण पत्र[1], दुकान/गोदाम का स्व-सत्यापित नक्शा और योग्यता प्रमाण आदि) का प्रावधान करते हैं।

भारत सरकार ने नवीनीकरण की वैधता अवधि[2] को तीन से पांच वर्ष तक के लिए पुनरीक्षित (सितंबर 2019) किया। उर्वरक नियंत्रण आदेश में प्रावधान है कि विनिर्माण प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र के प्रत्येक धारक को ऐसी समाप्ति तिथि से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है, लेकिन यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन वैधता की अवधि समाप्त होने से पहले नहीं किया जाता है और वैधता समाप्ति तिथि से एक महीने के भीतर किया जाता है, तो ऐसा नवीनीकरण निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर किया जा सकता है।

हमने पाया कि विभाग ने प्राधिकार पत्र/ विनिर्माण प्रमाण पत्र के आवेदन/जारी करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान किया है। हालाँकि, राज्य/जिला स्तर पर जारी किए गए विनिर्माण प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्रों की वैधता की निगरानी के लिए विभाग द्वारा कोई ऑनलाइन तंत्र विकसित नहीं किया गया था।

राज्य में एन.पी.के के 18, एस.एस.पी के 18, यूरिया के एक और डी.ए.पी के एक निर्माता कार्यरत थे। अवधि 2017-22 के दौरान, राज्य में 463 प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्र जारी किए गए और सात निरस्त/निषिद्ध किए गए। हालाँकि, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पास अवधि 2017-22 के दौरान नवीनीकरण के लिए नियत और नवीनीकृत किए गए विनिर्माण प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्र की वर्ष-वार जानकारी नहीं थी।

---

[1] थोक/खुदरा/औद्योगिक उपयोग में उर्वरक बेचने का व्यवसाय चलाने के लिए स्रोत का प्रमाण पत्र।

[2] भारत सरकार के आदेश (दिसंबर 2020) के अनुसार, उन प्राधिकार पत्र की वैधता जारी रहेगी,जो कोविड-19 के कारण 20 फरवरी 2020 और 31 जनवरी 2021 के बीच समाप्त हो गई थी या समाप्त होने की संभावना थी।

संचालनालय स्तर पर संधारित प्रमाणपत्रों के रजिस्टर की जांच से पता चला कि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण के लिए प्रविष्टियाँ अद्यतन नहीं की गई थी। हमने पाया कि 77 में से 20 प्रकरणों में प्रमाणपत्र दिसंबर 2012 और मई 2019 के मध्य जारी किए गए थे, लेकिन वैधता अवधि (जून 2021 और मई 2022) के बाद प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण अभिलेखों में नहीं पाये गये। इस प्रकार, संचालक ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि निर्माता/डीलर्स ने वैधता अवधि की समाप्ति के बाद अपना व्यवसाय बंद कर दिया या वैध प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र के बिना व्यवसाय करना जारी रखा।

नमूना जांच किए गए जिलों में, उप संचालक, कृषि ने उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों और विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवधि 2017-22 के दौरान प्राधिकार पत्र जारी किए, जैसा कि नीचे दिया गया है-

(i) भोपाल जिले में चार प्रकरणों में, निजी खुदरा विक्रेताओं ने आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अर्थात कृषि/रसायन विज्ञान में स्नातक या कृषि विज्ञान में डिप्लोमा या 15 दिनों का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूर्ण नही किया था।

(ii) भोपाल जिले में 61 में से 12 आवेदनों के साथ गोदाम/दुकान का नक्शा संलग्न नहीं किया गया था।

(iii) इसके अलावा, उमरिया को छोड़कर नौ जिलों में 1,360 नमूना जांच किये गए प्रकरणों में से 437 में प्राधिकार पत्र हेतु समाप्ति तिथि से पहले समय पर आवेदन नहीं किए गए थे। 437 प्रकरणों में से 260 में, आवेदन 30 दिनों के बाद दो दिन से छह वर्ष और पांच माह तक के विलंब से प्राप्त हुए। इन प्रकरणों में प्राधिकार पत्र जारी करना अमान्य था क्योंकि उर्वरक नियंत्रण आदेश समाप्ति तिथि से 30 दिनों के बाद प्रस्तुत आवेदनों को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता है।

इसके अलावा, नमूना जांच किए गए सात जिलों में 261 प्रकरणों में विलंब से आवेदित प्रकरणों में अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया गया था। 30 दिनों के भीतर/बाद में प्राप्त आवेदनों और अतिरिक्त शुल्क जमा न होने का जिलेवार विवरण ***परिशिष्ट-7.1*** में दिया गया है।

विभाग ने बताया (जनवरी एवं फरवरी 2024) कि मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी विभाग से प्राधिकार पत्रों की नवीनीकरण की निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया जाएगा। साथ ही उपरोक्त मुद्दों पर जांच और कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं |

7.3 प्रवर्तन प्राधिकारियों की कमी

राज्य सरकार संयुक्त संचालक, उप संचालक, कृषि/सहायक संचालक, कृषि और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी इत्यादि जैसे अधिसूचित प्रवर्तन अधिकारियों के माध्यम से उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

उर्वरक नियंत्रण आदेश उर्वरक की मूल्य, गुणवत्ता और वितरण को विनियमित करने के लिए विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों के कर्तव्यों/जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। हमने पाया कि राज्य में नियंत्रण आदेश को विनियमित करने और उर्वरक व्यवसाय की निगरानी के लिए प्रवर्तन अधिकारी पर्याप्त नहीं थे। राज्य में और नमूना जाँच किए गए जिलों में विभिन्न प्रवर्तन प्राधिकारियों के पास स्वीकृत और कार्यरत कार्मिको की समग्र स्थिति **तालिका 7.1** में दी गई है।

तालिका 7.1: स्वीकृत और पद पर कार्यरत प्रवर्तन प्राधिकारियों की स्थिति

प्रवर्तन प्राधिकारी का नाम	राज्य स्तर पर			नमूना जांच किये गये जिलों में		
	स्वीकृत पद	कार्यरत कार्मिक (फरवरी 2023 तक की स्थिति में)	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत कार्मिक (फरवरी 2023 तक की स्थिति में)	कमी (प्रतिशत)
संयुक्त संचालक	21	5	16 (76)	-	-	-
उप संचालक कृषि	143	83	60 (42)	10	6	4 (40)
सहायक संचालक कृषि	736	387	349 (47)	71	43	28 (39)
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	759	459	300 (40)	126	32	94 (75)

तालिका 7.1: स्वीकृत और पद पर कार्यरत प्रवर्तन प्राधिकारियों की स्थिति						
प्रवर्तन प्राधिकारी का नाम	राज्य स्तर पर			नमूना जांच किये गये जिलों में		
	स्वीकृत पद	कार्यरत कार्मिक (फरवरी 2023 तक की स्थिति में)	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत कार्मिक (फरवरी 2023 तक की स्थिति में)	कमी (प्रतिशत)
कृषि विकास अधिकारी	1,253	340	913 (73)	245	51	194 (79)
प्रयोगशाला सहायक	98	26	72 (73)	7	1	6 (86)

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

तालिका से देखा जा सकता है कि राज्य में विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत पदों में से 40 से 76 प्रतिशत तक पद रिक्त थे तथा नमूना जांच किये गये जिलों में 39 से 86 प्रतिशत तक पद रिक्त थे, जिससे उर्वरक नियंत्रण आदेश में प्राधिकारियों को सौंपे गए कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों जैसे उर्वरक नमूनों का परीक्षण और निरीक्षण एवं निगरानी आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि रिक्त पदों को भरने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग में बड़ी संख्या में रिक्तियां थीं, जिससे उर्वरक नियंत्रण आदेश/आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

7.4 निरीक्षण और तलाशी/जब्ती

मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी (अक्टूबर 2010) निर्देशों के अनुसार, उर्वरक निरीक्षकों को प्रत्येक मौसम में प्रत्येक निर्माता, वितरक का एक बार निरीक्षण करना और थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और डीलर्स के गोदाम और अभिलेखों का निरीक्षण हर दो माह में करना आवश्यक था।

प्रबंध संचालक, मार्कफेड के निर्देश (अक्टूबर 2018 और सितंबर 2019) के अनुसार, जिला विपणन अधिकारी को जिले के प्रत्येक मार्कफेड गोदाम का त्रैमासिक निरीक्षण करना आवश्यक था। उर्वरक नियंत्रण आदेश परिसर/गोदाम और लेखों की तलाशी/जब्ती का प्रावधान करता है और उर्वरक नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंड भी लगाया जाना था।

उर्वरक निरीक्षक द्वारा किये गए निरीक्षण, परिसर की तलाशी/जब्ती और डीलर के लेखों और निरीक्षण के दौरान जब्त उर्वरक की मात्रा का विवरण संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। यह इंगित करता है कि यद्यपि संचालक ने जिलों को निर्देश जारी किए, लेकिन उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी इकाइयों की व्यावसायिक गतिविधियों की निगरानी करने में विफल रहे।

नमूना जाँच किए गए जिलों में हमने पाया कि:

- तीन जिलों भोपाल, छिंदवाड़ा और धार में 18 विनिर्माण इकाइयाँ थीं लेकिन इन इकाइयों का निरीक्षण नहीं किया गया था।
- अवधि 2017-22 के दौरान नौ में से सात जिलों में 7,081 निजी बिक्री केन्द्रों में से 1,621[3] (23 प्रतिशत) और 3,024 सहकारी बिक्री केन्द्रों में से 645[4] (21 प्रतिशत) का निरीक्षण किया गया। शेष दो जिलों (भोपाल एवं छिंदवाड़ा) ने विक्रय केन्द्रों की स्थिति नहीं बताई। 78 प्रतिशत विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण न किये जाने का मुख्य कारण उर्वरक निरीक्षकों की कमी थी। हमने पाया कि नमूना जांच किए गए जिलों में उर्वरक निरीक्षकों के स्वीकृत 442 पदों के विरूद्ध 316 (71 प्रतिशत) पद रिक्त थे।

[3] अलीराजपुर (793 में से 247), बालाघाट (1,277 में से 93), धार (1,918 में से 575), होशंगाबाद (1,011 में से 422), टीकमगढ़ (541 में से 71), सीधी (207 में से 40) और सिवनी (1,334 में से 173)।

[4] अलीराजपुर (130 में से 31), बालाघाट (710 में से 163), धार (655 में से 175), होशंगाबाद (540 में से 191), टीकमगढ़ (379 में से 35), सीधी (270 में से 0) और सिवनी (340 में से 50)।

- मार्कफेड के अंतर्गत, 10 में से नौ जिला विपणन अधिकारी को अवधि 2017-22 के दौरान मानदंडों के अनुसार 900 निरीक्षण (प्रत्येक गोदाम का त्रैमासिक निरीक्षण) करने की आवश्यकता थी, जिसके विरुद्ध उन्होंने 46 गोदामों के 566[5] (63 प्रतिशत) निरीक्षण किए। जिला विपणन अधिकारी, होशंगाबाद ने अवधि 2017-22 के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या उपलब्ध नहीं कराई।
- छह जिलों[6] में 336 प्रकरणों में परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें लगभग 331.521 एम.टी. उर्वरक कब्जे में लिया और चार जिलों[7] में जब्त किया गया।
- अवधि 2017-22 के दौरान उर्वरक नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के लिए 10 में से छह जिलों[8] में 59 प्रकरणों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई। इनमें मुख्य रूप से उर्वरक के अवैध परिवहन और निर्धारित दर से अधिक पर उर्वरक बिक्री करने से संबंधित थे। ये मामले न्यायिक विचाराधीन थे। नमूना जांच किए गए किसी भी जिले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्ड दिया जाना नहीं पाया गया।

उप संचालक, कृषि/जिला विपणन अधिकारी ने थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं की गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए। मानदंडों के अनुसार आवश्यक निरीक्षणों की कमी के कारण निजी खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त रहने के दौरान उर्वरक की खरीद और बिक्री की गई, जैसा कि **कंडिका 6.5 (vi)** में चर्चा की गई है। संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग और प्रबंध संचालक, मार्कफेड ने कहा (दिसंबर 2023) कि जिला स्तर पर मानव संसाधन की कमी और कार्य की अधिकता के कारण आवश्यक निरीक्षण नहीं किए गए थे।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि विभागीय आदेश के अनुपालन के लिए समय-समय पर उप संचालक, कृषि को निर्देश जारी किये गये। मार्कफेड ने भी गोदामों के निरीक्षण/भौतिक सत्यापन के लिए निर्देश जारी(सितंबर 2019) किए।

तथ्य यह है कि उर्वरक के थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में निरीक्षण नहीं किए गए।

7.5 उर्वरक की आपूर्ति एवं वितरण की निगरानी

7.5.1 सहकारी क्षेत्र की निगरानी

कृषि विभाग स्तर पर निगरानी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उर्वरक की आपूर्ति और वितरण की एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली पोर्टल में उपलब्ध वास्तविक समय के आकड़ों का विश्लेषण करके और राज्य स्तर के प्राधिकारियों और संभाग/जिला स्तर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करके निगरानी की जा रही थी।

सहकारिता विभाग स्तर पर निगरानी

पंजीयक, सहकारिता विभाग ने फसल मौसम के दौरान उर्वरकों के उचित प्रबंधन और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के निरीक्षण के निर्देश जारी (सितंबर 2002) किए। अग्रिम भण्डारण हेतु उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की निगरानी के लिए सहकारी समितियों के उप पंजीयक (डी.आर.सी.एस) जिला स्तर पर गठित समिति के सदस्य थे।

---

[5] अलीराजपुर (दो गोदाम-40 निरीक्षण), बालाघाट (सात गोदाम-55 निरीक्षण), भोपाल (चार गोदाम-48 निरीक्षण), छिंदवाड़ा (सात गोदाम-162 निरीक्षण), धार (6-7 गोदाम-104 निरीक्षण), टीकमगढ़ (छह गोदाम-98 निरीक्षण), सीधी (तीन गोदाम-20 निरीक्षण), सिवनी (6-7 गोदाम-22 निरीक्षण) और उमरिया (तीन गोदाम-17 निरीक्षण)।

[6] बालाघाट (तीन), छिंदवाड़ा (200), धार (23) सिवनी (छह), टीकमगढ़ (102) और उमरिया (दो)।

[7] बालाघाट (6.15 एम.टी.), धार (230.271 एम.टी.), सिवनी (67.85 एम.टी.), और (उमरिया (27.250 एम.टी.)।

[8] बालाघाट (तीन), छिंदवाड़ा (13), धार (24), होशंगाबाद (नौ), टीकमगढ़ (दो) और सिवनी (आठ)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन जिलों[9] के सहकारी समितियों के उप पंजीयक ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा उर्वरक के वितरण की निगरानी नहीं की, जबकि अन्य सात[10] सहकारी समितियों के उप पंजीयकों ने अधीनस्थ/क्षेत्रीय कर्मचारियों अर्थात सहायक निरीक्षक और सहकारिता विस्तार अधिकारी के माध्यम से वितरण की निगरानी की। लेकिन उन्होंने पर्यवेक्षण और निगरानी से संबंधित ऐसा कोई अभिलेख संधारित नहीं किया। जिलों (सीधी को छोड़कर) ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण हेतु क्षेत्र भ्रमण की कोई योजना तैयार नहीं की। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के अप्रभावी पर्यवेक्षण और निगरानी के कारण प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति स्तर पर स्टॉक में हेरफेर हुआ, जैसा कि **कंडिका 5.3.5(i) और 5.3.5 (ii)** में चर्चा की गई है।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2024) है।

उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि तीन जिलो में सहकारिता विभाग ने उर्वरकों की आपूर्ति एवं वितरण की निगरानी सुनिश्चित नहीं की |

7.6 उर्वरक की खपत का परिणाम

7.6.1 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण न होना

फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत किसानों को 179.88 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये गये ताकि किसान अपने खेतों की मिट्टी की स्थिति के बारे में जान सकें। वे फसल उत्पादन के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अनुशंसित उर्वरकों की सही मात्रा और संयोजन का उपयोग कर सकें और मिट्टी की उर्वरता बनाए रख सकें।

नमूना जांच किये गये जिलों में, अवधि 2017-22 के दौरान 19.12 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये गये। इसके अलावा हमने पाया कि उप संचालक, कृषि और मृदा परीक्षण इकाइयों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण सुनिश्चित नहीं किया। 250 किसानों के सर्वेक्षण के दौरान हमने पाया कि मृदा परीक्षण इकाइयों द्वारा 190 किसानों को मृदा कार्ड जारी किए गए थे। 190 किसानों में से 89 किसानों के पास मृदा कार्ड उपलब्ध था तथा 101 किसानों के पास कार्ड नहीं था। हमने पाया कि यद्यपि कार्ड मृदा परीक्षण इकाइयों द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन जारी किए गए कार्ड उप संचालक, कृषि के अधीन कार्यरत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (आर.ए.ई.ओ.) द्वारा किसानों को प्रदान नहीं किए गए थे।

उमरिया जिले में हमने पाया कि वर्ष 2018-19 में जारी किए गए 230 कार्ड किसान मित्र के घर, भरहुत (ब्लॉक-मानपुर) में रखे हुए थे और ध्यान दिलाने पर उप संचालक, कृषि ने कहा कि वितरण न करने के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को नोटिस जारी किया जाएगा।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अभाव में, मृदा की कमियों, अनुशंसित फसलें एवं उर्वरक/उनकी मात्रा को किसानों के ध्यान में नहीं लाया जा सका। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से संतुलित उर्वरक के प्रयोग का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका।

सर्वेक्षण किए गए किसानों के मामले में, हमने पाया कि 65 प्रतिशत किसान जिनके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड थे, उन्हें अपनी मिट्टी की कमियों के बारे में जानकारी थी और शेष किसानों को मिट्टी की कमियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 48 प्रतिशत किसानों (जिनके पास कार्ड था) ने उर्वरक की अनुशंसित मात्रा का उपयोग किया और शेष किसानों ने अनुशंसित मात्रा का उपयोग नहीं किया।

नमूना जांच किए गए जिलों में उप संचालक, कृषि ने किसानों द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उल्लिखित अनुशंसित मात्रा का उपयोग किया जाना सुनिश्चित नहीं किया।

विभाग ने बताया (जनवरी और फरवरी 2024) कि किसानों को हमेशा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार संतुलित उर्वरक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। किसानों को विभिन्न गतिविधियों जैसे किसान मेला, कार्यशाला और विभिन्न योजनाओं के तहत किसान प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

---

[9] छिंदवाड़ा, धार और उमरिया।

[10] अलीराजपुर, भोपाल, बालाघाट, होशंगाबाद, सिवनी और सीधी एवं टीकमगढ़।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित न करने का कोई कारण नहीं बताया गया, जिससे योजना का उद्देश्य विफल हो गया।

• अनुशंसित उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया गया

हमने पाया कि सर्वेक्षण में शामिल 31 किसान, जिन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए थे, उनमें से 27 किसानों ने अनुशंसित उर्वरक (उर्वरक का संयोजन) विशेषकर एम.ओ.पी का उपयोग नहीं किया। सर्वेक्षण किए गए किसानों द्वारा फसल-वार उर्वरक उपयोग न करने का विवरण **तालिका 7.2** में दिया गया है।

तालिका 7.2: सर्वेक्षण किए गए किसानों द्वारा उर्वरक का उपयोग न करना

क्र.सं.	फसल का नाम	उर्वरक का संयोजन	जिलों की संख्या	किसानों की कुल संख्या	प्रयुक्त उर्वरक (किसानों की संख्या)	उर्वरक जिनका उपयोग नहीं किया गया
1	गेहूँ	यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी.	5	29	यूरिया, डी.ए.पी. (29), एम.ओ.पी. (चार)	एम.ओ.पी. (25)
2	धान	यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी.	4	22	यूरिया, डी.ए.पी. (22), एम.ओ.पी. (एक)	एम.ओ.पी. (21)
		यूरिया, एम.ओ.पी., एस.एस.पी.	एक (होशंगाबाद)	तीन	यूरिया, एस.एस.पी. (तीन)	एम.ओ.पी. (तीन)
3	मक्का	यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी.	एक	एक	यूरिया, डी.ए.पी.	एम.ओ.पी.
4	चना	यूरिया, एम.ओ.पी., एस.एस.पी./एम.ओ.पी., डी.ए.पी.	एक	चार	यूरिया, डी.ए.पी. (चार)	एम.ओ.पी.[11] (चार)
5	मूंग	एमओपी, डीएपी,	एक	एक	एस.एस.पी.	डी.ए.पी., एम.ओ.पी.

(स्रोत: मृदा स्वास्थ्य कार्ड और सर्वेक्षण किए गए किसानों द्वारा प्रस्तुत किये गए उत्तर)

• अनुशंसित उर्वरक की मात्रा का उपयोग नहीं किया गया

इसके अलावा, सर्वेक्षण में शामिल 31 किसानों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अनुशंसित फसलों के लिए निर्धारित उर्वरकों[12] की अनुशंसित मात्रा का उपयोग नहीं किया। विवरण ***परिशिष्ट-7.2 (अ)*** और ***परिशिष्ट-7.2 (ब)*** में दिया गया है।

मात्रा के अनुप्रयोग में विचलन का तात्पर्य है कि विभाग द्वारा किसानों के बीच प्रेरणा की कमी थी और किसानों में जागरूकता की कमी थी जैसा कि हमने सर्वेक्षण में पाया।

विभाग ने कहा (जनवरी और फरवरी 2024) कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड में की गई अनुशंसा विश्वसनीय नहीं है और किसानों ने उन्ही उर्वरक का उपयोग किया जो उन्हें उपलब्ध कराया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मृदा कार्डों में अनुशंसाएं प्रयोगशालाओं में किए गए मृदा परीक्षणों के आधार पर जारी की गई थीं, जो खेतों से एकत्र किए गए मृदा नमूनों के अनुसार थीं।

[11] यदि डी.ए.पी का उपयोग किया जाता है तो एस.एस.पी को डी.ए.पी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, एस.एस.पी की आवश्यकता नहीं है।

[12] यूरिया (दो से 17 किसानों ने अधिक मात्रा उपयोग की और एक से 19 किसानों ने कम मात्रा उपयोग की), डी.ए.पी. (एक से 16 किसानों ने अधिक मात्रा उपयोग की और एक से 11 किसानों ने कम मात्रा उपयोग की), एम.ओ.पी (एक किसान ने अधिक मात्रा उपयोग की और एक से दो किसानों ने कम मात्रा उपयोग की और एक से 25 किसानों ने एम.ओ.पी का उपयोग नहीं किया।

7.6.2 संतुलित उर्वरक के उपयोग हेतु की गई कार्रवाई

हमने पाया कि संचालक ने संतुलित उर्वरक के उपयोग के संबंध में खरीफ 2021 और रबी 2021-22 में उप संचालक, कृषि को निर्देश जारी (जून 2021 और सितंबर 2021) किया। इसके अलावा, यूरिया और डी.ए.पी के उपयोग की तुलना में मिट्टी में अधिक पोटाश के उपयोग के लिए निर्देश जारी(अक्टूबर 2021) किए गए थे।

संचालक ने कहा कि जिलों ने संतुलित उर्वरक के उपयोग पर कार्यालयों, कृषि उपज मण्डी में बैनर लगाये थे, जिनकी सूचना व्हाट्सएप ग्रुप में दी गई थी और जिला स्तर पर की गई कार्रवाई की प्रगति प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं थी। संचालक ने तथ्य के समर्थन में कोई अभिलेख/प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इससे पता चलता है कि संचालक ने अपने द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया |

संतुलित उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने पर लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में, संचालक ने कहा कि किसानों के बीच संतुलित उर्वरक का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एवं साहित्य वितरण इत्यादि के माध्यम से जागरूकता पैदा की गई थी। इसके अलावा, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि तकनीक का उपयोग करने के लिए शिक्षित करने के लिए आई.ई.सी गतिविधियाँ यथा किसान सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, फसल प्रदर्शनी आदि की गईं। संचालक ने तथ्य के समर्थन में कोई साक्ष्य/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। गतिविधियों के परिणाम का आकलन करने के लिए विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई।

10 में से नौ जिलों (अलीराजपुर को छोड़कर) के उप संचालक, कृषि ने कहा कि किसान मेला, कृषक संगोष्ठी जैसी आई.ई.सी गतिविधियां आयोजित की गईं और पर्चे, पोस्टर, साहित्य वितरित किए गए। लेकिन तथ्यों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

250 किसानों के सर्वेक्षण के दौरान हमने पाया कि 83 प्रतिशत किसानों को उर्वरक के उपयोग के संबंध में कृषि विभाग से कोई सलाह नहीं मिली। 91 प्रतिशत किसानों को अपनी मिट्टी और फसल के अनुसार संतुलित उर्वरक के प्रयोग का कोई प्रशिक्षण नहीं मिला. 91 प्रतिशत किसानों ने उर्वरक के संतुलित उपयोग के लिए किसी सेमिनार में भाग नहीं लिया । यह दर्शाता है कि विभाग ने संतुलित उर्वरकों और पौधों के पोषक तत्वों के उपयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम को सुदृढ़ नहीं किया।

विभाग ने कहा (जनवरी और फरवरी 2024) कि किसानों को उत्पादन में उन्नत फसल पद्धति के बारे में जानकारी प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है, हालांकि इसका दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है। उपलब्ध बजट के अनुसार किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा, विभाग ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ प्रदान किया।

विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए उत्तर के समर्थन में साक्ष्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये।

7.6.3 एन पी के में परिवर्तन

उर्वरक तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उर्वरक, द्वितीयक उर्वरक और सूक्ष्म पोषक उर्वरक। प्राथमिक उर्वरकों को लोकव्यापी रूप से रासायनिक उर्वरक कहा जाता है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम (एन.पी.के) युक्त होता है। द्वितीयक उर्वरकों में सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं और सूक्ष्म पोषक उर्वरक में जिंक, बोरान, तांबा, लोहा, मैंगनीज आदि होते हैं। प्राथमिक उर्वरक का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है और अन्य उर्वरकों का उपयोग कम मात्रा में किया जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से खाद्यान्न/उपज प्रभावित होती है।

यूरिया 46 प्रतिशत नाइट्रोजन प्रदान करता है और डी.ए.पी 18 प्रतिशत नाइट्रोजन प्रदान करता है जबकि एस.एस.पी और डी.ए.पी क्रमशः 16 प्रतिशत और 46 प्रतिशत फॉस्फोरस प्रदान करते है। एम.ओ.पी 60 प्रतिशत पोटाश प्रदान करता है। यूरिया, डी.ए.पी और एस.एस.पी के अत्यधिक उपयोग से नाइट्रोजन और फास्फोरस व्यापक रूप से प्राप्त हुआ। नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग से जिंक की कमी हुई और फॉस्फोरस के अधिक उपयोग से जिंक और कॉपर दोनों की कमी हुई।

उर्वरक की खपत मोटे तौर पर उर्वरक की निर्धारित आवश्यकता के अनुरूप होने के बजाय उर्वरक की उपलब्धता पर आधारित थी। उर्वरकों का उपयोग मिट्टी और उगाई जाने वाली फसलों की आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रमुख उर्वरकों की वर्ष-वार खपत की जांच से पता चला कि वर्ष दर वर्ष खपत में वृद्धि हुई है जैसा कि **तालिका 7.3** में दिया गया है।

तालिका 7.3: मध्य प्रदेश में उर्वरक की खपत (मात्रा एल.एम.टी. में)						
वर्ष	**यूरिया (प्रतिशत)**	**डी.ए.पी (प्रतिशत)**	**एम.ओ.पी (प्रतिशत)**	**एस.एस.पी (प्रतिशत)**	**कॉम्प्लेक्स (प्रतिशत)**	**कुल**
2017-18	22.48 (53)	10.81(26)	1.11 (2)	5.41 (13)	2.45 (6)	42.26
2018-19	29.50 (51)	12.63 (22)	1.09 (1)	11.07 (19)	3.88 (7)	58.17
2019-20	29.99 (51)	13.46 (23)	1.13 (2)	10.49 (18)	3.74 (6)	58.81
2020-21	30.18 (49)	16.07 (26)	1.50 (2)	10.45 (17)	3.99 (6)	62.19
2021-22	29.08 (49)	12.00 (20)	1.18 (2)	12.26 (21)	4.95 (8)	59.47
कुल	**141.23 (50)**	**64.97 (23)**	**6.01 (2)**	**49.68 (18)**	**19.01 (7)**	**280.90**

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि उर्वरकों की कुल खपत 41 प्रतिशत अर्थात 2017-18 में 42.26 एल.एम.टी से बढ़कर 2021-22 में 59.47 एलएमटी हो गई। इसके अलावा, अवधि 2017-21 के दौरान यूरिया और डी.ए.पी की खपत में वृद्धि हुई और अवधि 2017-22 के दौरान एस.एस.पी और कॉम्प्लेक्स की खपत में भी वृद्धि हुई। मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना उर्वरक की खपत में वर्ष दर वर्ष वृद्धि मिट्टी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उर्वरक की आवश्यकता का आकलन मिट्टी की स्थिति के अनुसार नहीं था जैसा कि **अध्याय 2** में चर्चा की गई है। उर्वरक का उपयोग उनकी उपलब्धता के अनुसार पाँच वर्षों में बढ़ा है। उर्वरक का उपयोग मिट्टी की स्थिति के अनुसार नहीं किया गया था। नाइट्रोजन और फॉस्फेटिक उर्वरक (यूरिया, डी.ए.पी, एस.एस.पी) और अन्य उर्वरकों के अधिक उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य को प्रभावित किया। चयनित जिलों में पाँच वर्षों में मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की स्थिति का उल्लेख **कंडिका 5.6.1** में किया गया है।

7.6.3.1 एन.पी.के. की खपत में रुझान

उर्वरक का आकलन मिट्टी की स्थिति के अनुसार नहीं किया गया जिसकी चर्चा **अध्याय-2** में की गई है। विभाग राज्य की मिट्टी की स्थिति के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध नहीं करा सका। किसानों ने उन उर्वरकों का उपयोग किया जो उन्हें राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। परिणामस्वरूप, एन.पी.के के संदर्भ में उर्वरकों के पोषक तत्व अपरिवर्तित रहे। राज्य एन.पी.के 4:2:1 का इष्टतम अनुपात प्राप्त नहीं कर सका।

अवधि 2017-22 के दौरान मध्य प्रदेश में एन.पी.के (एल.एम.टी/प्रतिशत) और किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की खपत का रुझान **तालिका 7.4** में दिया गया है।

तालिका 7.4: मध्य प्रदेश में एनपीके (एलएमटी/प्रतिशत) की खपत का रुझान													
वर्ष	**एल.एम.टी. में मात्रा**					**प्रतिशत के हिसाब से**				**प्रति हेक्टेयर किलोग्राम**			
	एन.	**पी.**	**के.**	**योग**	**एन:पी:के**	**एन.**	**पी.**	**के.**	**योग**	**एन.**	**पी.**	**के.**	**योग**
2017-18	12.63	6.55	0.98	20.16	13:7:1	63	32	5	100	51.37	26.63	3.99	81.99
2018-19	16.38	8.69	1.14	26.21	14:8:1	63	33	4	100	64.73	34.33	4.52	103.58
2019-20	16.73	8.94	1.16	26.83	14:8:1	63	33	4	100	58.02	31.02	4.02	93.06
2020-21	17.33	10.21	1.40	28.94	12:7:1	60	35	5	100	57.73	34.00	4.67	96.40
2021-22	16.29	8.90	1.33	26.52	12:7:1	61	34	5	100	57.87	31.79	4.86	94.52
औसतन खपत	15.87	8.66	1.20	25.73						57.94	31.55	4.41	93.90

(स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी प्रभाग (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार और कृषि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि:

- किसानों द्वारा उर्वरक खपत में नाइट्रोजन की हिस्सेदारी दो तिहाई है। शेष पी. और के. की उर्वरक खपत में एक तिहाई हिस्सेदारी है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान एन. पी. के. की औसत खपत क्रमशः 15.87, 8.66 और 1.20 एल.एम.टी

थी। इसका तात्पर्य यह है कि किसान पिछले पांच वर्षों के दौरान नियमित रूप से एन. पी. के. उर्वरकों के एक ही स्वरुप का उपयोग कर रहे थे।

- पिछले पांच वर्षों के दौरान उर्वरक की वार्षिक औसत खपत 94 किलोग्राम/हेक्टेयर थी। किसानों के बीच उर्वरकों की 2017-18 में 82 किलोग्राम/हेक्टेयर से एकाएक बढ़कर 2021-22 में 95 किलोग्राम/हेक्टेयर हो गई। लेकिन उपभोग पैटर्न में उतार-चढ़ाव रहा। एन. की औसत खपत 57.94 किग्रा/हेक्टेयर, पी. 31.55 और के. की 4.41 किग्रा/हेक्टेयर थी।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में 2017-18 की तुलना में 2021-22 में पोषक तत्व अनुपात (एन:पी:के एक जैसा ही था जो 4:2:1 के इष्टतम अनुपात से बहुत दूर था। विभाग के पास पोषक तत्व अनुपात को इष्टतम अनुपात में सुधारने का कोई लक्ष्य नहीं था। जैविक खाद/जैव उर्वरक का उपयोग करके इसे कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

विभाग ने कहा (जनवरी और फरवरी 2024) कि किसानों द्वारा उर्वरक का उपयोग उर्वरक की कीमत के साथ-साथ उर्वरक के उपयोग पर भी निर्भर करता है और कम कीमत के कारण किसानों ने अतिरिक्त यूरिया का उपयोग किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राज्य में उर्वरक का आकलन और आपूर्ति पिछली खपत के आधार पर की गई थी और किसानों ने उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार नहीं, बल्कि उर्वरकों की उपलब्धता के अनुसार किया था।

7.6.4 फसल क्षेत्र एवं उर्वरकों की खपत

विभिन्न फसलों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावित फसल क्षेत्र के अनुसार उर्वरक की अनुमानित आवश्यकता का आकलन किया गया था। विभिन्न जिलों का फसल-वार मूल्यांकन उर्वरकों की आवश्यक मात्रा के आधार पर नहीं किया गया था क्योंकि यह संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, फसल-वार/क्षेत्र-वार प्रयुक्त उर्वरक भी संचालक के पास उपलब्ध नहीं था। संचालक ने कहा कि विभिन्न फसलों में उपयोग किए गए उर्वरक की वास्तविक मात्रा का प्रतिवेदन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था और एन.पी.के की आवश्यक मात्रा जिला स्तर पर उपलब्ध थी, राज्य स्तर पर नहीं। नमूना जांच किए गए जिलों के उप संचालक, कृषि विभिन्न फसलों और उनके क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उर्वरकों की मात्रा के आकड़ों का संधारण नहीं कर रहे थे।

राज्य में फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल[13] के अनुसार रासायनिक उर्वरकों (ए.ए.स को छोड़कर) का औसत उपयोग **तालिका 7.5** में दिया गया है।

तालिका 7.5: राज्य में रासायनिक उर्वरकों (प्राथमिक) का औसत उपयोग

वर्ष	फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में)	रासायनिक उर्वरक की खपत (एल.एम.टी में)	औसत उपयोग (किलोग्राम/हेक्टेयर)
2017-18	248.80	42.26	170
2018-19	261.32	58.17	223
2019-20	285.61	58.81	206
2020-21	294.27	62.19	211
2021-22	293.33	59.47	203

(स्रोत- विभाग के आकड़ें)

मध्य प्रदेश में फसलों का क्षेत्रफल वर्ष 2017-18 में 248.80 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 294.27 लाख हेक्टेयर हो गया और 2021-22 में घटकर 293.33 लाख हेक्टेयर हो गया। इसी अवधि में उर्वरक की खपत भी 42.26 एल.एम.टी से बढ़कर 62.19 एल.एम.टी हो गई और उसके बाद यह घटकर 59.47 एल.एम.टी हो गई। अवधि 2017-18 से 2021-22 तक उर्वरक के उपयोग में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि फसल क्षेत्र में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अवधि 2017-22 के दौरान उर्वरक की खपत में कुल वृद्धि फसलों के अंतर्गत क्षेत्रों में वृद्धि के अनुपात में नहीं थी, जो मुख्य रूप से उर्वरक के अत्यधिक उपयोग के कारण थी।

[13] ग्रीष्म ऋतु (जायद) का क्षेत्र खरीफ और रबी मौसम के अंतर्गत शामिल है।

विभाग ने कहा (जनवरी और फरवरी 2024) कि उर्वरक का उपयोग सिंचाई में वृद्धि और पैदा की जाने वाली फसलों के प्रकार पर निर्भर करता है। इसके अलावा, नाइट्रोजन और फॉस्फेट आधारित उर्वरकों के अधिक उपयोग और पोटाश उर्वरक के कम उपयोग के कारण एन.पी.के अनुपात अधिक था क्योंकि 35 जिलों में नाइट्रोजन कम था और 12 जिलों में फास्फोरस कम था। कम कीमत के कारण किसानों ने यूरिया का अधिक उपयोग किया।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि विभाग राज्य की मिट्टी की स्थिति के अनुसार उर्वरक उपलब्ध नहीं करा सका और रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव/जैविक उर्वरकों के उपयोग को प्राथमिकता नहीं दी। ऐसा राज्य में संतुलित उर्वरक के उपयोग न होने के कारण हुआ। इसके अलावा, सिंचाई की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उर्वरक की आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया।

अनुशंसाएँ:

- *उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रवर्तन अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।*
- *मध्य प्रदेश शासन को राज्य में उर्वरक व्यवसाय करने के लिए निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को जारी किए गए विनिर्माण प्रमाणपत्रों और प्राधिकार पत्रों की ऑनलाइन निगरानी पर विचार करना चाहिए।*
- *मध्य प्रदेश शासन पॉडकास्ट और वीडियो के माध्यम से उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर प्रशिक्षण देने की संभावना तलाश सकती है, जिसे सोशल मीडिया पर आसानी से साझा किया जा सकता है।*
- *मृदा परीक्षण के परिणामों के प्रभावी संचार के लिए उप संचालक, कृषि और मृदा परीक्षण इकाइयों द्वारा किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण तंत्र में सुधार किया जाना चाहिए।*

अध्याय-8

निष्कर्ष

अध्याय-8

निष्कर्ष

i. विभाग ने भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक फसल मौसम के लिए उर्वरक की आवश्यकता का पर्याप्त रूप से आकलन नहीं किया और जिलों से आदान प्राप्त किए बिना आवश्यकता का आकलन किया। परिणामस्वरूप, मांग आवश्यकता पर आधारित नहीं थी।

ii. उर्वरक की आवश्यकता का आकलन जिलों की मिट्टी की स्थिति के आधार पर नहीं किया गया। इससे उर्वरकों का असंतुलित उपयोग हुआ, जिसका असर मृदा स्वास्थ्य पर पड़ा।

iii. आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली छूट (डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. पर) का लाभ किसानों को नहीं दिया गया, जिससे किसानों पर ₹ 10.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा क्योंकि खरीफ 2019 में उर्वरक अधिक दर पर बिक्री किया गया।

iv. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग और प्रबंध संचालक, मार्कफेड ने जिलों में आवश्यक मात्रा में उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिलों की मांग के अनुसार उर्वरकों की जिलावार मासिक आपूर्ति योजना तैयार नहीं की।

v. मार्कफेड के गोदामों में 4,790 एम.टी. उर्वरक अविक्रेय उर्वरक के रूप में पड़ा हुआ था, फिर भी एक से चौंतीस वर्षों तक इस मात्रा के निपटान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जिला स्तर पर भौतिक स्टॉक और एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली स्टॉक शेष के बीच स्टॉक का मिलान नहीं था।

vi. संचालक ने जिलों से मांग प्राप्त किए बिना ही राज्य के लिए माहवार वितरण लक्ष्य का आकलन कर लिया तथा ऐसे लक्ष्य का माह वार/जिला वार विभाजन निर्धारित नहीं किया, जिसके कारण कुछ जिलों में यूरिया और डी.ए.पी. का अत्यधिक वितरण हुआ तथा अन्य जिलों में कम वितरण हुआ।

vii. अवधि 2017-22 के दौरान, राज्य में जैविक/जैव उर्वरक तथा सूक्ष्म पोषक तत्व आधारित उर्वरक के वितरण के लिए कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। इसके अलावा, विभाग द्वारा रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने के लिए जैविक/जैव उर्वरक के उपयोग के लिए अभी तक कोई प्रभावी योजना नहीं बनाई गई थी। मार्कफेड ने कमी के अनुसार सूक्ष्म पोषक उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की, जबकि सूक्ष्म पोषक उर्वरक की कमी पांच वर्षों में बढ़ गई।

viii. राज्य में उर्वरक गुणवत्ता परीक्षण क्षमता एवं सुविधाएं अपर्याप्त होने के बावजूद वर्ष 2020-21 में स्वीकृत दो जैव-उर्वरक प्रयोगशालाएं तथा वर्ष 2012-13 में स्वीकृत चार संभाग स्तरीय प्रयोगशालाएं संचालित नहीं की गईं।

ix. उर्वरक के बैच/लॉट नंबर के अभाव में, नमूने के लिए गोदाम में चयनित लॉट में केवल अमानक मात्रा की बिक्री प्रतिबंधित की गई तथा उसी आपूर्तिकर्ता के समान उर्वरक को जिले/राज्य के अन्य क्षेत्रों में वितरित करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। पर्याप्त प्रचार-प्रसार के अभाव तथा जिन किसानों को अमानक उर्वरक बिक्री किए, उनके समुचित अभिलेखों के अभाव के कारण अवधि 2017-22 के दौरान किसी भी किसान को बिक्री किए गए अमानक उर्वरक की कीमत वापस नहीं की गई।

x. राज्य/जिला स्तर पर जारी उर्वरक व्यवसाय के लिए विनिर्माण प्रमाणपत्रों/प्राधिकार पत्रों के नवीनीकरण की निगरानी के लिए विभाग द्वारा कोई ऑनलाइन तंत्र विकसित नहीं किया गया था।उप संचालक, कृषि ने उर्वरक नियंत्रण आदेश और विभागीय आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्राधिकार पत्रों का नवीनीकरण किया।

xi. राज्य में प्रवर्तन प्राधिकारियों के स्वीकृत पदों में से 40 से 76 प्रतिशत पद रिक्त थे, जिससे उर्वरक नियंत्रण आदेश/आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का लागू होना प्रभावित हुआ।

xii. जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए लेकिन किसानों को वितरित नहीं किए जाने के मामले सामने आए हैं। राज्य में एन.पी.के. अनुपात आदर्श एन.पी.के. अनुपात 4:2:1 से काफी नीचे था और वर्ष 2021-22 में यह 12:7:1 था। उर्वरकों की खपत में वृद्धि फसल क्षेत्र में वृद्धि के अनुपात में नहीं थी क्योंकि उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार नहीं था।

भोपाल
दिनांक 04 अप्रैल 2025

(प्रिया पारिख)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 08 अप्रैल 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 1.1, पृष्ठ संख्या 1)

उर्वरक की आवश्यकता के आकलन से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया

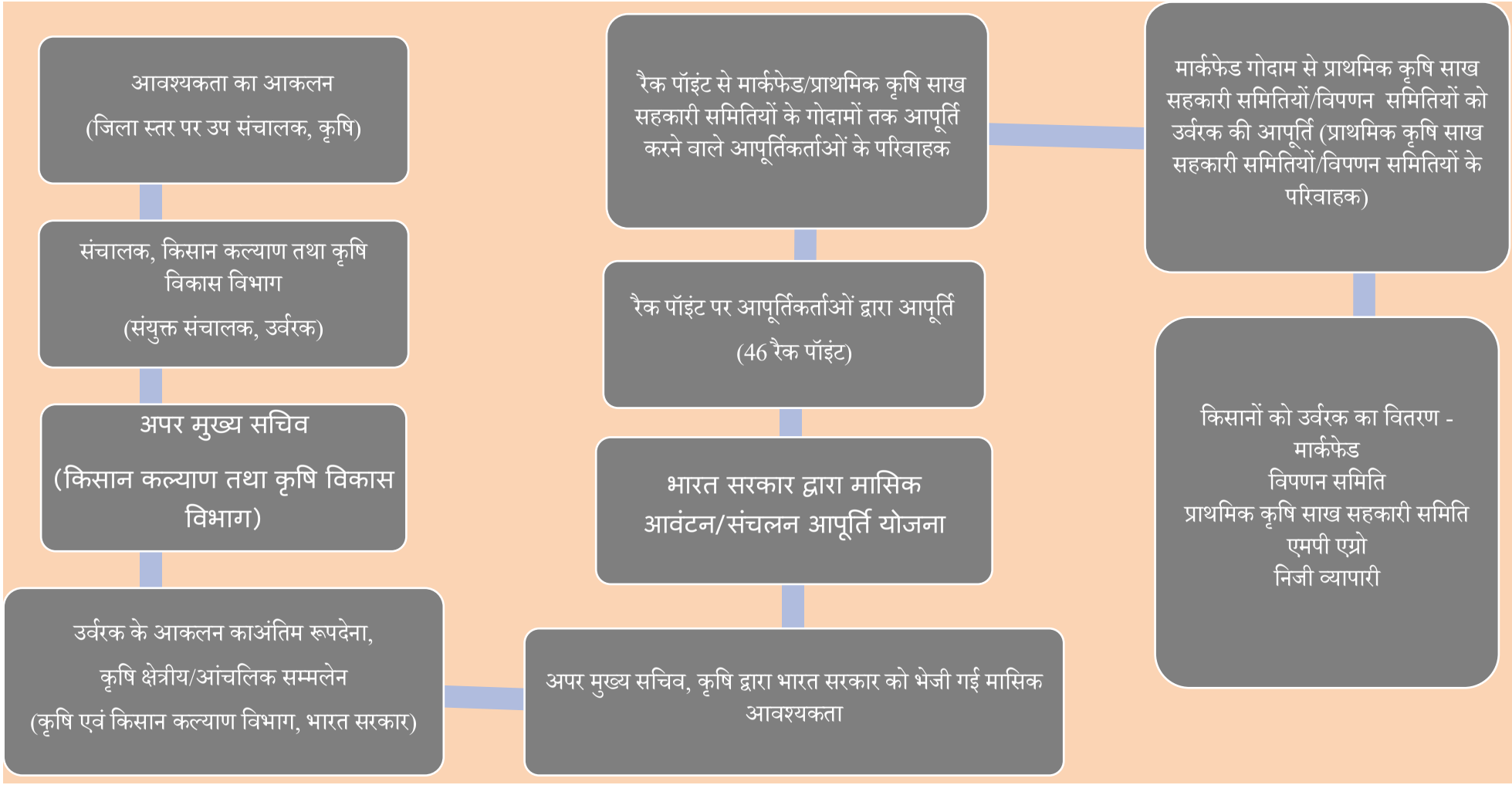

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 1.2, पृष्ठ संख्या 2)

राज्य/जिला स्तरीय एजेंसियां

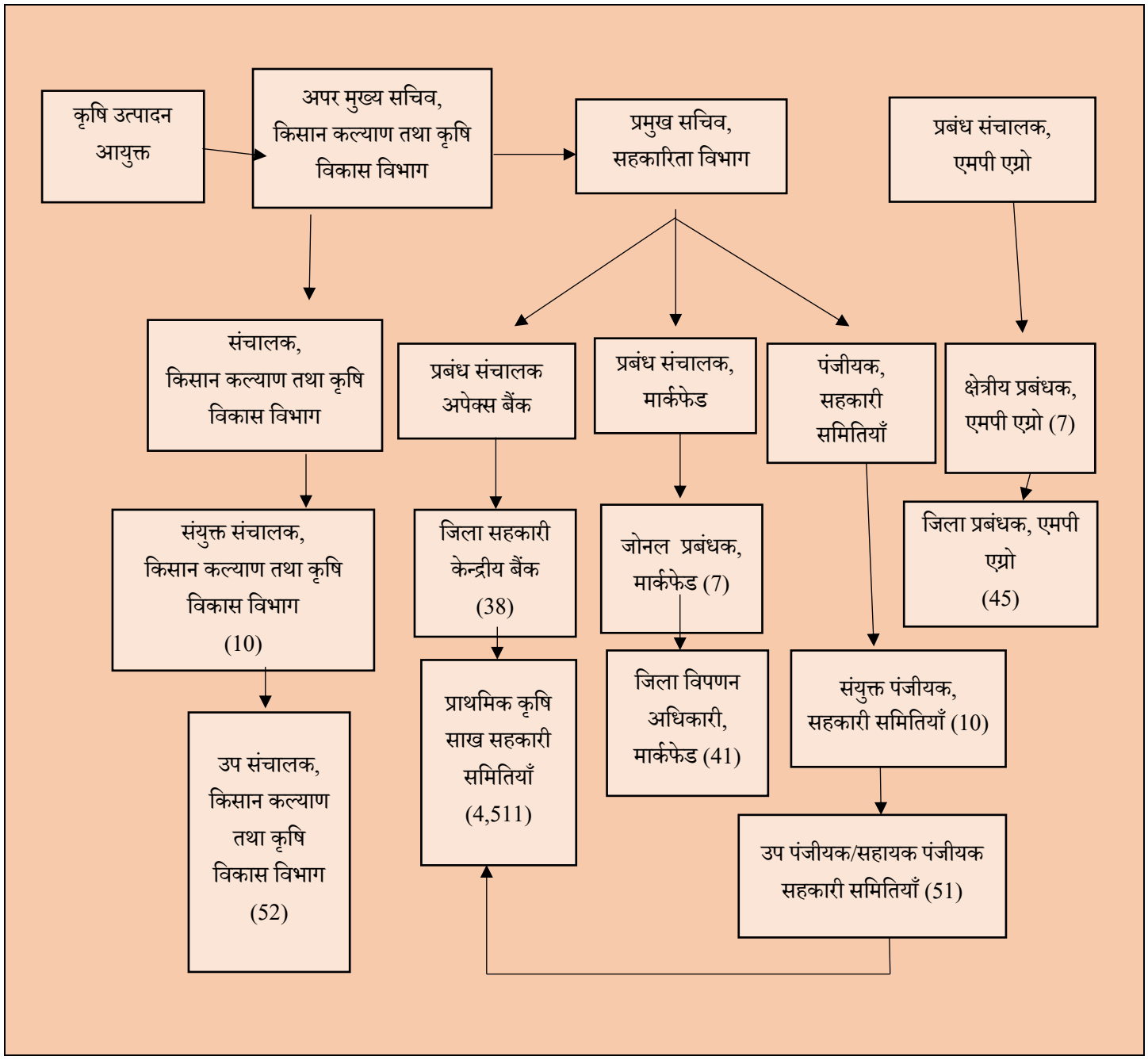

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 3.1.1 (i), पृष्ठ संख्या 12)

कॉम्पलेक्स उर्वरकों की लक्षित मात्रा, आकलन और खरीद का विवरण

श्रेणी	मौसम	उर्वरक का नाम	लक्षित मात्रा (एम.टी. में)	आकलन (एम.टी. में)	खरीदी गई मात्रा (एम.टी. में)
लक्ष्य के विरूद्ध खरीद	खरीफ 2019, 2021 और रबी 2019-22	एन.पी.के. 20:20:0	1,10,075	12,000	4,110.65
	खरीफ 2019, 2021 और रबी 2019-21	एन.पी.के. 14:28:14	1,350	10,500	0
		एन.पी.के. 14:35:14	7,925	13,000	06
योग			**1,19,350**	**35,500**	**4,116.65**
लक्ष्य के विरूद्ध खरीद न होना	खरीफ 2019 और खरीफ 2021	एन.पी.के. 15:15:15	1,875	0	0
		एन.पी.के. 16:20:00	675	0	0
		एन.पी.के. 13:33:06	675	0	0
		एन.पी.के. 28:28:0	1,075	0	0
	खरीफ 2019	एन.पी.के. 16:16:16	400	0	0
	खरीफ 2021	एन.पी.के. 14:28:14	275	0	0
योग			**4,975**	**0**	**0**
लक्ष्य के विरूद्ध खरीद कम/नहीं होना	रबी 2019-20 और रबी 2020-21	एन.पी.के. 15:15:15	2,025	0	0
		एन.पी.के. 16:20:00	1,350	0	0
		एन.पी.के. 13:33:06	675	0	0
		एन.पी.के. 16:16:16	1,075	0	0
		एन.पी.के. 24:24:0	1,075	0	0
	रबी 2019-20 से 2021-22	एन.पी.के. 28:28:0	2,575	0	0
	रबी 2020-21	एन.पी.के. 20:20:0	16,131	0	94
योग			**24,906**	**0**	**94**

परिशिष्ट-5.1

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 5.3.2, पृष्ठ संख्या 35)

अवधि 2017-22 के दौरान विभिन्न माहों में लक्ष्य के विरुद्ध उर्वरक-वार वितरण में कमी की स्थिति

क्र. सं.	उर्वरक का नाम	मौसम	वर्ष									
			2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
			माह	कमी का प्रतिशत	माह	कमी का प्रतिशत	माह	कमी का प्रतिशत	माह	कमी का प्रतिशत	माह	कमी का प्रतिशत
1	डी.ए.पी.	खरीफ	अप्रैल, मई	82-99	अप्रैल, मई	73-93	अप्रैल, मई, जून, अगस्त एवं सितम्बर	13-93	अप्रैल, मई, सितम्बर	14-95	अप्रैल, मई, अगस्त, सितम्बर	50-96
		रबी	अक्टूबर एवं जनवरी से मार्च	26-70	अक्टूबर, फरवरी, मार्च	11-21	अक्टूबर, मार्च	11-36	जनवरी, फरवरी	16-52	अक्टूबर से मार्च	5-57
2	एम.ओ.पी.	खरीफ	अप्रैल, मई	84-99	अप्रैल, मई, जून	40-93	अप्रैल, मई, जून, अगस्त एवं सितम्बर	20-94	अप्रैल, मई, अगस्त, सितम्बर	33-96	अप्रैल, मई, अगस्त, सितम्बर	42-88
		रबी	अक्टूबर एवं दिसंबर, जनवरी से फरवरी	1-70	अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी	7-46	अक्टूबर, फरवरी, मार्च	12-46	-	-	अक्टूबर से मार्च	10-88
3	कॉम्प्लेक्स	खरीफ	अप्रैल, मई, अगस्त	27-100	अप्रैल, मई	53-93	अप्रैल, मई, जून, अगस्त एवं सितम्बर	48-90	अप्रैल, मई, अगस्त	42-96	अप्रैल, मई, अगस्त	62-94
		रबी	अक्टूबर एवं दिसंबर, जनवरी से फरवरी	23-69	फरवरी, मार्च	59	अक्टूबर, फरवरी, मार्च	10-50	जनवरी	24	जनवरी से मार्च	13-57

क्र. सं.	उर्वरक का नाम	मौसम	वर्ष									
			2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
			माह	कमी का प्रतिशत	माह	कमी का प्रतिशत	माह	कमी का प्रतिशत	माह	कमी का प्रतिशत	माह	कमी का प्रतिशत
4	यूरिया	खरीफ	अप्रैल, मई जुलाई	10-93	अप्रैल, मई	33-80	अप्रैल, मई, जून, सितम्बर	2-80	अप्रैल, मई	45-88	अप्रैल, मई, सितम्बर	24-91
		रबी	अक्टूबर, दिसंबर	1-60	अक्टूबर, नवम्बर	3-40	अक्टूबर	49	अक्टूबर से दिसंबर	6-30	अक्टूबर से दिसंबर	3-38
5	एस.एस.पी.	खरीफ	अप्रैल से जून एवं अगस्त, सितम्बर	40-97	अप्रैल, मई	56-82	अप्रैल, मई, सितम्बर	49-66	अप्रैल, मई, सितम्बर	15-87	अप्रैल, मई, सितम्बर	18-75
		रबी	अक्टूबर से जनवरी	45-95	अक्टूबर से मार्च	16-62	जनवरी से मार्च	17-83	दिसंबर से फरवरी	13-22	अक्टूबर से दिसंबर	9-38

परिशिष्ट-5.2

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 5.3.4.2(i), पृष्ठ संख्या 38)

किसानों को डी.ए.पी., एन.पी.के. अधिक दर पर बिक्री करने का विवरण

(मात्रा एम.टी. में और राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिले का नाम	केन्द्र/गोदाम का नाम	अवधि	उर्वरक का नाम	बिक्री की मात्रा	वास्तविक बिक्री की दर	शासकीय बिक्री की दर	अंतर	बिक्री के मूल्य में अंतर
1	छिंदवाड़ा	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, घोटी	11.10.2019 से फरवरी 2020	डी.ए.पी.	12.400	27,000	24,000	3,000	37,200
		प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, छिन्दी (पातालकोट)	11.10.2019 से फरवरी 2020	डी.ए.पी.	52.600	26,900	24,000	2,900	1,52,540
		प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, जामसावली	11.10.2019 से फरवरी 2020	डी.ए.पी.	9.250	27,000	24,000	3,000	27,750
	योग	**3**			**74.250**				**2,17,490**
2	सिवनी	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, धरना	11.10.2019 से फरवरी 2020	डी.ए.पी.	18.350	26,900	24,000	2,900	53,215
				डी.ए.पी.	25.900	24,440	24,000	440	11,396
		प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, बांकी	11.10.2019 से फरवरी 2020	एन.पी.के. 12:32:16	0.200	29,625	23,700	5,925	1,185
	योग	**2**			**44.450**				**65,796**
3	बालाघाट	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, कोचेवाही	11.10.2019 से फरवरी 2020	डी.ए.पी.	27.850	24,440	24,000	440	12,254

क्र. सं.	जिले का नाम	केन्द्र/गोदाम का नाम	अवधि	उर्वरक का नाम	बिक्री की मात्रा	वास्तविक बिक्री की दर	शासकीय बिक्री की दर	अंतर	बिक्री के मूल्य में अंतर
		प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, सिहोरा	11.10.2019 से फरवरी 2020	डी.ए.पी.	13.200	24,440	24,000	440	5,808
				एन.पी.के. 12:32:16	14.050	25,200	23,700	1,500	21,075
				एन.पी.के. 12:32:16	3.800	24,200	23,700	500	1,900
				एन.पी.के. 12:32:16	1.300	24,738	23,700	1,038	1,349
				एन.पी.के. 12:32:16	0.550	24,745	23,700	1,045	575
				एन.पी.के. 12:32:16	1.600	24,450	23,700	750	1,200
				एन.पी.के. 12:32:16	0.650	24,815	23,700	1,115	725
				एन.पी.के. 12:32:16	0.450	24,978	23,700	1,278	575
	योग	**2**			**63.450**				**45,461**
4	धार	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बकसाना	11.10.2019 से फरवरी 2020	डी.ए.पी.	19.750	24,440	24,000	440	8,690
				एन.पी.के. 12:32:16	127.700	24,200	23,700	500	63,850
		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बलेड़ी	11.10.2019 से फरवरी 2020	डी.ए.पी.	17.050	26,860	24,000	2,860	48,763
				एन.पी.के. 12:32:16	8.350	27,500	23,700	3,800	31,730
					32.900	24,200	23,700	500	16,450

क्र. सं.	जिले का नाम	केन्द्र/गोदाम का नाम	अवधि	उर्वरक का नाम	बिक्री की मात्रा	वास्तविक बिक्री की दर	शासकीय बिक्री की दर	अंतर	बिक्री के मूल्य में अंतर
		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बिलोदा	11.10.2019 से फरवरी 2020	डी.ए.पी.	0.400	24,440	24,000	440	176
				एन.पी.के. 12:32:16	57.450	24,200	23,700	500	28,725
		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, तिरला	11.10.2019 से फरवरी 2020	डी.ए.पी.	187.400	24,440	24,000	440	82,456
				एन.पी.के. 12:32:16	97.800	24,200	23,700	500	48,900
		विपणन समिति, धार	11.10.2019 से फरवरी 2020	डी.ए.पी.	2.800	24,425	24,000	425	1,190
				एन.पी.के. 12:32:16	1.250	24,200	23,700	500	625
		एमपी एग्रो गोदाम, जेतपुरा, धार	11.10.2019 से फरवरी 2020	डी.ए.पी.	0.750	24,424	24,000	424	318
				एन.पी.के. 12:32:16	1.400	24,200	23,700	500	700
		मार्कफेड गोदाम, धार	11.10.2019 से फरवरी 2020	डी.ए.पी.	3.750	24,425	24,000	425	1,594
				एन.पी.के. 12:32:16	3.350	24,200	23,700	500	1,675
	योग	**7**			**562.100**				**3,35,842.00**
5	उमरिया	मार्कफेड गोदाम, उमरिया	11.10.2019 से फरवरी 2020	डी.ए.पी.	10.000	24,425	24,000	425	4,250
	योग	**1**			**10.000**				**4,250**
6	भोपाल			डी.ए.पी.	219.550	24,440	24,000	440	96,602

क्र. सं.	जिले का नाम	केन्द्र/गोदाम का नाम	अवधि	उर्वरक का नाम	बिक्री की मात्रा	वास्तविक बिक्री की दर	शासकीय बिक्री की दर	अंतर	बिक्री के मूल्य में अंतर
		प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, मिसरोद	11.10.2019 से फरवरी 2020	एन.पी.के. 12:32:16	0.250	24,200	23,700	500	125
		प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, अमरावत कलां	11.10.2019 से फरवरी 2020	डी.ए.पी.	180.950	24,440	24,000	440	79,618
	योग	**2**			**400.750**				**1,76,345**
कुल योग		**17**			**1155.000**				**8,45,184.00**

परिशिष्ट-5.3
(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 5.3.4.2 (ii), पृष्ठ संख्या 38)
विक्रय की दर में भिन्नता दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(मात्रा एम.टी. में और राशि ₹ में)

क्र. स.	जिले का नाम	केंद्र/ गोदाम की संख्या	डीएपी							यूरिया						एमओपी						एनपीके 12:32:16						
			अवधि	उच्च दर पर बेचा गया			कम दर पर बेचा गया			अवधि	उच्च दर पर बेचा गया			कम दर पर बेचा गया		अवधि	उच्च दर पर बेचा गया			कम दर पर बेचा गया		अवधि	उच्च दर पर बेचा गया			कम दर पर बेचा गया		
				विक्रय मात्रा	दर का अंतर (प्रति एमटी)	विक्रय मूल्य	विक्रय मात्रा	दर का अंतर (प्रति एमटी)	विक्रय मूल्य		विक्रय मात्रा	दर का अंतर (प्रति एमटी)	विक्रय मूल्य	विक्रय मात्रा	विक्रय मूल्य		विक्रय मात्रा	दर का अंतर (प्रति एमटी)	विक्रय मूल्य	विक्रय मात्रा	विक्रय मूल्य		विक्रय मात्रा	दर का अंतर (प्रति एमटी)	विक्रय मूल्य	विक्रय मात्रा	दर का अंतर (प्रति एमटी)	विक्रय मूल्य
1	बालाघाट	1	2019-20	-	-	-	0.95	2100	1,995	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	भोपाल	2	-	-	-	-	-	-	-	2019-22	1,771.485	40	70,860	-	-	2020-21	0.25	630	158	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3	छिंदवाड़ा	3	-	-	-	-	-	-	-	2018-19	82.665	750	61,999	-	-	2020-21	1.30	630	819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										2018-22	747.585	80	59,807																
4	सिवनी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019-20	-	-	-	1.25	1,200	1,500
																							-	-	-	3.50	5,920	20,720
																							-	-	-	3.45	1,190	4,106
																							-	-	-	291.15	500	1,45,575

क्र. स.	जिले का नाम	केंद्र/ गोदाम की संख्या	डीएपी							यूरिया						एमओपी						एनपीके 12:32:16								
			अवधि	उच्च दर पर बेचा गया			कम दर पर बेचा गया			अवधि	उच्च दर पर बेचा गया			कम दर पर बेचा गया		अवधि	उच्च दर पर बेचा गया			कम दर पर बेचा गया		अवधि	उच्च दर पर बेचा गया			कम दर पर बेचा गया		
				बिक्रय मात्रा	दर का अंतर (प्रति एमटी)	बिक्रय मूल्य	बिक्रय मात्रा	दर का अंतर (प्रति एमटी)	बिक्रय मूल्य		बिक्रय मात्रा	दर का अंतर (प्रति एमटी)	बिक्रय मूल्य	बिक्रय मात्रा	बिक्रय मूल्य		बिक्रय मात्रा	दर का अंतर (प्रति एमटी)	बिक्रय मूल्य	बिक्रय मात्रा	बिक्रय मूल्य		बिक्रय मात्रा	दर का अंतर (प्रति एमटी)	बिक्रय मूल्य	बिक्रय मात्रा	दर का अंतर (प्रति एमटी)	बिक्रय मूल्य
5	उमरिया	1	2020-21	-	-	-	15.95	1000	15950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग		**9**					**16.90**		**17,945**		**2,601.735**		**1,92,666**				**1.55**		**977**								**299.35**		**1,71,901**

परिशिष्ट-5.4

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 5.3.5 (i), पृष्ठ क्रमांक 39)

प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति द्वारा हेरफेर किए गए स्टॉक का विवरण

क्र. सं.	उर्वरक का नाम	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का संक्षिप्त विवरण
1.	डी.ए.पी.	अवधि 2018-22 के दौरान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति को मार्कफेड गोदाम से 1,382.700 एम.टी. डी.ए.पी. प्राप्त हुआ। हालाँकि, प्रबंधक ने 1,357.700 एम.टी. स्टॉक में ले लिया है और 25 एम.टी. (22 नवम्बर 2019 को प्राप्त) को स्टॉक से बाहर रखा। हमने पाया कि दो वर्ष बाद प्रबंधक ने 31 मार्च 2021 को 5.95 एम.टी. के अंतिम स्टॉक में 25 एम.टी. जोड़कर (01 अप्रैल 2021 को) प्रारंभिक स्टॉक को 30.950 एम.टी. तक बढ़ा दिया। प्रबंधक ने अंतिम स्टॉक में हेरफेर की और 01 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक स्टॉक में की गई फर्जी प्रविष्टि को समायोजित करने के लिए इन तिथियों पर बिना किसी बिक्री के अंतिम स्टॉक को (26 अप्रैल 2021) 20.700 एम.टी. और 04 अक्टूबर 2021 को 4.30 एम.टी. कम कर दिया, जिससे कुल 25 एम.टी. रह गया। हमने आगे पाया कि प्रबंधक ने 26 अक्टूबर 2021 को अंतिम स्टॉक में 25 एम.टी. की फर्जी बढ़ोतरी करके अंतिम स्टॉक को 12.800 एम.टी. से बढ़ाकर 37.800 एम.टी. कर दिया और दो कर्मचारियों के नाम पर 27 अक्टूबर 2021 को 35.850 एम.टी. (25 एम.टी. सहायक- और 10.850 एम.टी. प्रबंधक) की स्टॉक पंजी में बिक्री दिखाई और रोकड़ बही और ऑडिट रिपोर्ट में उनके विरूद्ध बकाया बिक्री आय दिखाई। कर्मचारियों द्वारा किसानों को की गई बिक्री का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया तथा ऐसा 26 अक्टूबर 2021 को 25 एम.टी.की फर्जी वृद्धि को समायोजित करने के लिए किया गया। इसके अलावा, हमने पाया कि स्टॉक पंजी के अनुसार, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति को अवधि 2018-22 के दौरान 1,388.150 एम.टी. डी.ए.पी. (2018-19 के प्रारंभिक स्टॉक 5.450 एम.टी. और स्टॉक में नहीं लिए गए 25 एम.टी. सहित) प्राप्त हुआ। बिक्री पंजी के अनुसार अवधि 2018-22 के दौरान 1,418.100 एम.टी. की बिक्री हुई, जिसके परिणामस्वरूप 29.950 एम.टी. का ऋणात्मक अंतिम शेष रहा। ऋणात्मक शेष प्रबंधक द्वारा स्टॉक में किये गये हेरफेर के कारण था। इस प्रकार, प्रबंधक ने 35.850 एम.टी. उर्वरक का हेरफेर किया, जिसका विक्रय मूल्य ₹ 8.60 लाख था। इसके अलावा, समिति ने अवधि 2018-20 के दौरान स्टॉक पंजी में दर्शाए गए 52 एम.टी. की बिक्री के समर्थन में बिल बुक/रसीद बुक प्रस्तुत नहीं की।
2.	यूरिया	अवधि 2018-22 के दौरान समिति को 2,231.010 एम.टी. यूरिया प्राप्त हुआ। हालांकि, प्रबंधक ने 2,145.885 एम.टी. यूरिया स्टॉक में ले लिया और 85.125 एम.टी. स्टॉक से बाहर रखा। हमने पाया कि प्रबंधक ने 31 मार्च 2021 को 4.545 एम.टी. के अंतिम स्टॉक में 59.94 एम.टी. जोड़कर 01 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक स्टॉक को बढ़ा दिया। इसके अलावा, प्रबंधक ने 01 अप्रैल 2021 को की गई फर्जी प्रविष्टि को समायोजित करने के लिए 24 मई 2021 को अंतिम स्टॉक में हेरफेर की और अंतिम स्टॉक को 36.96 एम.टी. कम कर दिया। पुनः प्रबंधक ने 18.630 एम.टी. के अंतिम स्टॉक में 26 अक्टूबर 2021 को 59.94 एम.टी. जोड़ा और स्टॉक को 78.570 एम.टी. तक बढ़ा दिया। प्रबंधक ने 27 अक्टूबर 2021 को स्टॉक पंजी में अपने नाम पर 77.310 एम.टी. की बिक्री और रोकड़ बही में बकाया बिक्री आय का उल्लेख किया। समिति की ऑडिट रिपोर्ट में यह राशी बकाया बिक्री के रूप में दर्शायी गई थी। इसके अलावा, उनके द्वारा किसानों को की गई बिक्री का विवरण उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, प्रबंधक ने अंतिम स्टॉक में 119.88 एम.टी. की फर्जी वृद्धि की और अंतिम स्टॉक में 114.27 एम.टी. की कमी की, जिससे अंतिम स्टॉक में

क्र. सं.	उर्वरक का नाम	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का संक्षिप्त विवरण
		5.610 एम.टी. की अतिरिक्त वृद्धि हुई। 31 मार्च 2018 को अंतिम स्टॉक 12.800 एम.टी. को स्टॉक पंजी के अनुसार 2,145.885 एम.टी. की प्राप्ति में जोड़ने के बाद, 31 मार्च 2022 तक कुल उपलब्ध स्टॉक 2,158.685 एम.टी. होगा। कुल बिक्री 2,246.410 एम.टी. थी जो उपलब्ध स्टॉक से 87.725 एम.टी. अधिक थी जबकि स्टॉक पंजी के अनुसार स्टॉक शून्य था। प्रबंधक ने 85.125 एम.टी. के स्टॉक में हेरफेर की, जिसका बिक्री मूल्य ₹ 5.04 लाख है। इसके अलावा, समिति ने अवधि 2018-20 के दौरान स्टॉक पंजी में दर्शाए गए 141.92 एम.टी. यूरिया की बिक्री के समर्थन में बिल बुक/रसीद बुक प्रस्तुत नहीं की।
3.	एस.एस.पी.	अवधि 2018-22 के दौरान, समिति को 230.00 एम.टी. एसएसपी प्राप्त हुआ तथा 31 मार्च 2018 को शेष स्टॉक 44.400 एम.टी. था। 274.400 एम.टी. के उपलब्ध स्टॉक के विरूद्ध बिक्री 250.850 एम.टी. थी तथा 31 मार्च 2022 को शेष 23.550 एम.टी. था जबकि स्टॉक का वास्तविक शेष 19.100 एम.टी. था। इसके परिणामस्वरूप 4.450 एम.टी. स्टॉक की कमी हुई, जिसका बिक्री मूल्य ₹ 0.27 लाख था। इसके अलावा, समिति ने 2018-20 के दौरान 11.650 एम.टी. की बिक्री के समर्थन में बिल/रसीद बुक प्रस्तुत नहीं की।
4.	जिंक सल्फेट	समिति के प्रबंधक ने 27 अक्टूबर 2021 को सहायक के नाम से 1.555 एम.टी. जिंक की बिक्री दैनिक बिक्री पंजी और रोकड़ बही में बकाया बिक्री आय के रूप में दर्ज की। समिति द्वारा किसानों को बिक्री का विवरण उपलब्ध नहीं था। इसलिए, 1.555 एम.टी. की बिक्री जिसका बिक्री मूल्य ₹ 0.54 लाख था, संदिग्ध थी। इसके अलावा, मार्च 2022 तक जिंक का शेष स्टॉक 3.300 एम.टी. था, जो संदिग्ध था क्योंकि स्टॉक से बिक्री घटाने पर मार्च 2022 को शेष 3.015 एम.टी. होना चाहिए था। इसके अलावा, समिति ने 2019-20 में 0.070 एम.टी. की बिक्री के समर्थन में बिल बुक/रसीद बुक प्रस्तुत नहीं की।

परिशिष्ट-5.5

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 5.3.5 (ii), पृष्ठ क्रमांक 39)

स्टॉक में हेरफेर करने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का विवरण

क्र. सं.	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का नाम	स्टॉक से ज्यादा बिक्री	स्टॉक में कमी	बढ़ाया हुआ स्टॉक
1	घाटली, होशंगाबाद	**डी.ए.पी.:** 23 अक्टूबर 2021 को अंतिम स्टॉक 3.400 एम.टी. था और 25 अक्टूबर 2021 को बिक्री 3.500 एम.टी. थी, जिसके परिणामस्वरूप उपलब्ध स्टॉक की तुलना में एक क्विंटल अधिक बिक्री हुई। 26 अक्टूबर 2021 एवं 01 नवम्बर 2021 के मध्य कोई बिक्री नहीं हुई थी। 01 नवम्बर 2021 को आगामी प्राप्ति 20 एम.टी. में अधिक बिक्री को समायोजित नहीं किया गया।	**डी.ए.पी.:** लोहारिया केंद्र का शेष स्टॉक 30 अगस्त 2017 को 2.250 एम.टी. था, जिसमें 10 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष 0.850 एम.टी. भी शामिल है। घाटली केन्द्र का शेष 2.650 एम.टी. था। दोनों केंद्रों का शेष स्टॉक 4.900 एम.टी. था, जबकि प्रबंधक ने 01 अक्टूबर 2017 को दोनों केंद्रों का प्रारंभिक स्टॉक 4.850 एम.टी. लिया था। इस तरह स्टॉक में 50 किलोग्राम कम लिया गया। **यूरिया:** 1. 27 सितम्बर 2019 को अंतिम स्टॉक 15.420 एम.टी. था। 28 सितम्बर 2019 से 21 नवम्बर 2019 के मध्य कोई बिक्री नहीं हुई। प्रबंधक ने 22 नवम्बर 2019 को अंतिम स्टॉक 15.320 एम.टी. से आगामी बिक्री से कम कर दी । इस तरह एक क्विंटल स्टॉक कम लिया गया । 2. 13 दिसम्बर 2019 को अंतिम स्टॉक 2.360 एम.टी. था और 18 दिसम्बर 2019 को 2.340 एम.टी. की बिक्री के बाद स्टॉक 0.020 एम.टी. होना चाहिए। 26 दिसम्बर 2019 को आगामी प्राप्ति 27 एम.टी. में अंतिम स्टॉक 20 किलोग्राम नहीं जोड़ा गया। 3. 30 अगस्त 2017 को लोहारिया केंद्र का शेष स्टॉक 0.600 एम.टी. था और घाटली केंद्र का शेष स्टॉक 0.200 एम.टी. (01 अक्टूबर 2017) था। दोनों केंद्रों का कुल स्टॉक 0.800 एम.टी. था, जबकि प्रबंधक ने प्रारंभिक शेष (01 अक्टूबर 2017) के रूप में	--

क्र. सं.	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का नाम	स्टॉक से ज्यादा बिक्री	स्टॉक में कमी	बढ़ाया हुआ स्टॉक
			0.600 एम.टी. स्टॉक आगे बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक में 0.200 एम.टी. की कमी आई। उपरोक्त मामलों में कुल कमी तीन क्विंटल 20 किलोग्राम थी। **जिंक:** 1. 12 जून 2017 से पहले स्टॉक पंजी के अनुसार उपलब्ध शेष 4.120 एम.टी. था और 12 जून 2017 को बिक्री 0.150 एम.टी. थी, इस प्रकार, अगला स्टॉक शेष 3.970 एम.टी. होना था, जबकि अंतिम स्टॉक 3.950 एम.टी. लिया गया, जिससे स्टॉक में 20 किलोग्राम की कमी आई। 2. 21 अगस्त 2017 को अंतिम स्टॉक 2.700 एम.टी. था। लेकिन 01 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष 2.450 एम.टी. लिया गया। इस प्रकार 0.250 एम.टी. कम स्टॉक लिया गया। इस प्रकार उपरोक्त दोनों प्रकरणों में कुल 0.270 एम.टी. कम लिया गया।	
2	सिरवाड, होशंगाबाद	--	**एस.एस.पी.:** 28 अक्टूबर 2017 को अंतिम स्टॉक 0.250 एम.टी. को 17 मई 2018 को आगामी प्राप्ति 20 एम.टी. में शामिल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अंतिम स्टॉक 0.250 एम.टी. को कम आगे बढ़ाया गया। **यूरिया:** 1. 10 दिसम्बर 2018 को अंतिम स्टॉक 6.550 एम.टी. था, प्रबंधक ने 05 जून 2019 को आगामी प्राप्ति में 5.800 एम.टी. जोड़ा, इस तरह 0.750 एम.टी. स्टॉक में कम आगे ले जाया गया।	--

क्र. सं.	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का नाम	स्टॉक से ज्यादा बिक्री	स्टॉक में कमी	बढ़ाया हुआ स्टॉक
			2. 26 जून 2019 को अंतिम स्टॉक 18.680 एम.टी. था और 28 जून 2019 और 29 जून 2019 को 12.33 एम.टी. की बिक्री के बाद, अंतिम स्टॉक 6.350 एम.टी. होना चाहिए था, जबकि प्रबंधक ने अंतिम स्टॉक 6.345 एम.टी. दिखाया, इस तरह 0.005 एम.टी. स्टॉक कम लिया गया। 3. इसके अलावा, 09 अक्टूबर 2020 को मार्कफेड गोदाम से प्राप्त 25.200 एम.टी. को स्टॉक में नहीं लिया गया था। उपरोक्त मामलों में कुल कमी 26.205 एम.टी. थी।	
3	आंचलखेड़ा, होशंगाबाद	**डी.ए.पी.:** 05 नवम्बर 2018 को उपलब्ध स्टॉक 8.550 एम.टी. था और बिक्री 9.850 एम.टी. थी। इस प्रकार, उपलब्ध स्टॉक से अधिक बिक्री 1.300 एम.टी. थी। **यूरिया:** 1. 03 नवम्बर 2018 को उपलब्ध स्टॉक 26.800 एम.टी. था और बिक्री 26.950 एम.टी. थी, इस प्रकार उपलब्ध स्टॉक की तुलना में 0.150 एम.टी. अधिक बिक्री थी। 2. 06 अगस्त 2021 को उपलब्ध स्टॉक 3.860 एम.टी. था और बिक्री 4.520 एम.टी. थी, इस प्रकार अतिरिक्त बिक्री 0.660 एम.टी. थी। इस प्रकार यूरिया के कुल स्टॉक से 0.810 एम.टी. अधिक बिक्री थी। **जिंक:** 20 जुलाई 2020 से 30 जुलाई 2020 की अवधि के दौरान बिक्री 1.680 एम.टी. थी, जबकि 10 जुलाई	**यूरिया:** प्रबंधक ने पांच अवसरों (23 दिसम्बर 2017, 22 जून 2018, 25 जून 2018, 28 दिसम्बर 2018 और 09 नवम्बर 2020) में अनियमित रूप से आगे ले गये अंतिम स्टॉक को 22.190 एम.टी. कम कर दिया और दो अवसरों (15 जून 2018 और 14 जून 2021 से 29 जुलाई 2021) में अंतिम स्टॉक में 1.210 एमटी बढ़ा दिया। परिणामस्वरूप, अंतिम स्टॉक में 20.980 एम.टी. की कमी आई। **जिंक:** शेष स्टॉक 19.370 एम.टी. से बिक्री 0.700 एम.टी. (21 अगस्त 2019 को 0.300 एम.टी. और 26 जून 2018 को 0.400 एम.टी.) की बिक्री घटाने के बाद स्टॉक 18.670 एम.टी. होना चाहिए, जबकि प्रबंधक ने स्टॉक 18.530 एम.टी. दर्शाया था। इस प्रकार, स्टॉक में 0.140 एम.टी. की कमी हुई।	**एस.एस.पी.:** प्रबंधक ने अंतिम स्टॉक को 43.800 एम.टी. से बढ़ाकर 44.850 एम.टी. कर दिया (25 जून 2018 और 02 नवम्बर 2018 को क्रमशः 0.050 एम.टी. और एक एम.टी.)।

क्र. सं.	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का नाम	स्टॉक से ज्यादा बिक्री	स्टॉक में कमी	बढ़ाया हुआ स्टॉक
		2020 को स्टॉक 0.310 एम.टी. था, इस प्रकार 1.370 एम.टी. स्टॉक से अधिक बिक्री थी।		
4	बांकी, सिवनी	--	**एस.एस.पी.:** 1. 21 दिसम्बर 2017 को अंतिम शेष 16.300 एम.टी. था। लेकिन प्रबंधक ने 01 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष 3.600 एम.टी. लिया था। इसलिए स्टॉक में 12.700 एम.टी. की कमी आई। 2. 28 जुलाई 2020 को उपलब्ध स्टॉक 120.750 एम.टी. था। 2.200 एम.टी. की बिक्री के बाद शेष स्टॉक 118.550 एम.टी. होना चाहिए लेकिन प्रबंधक ने शेष 106.550 एम.टी. दर्शाया। इसलिए, स्टॉक में 12 एम.टी. की कमी आई। उपरोक्त दोनों मामलों में कुल 24.700 एम.टी. कम लिया गया।	**एस.एस.पी.:** प्रबंधक ने 28 मार्च 2021 को 181.600 एम.टी. अंतिम शेष लेने के बजाय 01 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष के रूप में 221.600 एम.टी. लिया। इसलिए, स्टॉक 40 एम.टी. की वृद्धि हुई।
			इसका सकल प्रभाव यह हुआ कि स्टॉक 15.300 एम.टी. की वृद्धि हुई।	
5	सुखतवा, होशंगाबाद	--	**एस.एस.पी.:** 08 जून 2020 को अंतिम स्टॉक 0.750 एम.टी. था, जिसे न तो आगे बढ़ाया गया और न ही प्रारंभिक स्टॉक में जोड़ा गया। **डी.ए.पी.:** 23 जुलाई 2020 को अंतिम शेष 11.700 एम.टी. को 28 जुलाई 2020 को प्रारंभिक शेष 11.600 एम.टी. के रूप में लिया गया। इसलिए, स्टॉक में 0.100 एम.टी. की कमी हुई।	--
6	मिसरोद, भोपाल	--	**एस.एस.पी. (दानेदार):** 1. 31 दिसम्बर 2019 को अंतिम शेष 13.250 एम.टी. था, प्रबंधक ने 10 फरवरी 2020 को आगामी बिक्री को अंतिम स्टॉक से 13.00 एम.टी. कम कर दिया। इसलिए, स्टॉक में 0.250 एम.टी. की कमी हुई।	**यूरिया:** 1. 31 जनवरी 2019 को अंतिम स्टॉक 5.615 एम.टी. था। प्रबंधक ने 01 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक स्टॉक 35.740 एम.टी. दर्शाया था। स्टॉक में 30.125 एम.टी. की वृद्धि की गई थी।

क्र. सं.	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का नाम	स्टॉक से ज्यादा बिक्री	स्टॉक में कमी	बढ़ाया हुआ स्टॉक
			2. 04 मार्च 2020 को, एसएसपी (पाउडर) का अंतिम शेष 11.450 एम.टी. था, लेकिन प्रबंधक ने 01 अप्रैल 2020 को 11.400 एम.टी. स्टॉक लिया था। इसलिए, स्टॉक में 0.050 एम.टी. की कमी हुई। दोनों मामलों में कुल स्टॉक में 0.300 एम.टी. की कमी हुई। **यूरिया:** 1. 20 फरवरी 2018 को अंतिम शेष 7.95 एम.टी. था। प्रबंधक ने 27 मार्च 2018 को आगामी बिक्री 0.200 एम.टी. स्टॉक 7.95 एम.टी. से नहीं घटाई, लेकिन 7.70 एम.टी. से घटाई। इसप्रकार स्टॉक में 0.250 एम.टी. की कमी हुई। 2. 14 दिसम्बर 2020 को अंतिम स्टॉक 97.920 एम.टी. था। 23 दिसम्बर 2020 को 2.655 एम.टी. और 15 जून 2021 को 22.545 एम.टी. बिक्री कम करने के बाद, स्टॉक 72.720 एम.टी. होना चाहिए, जबकि प्रबंधक ने 15 जून 2021 को अंतिम स्टॉक 55.980 एम.टी. दर्शाया था। इस प्रकार प्रबंधक ने स्टॉक को 16.74 एम.टी. कम कर दिया। 3. 25 जनवरी 2022 को अंतिम स्टॉक 22.905 एम.टी. था। जबकि प्रबंधक ने 31 मार्च 2022 को स्टॉक 16.200 एम.टी. दर्शाया था। स्टॉक में 6.705 एम.टी. की कमी आई। यूरिया का कुल स्टॉक 23.695 एम.टी. कम हुआ।	2. 05 अक्टूबर 2019 को अंतिम स्टॉक 41.070 एम.टी. था और 12 अक्टूबर 2019 को प्राप्ति 20.250 एम.टी. थी। कुल स्टॉक 61.320 एम.टी. होना चाहिए था, लेकिन प्रबंधक ने अंतिम स्टॉक 61.335 एम.टी. दर्शाया था। इस प्रकार स्टॉक में 0.015 एम.टी. की वृद्धि हुई। 3. 10 जनवरी 2020 को अंतिम शेष 10.125 एम.टी. था। लेकिन प्रबंधक ने 05 फरवरी 2020 को आगामी बिक्री 6.525 एम.टी. को 10.125 एम.टी. से नहीं घटाकर 11.210 एम.टी. से कम कर दिया। इसलिए स्टॉक में 1.085 एम.टी. की वृद्धि हुई। 4. प्रबंधक ने 03 मार्च 2020 को अंतिम स्टॉक 0.315 एम.टी. लेने के बजाय 01 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक स्टॉक के रूप में 0.360 एम.टी. लिया था। इसलिए, स्टॉक में 0.045 एम.टी. की वृद्धि हुई थी। 5. 05 नवम्बर 2021 को अंतिम स्टॉक 39.735 एम.टी. था और 06 नवम्बर 2021 को प्राप्ति 25.200 एम.टी. जोड़ने के बाद स्टॉक 64.935 एम.टी. होना चाहिए था। लेकिन प्रबंधक ने स्टॉक 65.935 एम.टी. दर्शाया था। इसलिए, स्टॉक में 1.00 एम.टी. की वृद्धि हुई थी।

क्र. सं.	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का नाम	स्टॉक से ज्यादा बिक्री	स्टॉक में कमी	बढ़ाया हुआ स्टॉक
				इस प्रकार कुल स्टॉक में 32.270 एम.टी. की वृद्धि हुई।
			इसका सकल प्रभाव यह हुआ कि स्टॉक में 8.275 एम.टी. की वृद्धि हुई।	
7	ददरौदी, उमरिया	**डी.ए.पी.:** प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, ददरौदी, उमरिया के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 10 सितम्बर 2018 को डीएपी का उपलब्ध स्टॉक 5.60 एम.टी. था, जिसके विरुद्ध समिति ने 8.10 एम.टी. उधार बेचा और स्टॉक पंजी में 2.50 एम.टी. की अधिक बिक्री का उल्लेख किया। **एस.एस.पी.:** इसी प्रकार, 10 सितम्बर 2018 को एस.एस.पी. का शेष स्टॉक 3.950 एम.टी. था, जिसके विरुद्ध समिति ने 4.60 एम.टी. बेचा और स्टॉक पंजी में 0.650 एम.टी. की अधिक बिक्री का उल्लेख किया। समिति ने किसानों को बेचे गए स्टॉक 3.150 एम.टी. (2.50 एम.टी. + 0.650 एम.टी.) का विवरण और बिल उपलब्ध नहीं कराया।	--	--

परिशिष्ट-5.6

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 5.5.1, पृष्ठ क्रमांक 43)

अवधि 2017-22 के दौरान आवश्यकता, प्रस्तावित मात्रा, जारी डिलीवरी इंडेंट और आवश्यक मात्रा के विरुद्ध खरीदी/विक्रय की गई मात्रा की स्थिति

वर्ष	उर्वरक का नाम	अनुमानित मात्रा (एम.टी. में)	प्रस्तावित मात्रा (एम.टी. में)	जारी मांग पत्र की मात्रा (एम.टी. में)	क्रय की गई मात्रा (एमटी में)	बिक्री की गई मात्रा (एम.टी. में)	आवश्यकता के विरुद्ध क्रय नहीं की गई मात्रा (एम.टी. में) (प्रतिशत)
2017-18	जैविक खाद	20,000	1,21,000	उपलब्ध नहीं	792	792	19,208 (96)
	फॉस्फेट युक्त जैविक खाद	20,000	1,94,375	उपलब्ध नहीं	4,869	4,869	15,131(76)
	वर्मी कॉम्पोस्ट	20,000	52,000	उपलब्ध नहीं	314	314	19,686 (98)
	सिटी कॉम्पोस्ट	20,000	61,500	उपलब्ध नहीं	0	0	20,000 (100)
	योग	**80,000**	**4,28,875**	**उपलब्ध नहीं**	**5,975**	**5,975**	**74,025 (93)**
2018-19	जैविक खाद	20,000	2,56,000	14,707	3,108	3,104	16,892 (84)
	फॉस्फेट युक्त जैविक खाद	20,000	3,79,500	64,807	14,233	14,076	5,767 (29)
	वर्मी कॉम्पोस्ट	20,000	1,60,000	6,948	310	310	19,690 (98)
	सिटी कॉम्पोस्ट	20,000	94,000	0	0	0	20,000 (100)
	योग	**80,000**	**8,89,500**	**86,462**	**17,651**	**17,490**	**62,349 (78)**
2019-20	जैविक खाद	10,000	1,59,500	9,508	710	788	9,290 (93)
	फॉस्फेट युक्त जैविक खाद	20,000	2,57,900	48,373	12,306	12,569	7,694 (38)
	वर्मी कॉम्पोस्ट	20,000	1,51,400	7,594	528	528	19,472 (97)
	सिटी कॉम्पोस्ट	20,000	35,200	0	0	0	20,000 (100)
	योग	**70,000**	**6,04,000**	**65,475**	**13,544**	**13,885**	**56,456 (81)**
2020-21	जैविक खाद	10,000	80,000	13,462	1202	1,202	8,798 (88)
	फॉस्फेट युक्त जैविक खाद	20,000	1,93,000	74,222	14,775	14,871	5,225 (26)
	वर्मी कॉम्पोस्ट	20,000	77,700	13,178	153	153	19,847 (99)
	सिटी कॉम्पोस्ट	20,000	7,000	2,550	0	0	20,000 (100)
	योग	**70,000**	**3,57,700**	**1,03,412**	**16,130**	**16,226**	**53,870 (77)**
2021-22	जैविक खाद	10,000	65,000	10,520	1,260	1,260	8,740 (87)
	फॉस्फेट युक्त जैविक खाद	20,000	2,24,700	51,397	20,448	20,907	(+) 448
	वर्मी कॉम्पोस्ट	20,000	66,600	5,100	297	297	19,703 (99)
	सिटी कॉम्पोस्ट	20,000	24,000	0	0	0	20,000 (100)
	योग	**70,000**	**3,80,300**	**67,017**	**22,005**	**22,464**	**47,995 (69)**

परिशिष्ट-6.1

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 6.4, पृष्ठ संख्या 51)

अवधि 2017-22 के दौरान प्राप्त और विश्लेषित उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला-वार नमूनों की स्थिति

उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21			2021-22		
	प्राप्त नमूनों की संख्या	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	अमानक की संख्या	प्राप्त नमूनों की संख्या	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	अमानक की संख्या	प्राप्त नमूनों की संख्या	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	अमानक की संख्या	प्राप्त नमूनों की संख्या	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	अमानक की संख्या	प्राप्त नमूनों की संख्या	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	अमानक की संख्या
भोपाल	1,801	1,799	189	1,518	1,518	163	2,321	2,318	165	3,238	3,237	292	2,617	2,614	263
ग्वालियर	1,736	1,732	175	1,966	1,961	115	2,018	2,017	246	2,800	2,794	387	2,392	2,389	304
जबलपुर	1,955	1,955	239	1,635	1,633	190	2,293	2,289	178	2,324	2,324	242	2,081	2,081	171
इंदौर	1,358	1,355	165	1,543	1,541	173	1,986	1,983	131	3,307	3,306	302	3,473	3,472	357
सागर	00	00	0	519	519	75	1,753	1,753	168	3,101	3,096	301	3,192	3,184	271
उज्जैन	00	00	0	689	689	66	1,761	1,757	98	2,531	2,529	153	2,823	2,807	258
योग	**6,850**	**6,841**	**768**	**7,870**	**7,861**	**782**	**12,132**	**12,117**	**986**	**17,301**	**17,286**	**1,677**	**16,578**	**16,547**	**1,624**

परिशिष्ट-7.1

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 7.2, पृष्ठ क्रमांक 64)

30 दिनों के भीतर/बाद में प्राप्त आवेदनों और अतिरिक्त शुल्क संग्रह न करने का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	नमूना जांच किये गए प्रकरणों की कुल संख्या	30 दिन के अंदर आवेदित		30 दिन के बाद आवेदित		ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया गया
			प्रकरणों की संख्या	विलंबित आवेदन अवधि	प्रकरणों की संख्या	विलंबित आवेदन अवधि	
1	अलीराजपुर	77	9	2 से 28 दिन	6	22 से 140 दिन	12
2	बालाघाट	46	2	8 से 27 दिन	2	34 से 54 दिन	निरंक
3	भोपाल	24	3	10 से 16 दिन	5	09 से 493 दिन	8
4	छिंदवाड़ा	841	114	2 से 30 दिन	212	2 से 2341 दिन	199
5	धार	45	10	4 से 30 दिन	5	8 से 43 दिन	2
6	होशंगाबाद	83	16	2 से 28 दिन	14	5 से 275 दिन	23
7	सीधी	35	4	12 से 30 दिन	1	30 दिन	1
8	सिवनी	36	4	3 से 22 दिन	3	22 से 264 दिन	निरंक
9	टीकमगढ़	165	15	3 से 30 दिन	12	8 से 367 दिन	16
10	उमरिया	8	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
कुल		**1360**	**177**	**2 से 30 दिन**	**260**	**2 से 2,341 दिन**	**261**

परिशिष्ट-7.2(अ)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 7.6.1, पृष्ठ क्रमांक 68)

अनुशंसित मात्रा में उर्वरक का अधिक प्रयोग

(मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में)

फसलों का नाम	बुआई करने वाले किसानों की संख्या (जिले)	मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार अनुशंसित उर्वरक संयोजन	किसानों द्वारा प्रयुक्त संयोजन	जिलों की संख्या	किसानों की संख्या जिन्होंने संयोजन प्रयुक्त किया	उर्वरकों का प्रयोग किया गया							
						अधिक यूरिया		अधिक डी.ए.पी		अधिक एस.एस.पी		अधिक एम.ओ.पी.	
						मात्रा (रेंज)	संख्या	मात्रा (रेंज)	संख्या	मात्रा (रेंज)	संख्या	मात्रा (रेंज)	संख्या
गेहूँ	जांच किये गए 31 में से 29 मामले (भोपाल, होशंगाबाद, बालाघाट, सिवनी, उमरिया)। जिला बालाघाट और सिवनी के दो किसानों ने गेहूं की बुआई नहीं की।	यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी./यूरिया, एस.एस.पी., एम.ओ.पी.	यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी.	5	26	9 से 209	17	3 से 143	16	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0
			यूरिया, डी.ए.पी., एस.एस.पी., एम.ओ.पी.[1]	1	3	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	51	1
धान	जांच किये गए 31 में से 24 प्रकरणों में (होशंगाबाद, बालाघाट, सिवनी, उमरिया)। भोपाल जिले के 7 किसानों	यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी./यूरिया, एस.एस.पी., एम.ओ.पी.	यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी.	4	21	7 से 140	2	3 से 199	10	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0
			यूरिया, एस.एस.पी., एम.ओ.पी.	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0

फसलों का नाम	बुआई करने वाले किसानों की संख्या (जिले)	मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार अनुशंसित उर्वरक संयोजन	किसानों द्वारा प्रयुक्त संयोजन	जिलों की संख्या	किसानों की संख्या जिन्होंने संयोजन प्रयुक्त किया	उर्वरकों का प्रयोग किया गया							
						अधिक यूरिया		अधिक डी.ए.पी		अधिक एस.एस.पी		अधिक एम.ओ.पी.	
						मात्रा (रेंज)	संख्या	मात्रा (रेंज)	संख्या	मात्रा (रेंज)	संख्या	मात्रा (रेंज)	संख्या
	के मामले में धान की अनुशंसा नहीं की गई।		यूरिया, डी.ए.पी., एस.एस.पी.[2]	1	1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0	0
मक्का	सिवनी	यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी./यूरिया, एस.एस.पी., एम.ओ.पी.	यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी.	1	1	0	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0
चना	बालाघाट	डी.ए.पी., एम.ओ.पी./यूरिया, एस.एस.पी., एम.ओ.पी.	यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी.	1	4	11 से 111	4	42	1	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0
मूंग	होशंगाबाद	डीएपी, एम.ओ.पी.	एस.एस.पी.[3]	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

1. किसानों ने उर्वरक के किसी भी संयोजन का पालन नहीं किया, इसलिए यूरिया, डी.ए.पी. अथवा एस.एस.पी. की अधिक/कम मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती।

2. किसान ने उर्वरक के किसी भी संयोजन का पालन नहीं किया, इसलिए यूरिया, डी.ए.पी. अथवा एस.एस.पी. की अधिक/कम मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती।

3. किसान ने अनुशंसित संयोजन का पालन नहीं किया।

परिशिष्ट 7.2 (ब)
(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 7.6.1, पृष्ठ क्रमांक 68)
उर्वरक की अनुशंसित मात्रा कम/नहीं डाली गई

(मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में)

फसलों का नाम	बुआई करने वाले किसानों की संख्या (जिले)	मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार अनुशंसित उर्वरक संयोजन	किसानों द्वारा प्रयुक्त संयोजन	जिलों की संख्या	किसानों की संख्या जिन्होंने संयोजन प्रयुक्त किया	उर्वरकों का प्रयोग किया गया									
						कम यूरिया		कम डी.ए.पी		कम एस.एस..पी		कम एमओपी		एमओपी का प्रयोग नहीं किया गया	
						मात्रा (रेंज)	संख्या	मात्रा (रेंज)	संख्या	मात्रा (रेंज)	संख्या	मात्रा (रेंज)	संख्या	मात्रा- मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार प्रयुक्त की	संख्या
गेहूँ	जांच किये गए 31 में से 29 मामले (भोपाल, होशंगाबाद, बालाघाट, सिवनी, उमरिया)। जिला बालाघाट और सिवनी के दो किसानों ने गेहूं की बुआई नहीं की।	यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी./यूरिया, एस.एस.पी., एम.ओ.पी.	यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी.	5	26	14 से 193	9	3 से 106	10	लागू नहीं	लागू नहीं	30	1	12 to 83	25
			यूरिया, डी.ए.पी., एस.एस.पी., एम.ओ.पी.[1]	1	3	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	17 से 42	2	0	0
धान	जांच किये गए 31 में से 24 प्रकरणों में (होशंगाबाद, बालाघाट, सिवनी, उमरिया)। भोपाल जिले के	यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी./यूरिया, एस.एस.पी., एम.ओ.पी.	यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी.	4	21	19 से 185	19	18 से 191	11	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0	25 से 67	21
			यूरिया, एस.एस.पी., एम.ओ.पी.	1	2	121 से 159	2	0	0	69 से 158	2	0	0	28 से 66	2

फसलों का नाम	बुआई करने वाले किसानों की संख्या (जिले)	मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार अनुशंसित उर्वरक संयोजन	किसानों द्वारा प्रयुक्त संयोजन	जिलों की संख्या	किसानों की संख्या जिन्होंने संयोजन प्रयुक्त किया	उर्वरकों का प्रयोग किया गया									
						कम यूरिया		कम डी.ए.पी		कम एस.एस..पी		कम एमओपी		एमओपी का प्रयोग नहीं किया गया	
						मात्रा (रेंज)	संख्या	मात्रा (रेंज)	संख्या	मात्रा (रेंज)	संख्या	मात्रा (रेंज)	संख्या	मात्रा- मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार प्रयुक्त की	संख्या
	7 किसानों के मामले में धान की अनुशंसा नहीं की गई।		यूरिया, डी.ए.पी., एस.एस.पी.[2]	1	1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0	0	50	1
मक्का	सिवनी	यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी./यूरिया, एस.एस.पी., एम.ओ.पी.	यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी.	1	1	270	1	111	1	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0	50	1
चना	बालाघाट	डी.ए.पी., एम.ओ.पी./यूरिया, एस.एस.पी., एम.ओ.पी.	यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी.	1	4	0	0	70 से 112	3	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0	22 से 42	4
मूंग	होशंगाबाद	डी.ए.पी., एम.ओ.पी.	एस.एस.पी.[3]	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	33	1

1. किसानों ने किसी भी उर्वरक संयोजन का पालन नहीं किया, इसलिए यूरिया, डी.ए.पी. अथवा एस.एस.पी. की अधिक/कम मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती।

2. किसान ने किसी भी उर्वरक संयोजन का पालन नहीं किया, इसलिए यूरिया, डी.ए.पी. अथवा एस.एस.पी. की अधिक/कम मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती।

3. किसान ने अनुशंसित संयोजन का पालन नहीं किया।

संक्षिप्तों की शब्दावली	
संक्षिप्त	**पूर्ण शब्द**
ए.सी.एस.	अपर मुख्य सचिव
ए.डी.ओ.	कृषि विकास अधिकारी
ए.पी.सी.	कृषि उत्पादन आयुक्त
सी.ई.ओ.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डी.ए.पी.	डाय-अमोनियम फॉस्फेट
डी.सी.सी.बी.	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक
डी.डी.	डिमांड ड्राफ्ट
डी.डी.ए.	उप संचालक कृषि
डी.आई.	डिलीवरी इंडेंट
डी.एम.ओ.	जिला विपणन अधिकारी
डी.ओ.ए.एफ.डब्लू.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
डी.आर.सी.एस.	उप पंजीयक सहकारी समितियां
ई.सी एक्ट	आवश्यक वस्तु अधिनियम
ई.एम.डी.	बयाना जमा राशि
एफ.सी.सी.	उर्वरक समन्वय समिति
एफ.सी.ओ.	उर्वरक नियंत्रण आदेश
एफ.क्यू.सी.टी.एल.	उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला
एफ.डब्लू.एण्ड ए.डी.डी.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.ओ.एम.पी.	मध्य प्रदेश शासन
आई.एफ.एम.एस.	एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली
आई.एफ.एस.एस.	एकीकृत उर्वरक भंडारण सॉफ्टवेयर
जे.डी.	संयुक्त संचालक
जे.एन.के.वी.वी.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
एल.एम.टी.	लाख मीट्रिक टन
मार्कफेड	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
एम.डी.	प्रबंध संचालक
एम.ओ.पी.	म्यूरिएट ऑफ पोटाश
एम.एस.	विपणन समितियाँ

संक्षिप्तों की शब्दावली	
संक्षिप्त	**पूर्ण शब्द**
पैक्स	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ
पी.ओ.एस.	विक्रय केन्द्र
प्रोम	फॉस्फेट युक्त जैविक खाद
आर.ओ.	रिलीज़ आर्डर
एस.ए.डी.ओ.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
एस.डी.ओ.	अनुविभागीय अधिकारी
एस.एच.सी.	मृदा स्वास्थ्य कार्ड
एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.	प्रतिस्थापन विधि के बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन
एस.एस.पी.	सिंगल सुपर फॉस्फेट
डब्लू.एच.आर.	वेयरहाउस रसीद
जेड.एम.	जोनल प्रबंधक

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag2/madhya-pradesh/hi